जनवरी 2004

मूल्य : सात रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

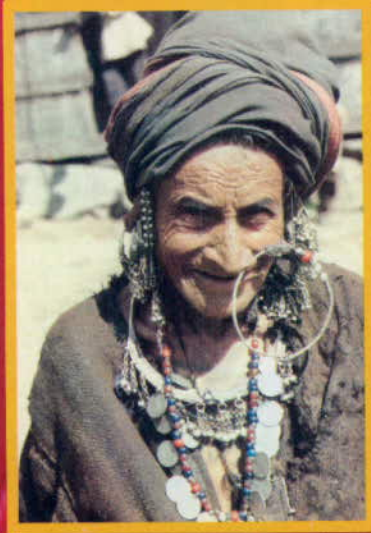

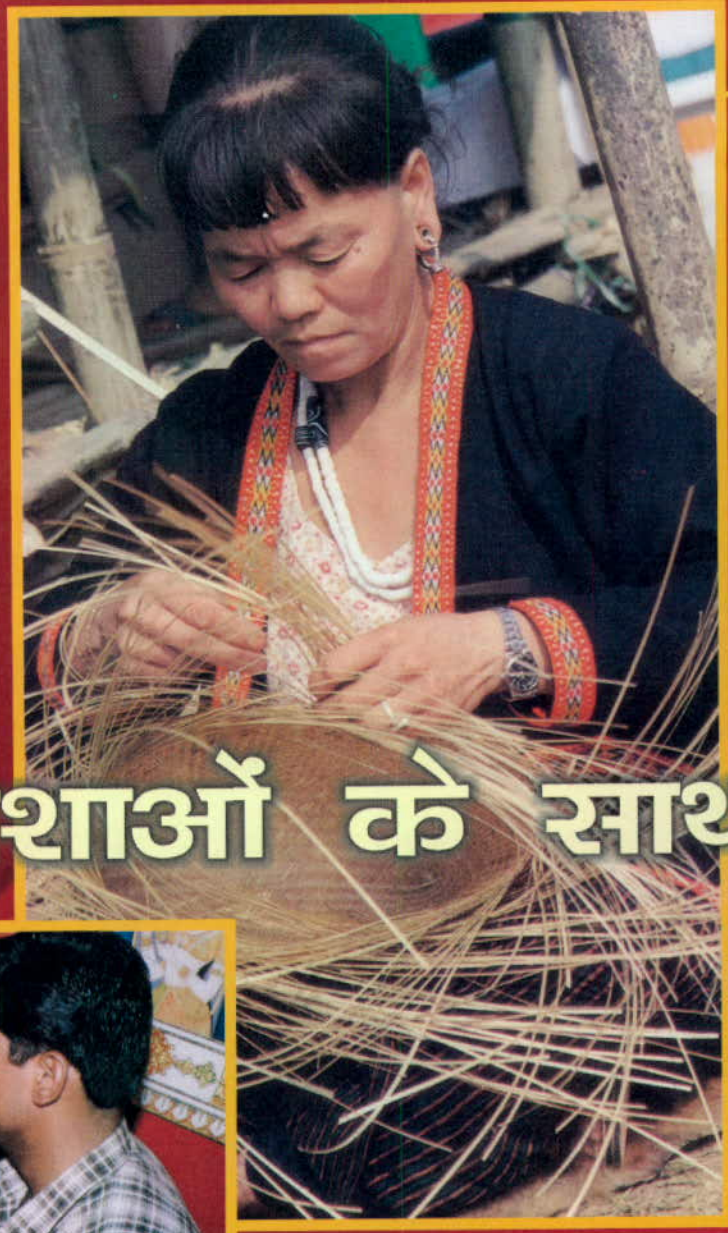

2004

नई आशाओं के साथ

उपलब्धियों के हाशिए में रोज़गार योजनाएं

बुनकरों के लिए नई बीमा योजना जल्दी ही

हथकरघा बुनकरों के लिए एक नई बीमा योजना तैयार है। इस योजना से बुनकरों की बीमा सुरक्षा राशि में काफी वृद्धि होगी। कपड़ा सचिव, श्री एस.बी.महापात्र ने हाल ही में आयोजित राज्य सचिवों, हथकरघा निदेशकों और आयुक्तों के सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई योजना जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जाएगी और इससे राज्य सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। इसके लिए धन की व्यवस्था केंद्रीय अनुदान और बुनकरों की भागीदारी से की जाएगी। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योजना को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए बुनकरों/दस्तकारों को पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए। इसकी लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। श्री महापात्र ने कहा कि केंद्रीय मूल्यवर्धित कर (सेनवेट) रहित धागा प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र का उपयोग किया जा सकता है। कपड़ा सचिव ने यह भी कहा कि बुनकरों के प्रशिक्षण के लिए विशाल कार्यक्रम बनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम इस क्षेत्र के आगे और विकास में सहायक होगा।

बागवानी उद्योग को बढ़ावा

राष्ट्रीय बागवानी अभियान को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से तौर–तरीके तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर यह अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। अभियान का उद्देश्य फल, सब्जी, फूल, मसाले आदि की खेती को बढ़ावा देना और 2010 तक देश में बागवानी उत्पादन को दुगुना करना है। फिलहाल सरकार केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम "पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में बागवानी के समन्वित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन" के तहत बागवानी विकास कार्यक्रम चला रही है। इस स्कीम में 2003–04 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया गया है।

रेशम प्रौद्योगिकी मिशन शीघ्र

शीघ्र ही रेशम प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया जाएगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा तैयार इस मिशन के दस्तावेजों को राज्यों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। यह मिशन इस क्षेत्र के तेजी से विकास पर खास जोर देगा। इसके लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बढ़िया रेशम की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। कपड़ा मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रेशम सप्ताह के दौरान यह जानकारी दी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण चंद्र पंत ने कुछ समय पूर्व एक प्रौद्योगिकी मिशन गठित करने का सुझाव दिया था।

श्री पंत ने कहा कि इस क्षेत्र से ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी इलाकों के लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है और जिनमें महिलाओं की बड़ी संख्या है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की काफी संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार यह प्रयास कर रही है कि लोगों को इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष रोजगार के एक करोड़ नए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। 45 करोड़ अमरीकी डालर की निर्यात आय के साथ विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी मात्र 3.7 प्रतिशत है। भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके साथ ही यह इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान और विकास संस्थानों के नए प्रौद्योगिकी पैकेज से बढ़िया क्वालिटी के रेशम के बड़े पैमाने पर उत्पादन की संभावनाएं पैदा हुई हैं।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की
प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 50 ● अंक : 3

पौष–माघ 1925

जनवरी 2004

प्रधान संपादक
विश्वनाथ रामशेष

सहायक संपादक
ललिता खुराना

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, **कुरुक्षेत्र**
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23015014,
फैक्स : 011–23015014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

व्यापार व्यवस्थापक
जगदीश प्रसाद

आवरण
राहुल शर्मा
फोटो : सर्वेश

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

लेख

उपलब्धियों के हाशिए में रोजगार योजनाएं	कृष्ण कल्कि	7
ग्रामीण रोजगार प्रबंधन	डा. आर.एस. बांगड़	17
देश में रोजगार परिदृश्य और भावी रणनीति	नील वाचस्पति	20
स्वर्ण जयंतीग्राम स्वरोजगार योजना आवश्यकता व प्रगति	डा. राधाकृष्ण बिश्नोई	22
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका	चन्द्रेश कुमार	25
ग्रामीण विकास और स्वयंसेवी प्रयास	सुभाष सेतिया	27
नई पीढ़ी गांवों की तस्वीर बदल देगी	कुमार मयंक	29
ग्रामीण विकास को गरमाहट देता गर्म कपड़ा उद्योग	कुलदीप शर्मा	31
ग्रामीण रोजगार सृजन को समर्पित एक संगठन	ममता भारती	34
स्वरोजगार में दम भरेगी सुतली	अनिता वर्मा	35
उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व की तैयारियां	सुरेश 'आनंद'	37

साहित्य

सुराज (कहानी)	कृतनारायण 'प्यारा'	40
दो कविताएं	चंद्र मोहन मिश्र	43

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी – हड्डियों की समस्याओं से जुड़े सवाल–जवाब	डा. राजेंद्र कुमार कनौजिया	44

पुस्तक चर्चा

शब्द थके न चूके	डा. कंचन शर्मा	47

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में ए.के. दुग्गल, सहायक विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत–सम्मत

पर्यावरण संरक्षण जरूरी

ग्रामीण विकास को समर्पित मासिक पत्रिका *कुरुक्षेत्र* का नवंबर 2003 अंक ज्ञानवर्धक एवं रोचक लगा। पत्रिका में पर्यावरण संरक्षण पर अनेक महत्वपूर्ण आलेख पढ़ने को मिले। सचमुच में आज पर्यावरण संरक्षण पूरे विश्व की चिंता है। इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। इसके लिए निरंतर काटे जा रहे वनों पर रोक और वनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। पत्रिका का संपादकीय बेहद पसंद आया।

विनोद आजाद
आदर्श नगर, चौसा, मधेपुरा (बिहार)

जागरूकता जरूरी

कुरुक्षेत्र का नवंबर 2003 का अंक पढ़ा। इस अंक में 'मोतियाबिंद इलाज और आसान' विषय पर जो जानकारी दी गई, वह अत्यंत पसंद आई। मेरी उम्र 42 साल की हो चुकी है। मेरी भी आंखें मोतियाबिंद का शिकार हो चुकी हैं मगर सही इलाज के अभाव में काफी परेशान हूं। अगर सरकारी अस्पतालों में इसका मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो जाए तो करोड़ों रोगी लाभ उठा सकते हैं। शिशु आहार विज्ञापन पर रोक लगाकर सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। इससे माताओं में अपना दूध बच्चे को पिलाने को लेकर जागरूकता आएगी। 'प्रदूषण के जाल में जकड़ता जंतु, जीव एवं जीवन' लेख में बड़ी अच्छी जानकारी मिली। अगर इसी तरह जल प्रदूषित होता रहा तो मानव के लिए जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा। संपादकीय भी हमें बड़ी सीख दे गया। आज हर एक को जागरूक होने की जरूरत है। पत्रिका में बच्चों के लिए भी कहानी, कविताएं प्रकाशित की जाएं। साथ ही आप बड़ों की कम से कम तीन कहानी प्रकाशित करें।

बद्री प्रसाद वर्मा अनजान
गल्लामंडी गोलाबाजार,
गोरखपुर, (उ.प्र.) 273408

संगठित प्रयास जरूरी

पर्यावरण संरक्षण को समर्पित *कुरुक्षेत्र* पत्रिका का नवंबर 2003 का अंक काफी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। प्रत्येक अंक की ही तरह इस अंक का संपादकीय भी सच्चे अर्थों में हमारे मानसपटल पर प्रभावी छाप छोड़ता है। आज हम निश्चित रूप से विकास की कीमत चुका रहे हैं और कीमत भी ऐसी कि भविष्य में जीवन जीने की बजाय किसी तरह 'काटना' पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से 'बाज' नहीं आ रहे हैं। अब जब आधुनिक भौतिकतावाद की लपट गांवों तक पहुंच चुकी है तो गांव भी अपनी खुशहाली, शांतिप्रियता, हरियाली, स्वच्छ पर्यावरण खोते जा रहे हैं। आज हर कोई शहर और गांव के बुनियादी फर्क को मिटाना चाहता है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि विकास और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी कारण हमें संगठित होकर अपने पर्यावरण को बचाने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

'ग्लोबल वार्मिंग एक अहम चुनौती,' 'पर्यावरण संरक्षण में ग्रामीणों की भूमिका' सहित सभी लेख, गज़लें और गीत काफी प्रशंसनीय हैं।

प्रदीप पाण्डेय 'प्रिंस'
बड़कागांव, पयागपुर, जिला–बहराइच (उ.प्र.)

स्तरीय रचनाएं

कुरुक्षेत्र का नवंबर 2003 अंक मिला। पूरी पत्रिका का गेटअप बहुत ही सुंदर है। आवरण का रूप भी पहले से कहीं अधिक निखरा है। ग्रामीण विषयक रचनाओं की जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है। साथ ही सामान्य विषयों पर लिखी रचनाओं में भी आपने स्तर का विशेष ध्यान रखा है। पुस्तक समीक्षा में समीक्षक का परिश्रम झलकता है। इतने सुंदर अंक के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं।

श्याम सुंदर चौधरी
एच–61/4, साहनी कालोनी, कैंट, कानपुर (उ.प्र.)

एक अहम चुनौती

कुरुक्षेत्र का नवंबर 2003 का अंक मिला! बेशक पर्यावरण संरक्षण एक अहम चुनौती है, लेकिन उतना ही चुनौतीपूर्ण काम है इस विषय पर इतनी स्तरीय सामग्री जुटाना। इसमें आप पूरी तरह कामयाब रहे। भविष्य में यदि स्वयंसहायता समूहों, माइक्रो क्रेडिट, ग्रामीण और कृषि सहकारिता, ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, देहाती कला और शिल्प, कृषि उत्पाद विपणन, आदिवासी विकास, ग्रामीण बागवानी और सामुदायिक वनीकरण पर विशेष अंक निकालें तो ये आम आदमी के लिए काफी उपयोगी रहेंगे। हर अंक में सफलता की कम से कम चार कहानियां अवश्य प्रकाशित करें। साहित्यिक सामग्री भी बढ़ा दें तो सोने पर सुहागा!

अजय शर्मा
एल–2, आकाशभारती अपार्टमेंट, प्लाट नं. 24,
पटपड़गंज, आई पी एक्स. दिल्ली–92

क्रांतिभरा कदम

ग्रामीण विकास को समर्पित ज्ञानवर्धक पत्रिका *कुरुक्षेत्र* के नवंबर अंक में 'पर्यावरण संरक्षण में ग्रामीणों की भूमिका' लेख पढ़ा। काफी ज्ञानवर्धक और राष्ट्र विकास हेतु क्रांति भरा कदम है यह लेख। मानो लेखक अपनी लेखनी से ग्रामीण समुदाय से लेकर विश्व के दूसरे कोने तक पर्यावरण क्रांति करना चाहते हैं। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक युग की महाशक्ति एवं सूचना क्रांति में अग्रणी है। सूचना प्रौद्योगिकी लाखों–करोड़ों को जोड़ने वाली विश्वव्यापी तकनीक है और सूचना विज्ञान की ही इकाई है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के द्वारा ज्ञान का जाल फैलाने के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्तमान तौर–तरीकों का ग्रामीण विकास में सात्विक उपयोग प्रकाशित करें।

श्यामानंद शर्मा
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान
पटना विश्वविद्यालय, पटना

पत्रिका नहीं मिलती

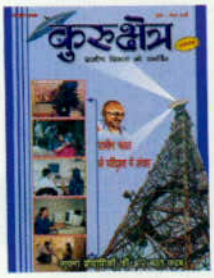

मैं एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हूं जो आज भी शहरी चकाचौंध से काफी दूर है। यहां समाचार के प्रधान स्रोत समाचार–पत्र का अभाव आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यद्यपि हम 21वीं सदी में सूचना क्रांति की बातें बड़े ही गौरवपूर्ण शब्दों में करते हैं परंतु वास्तविकता का उन बातों से कोई संबंध नहीं होता। आज भी खेतों व खलिहानों में रेडियो की ही आवाजें गूंजती हैं। टी.वी. जो समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है, इस गांव की पहुंच से दूर है। इसका प्रधान कारण गांव में बिजली का अभाव है। अक्तूबर 2003 के कुरुक्षेत्र अंक में लक्ष्मीशंकर वाजपेयी के लेख 'ग्रामीण विकास में रेडियो की भूमिका' में स्पष्ट रूप से तथ्यों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। 'ग्रामीण परिदृश्य में उपग्रह संचार', जो दीक्षा बिष्ट द्वारा प्रस्तुत लेख था, पढ़कर काफी प्रभावित हुई। इस लेख में उपग्रह संचार की भूमिका एवं सार्थकता को बड़े ही तार्किक ढंग से विश्लेषित किया गया है। ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका *कुरुक्षेत्र* के निरंतर अवलोकन की आकांक्षी हूं पर ग्रामीण परिवेश में इसकी अनुपलब्धता इसमें आड़े आती है। मैं इसकी नियमित पाठिका हूं। पत्रिका के निरंतर उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ!

रेणु कुमारी
ग्राम–फुलवदिया, पो.–शाहकुंड, भागलपुर, (बिहार)

समसामयिक लेख

आज पहली बार ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका *कुरुक्षेत्र* का अक्तूबर 2003 अंक देखा। 'सूचना समाज की चौखट पर ठिठका गांव' जो सुधेंदु पटेल का लेख था, काफी रोचक एवं ज्ञानवर्धक था। 'ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका' लेख में प्रतापमल देवपुरा ने तथ्यों का अपेक्षित विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दलीप सूद के लेख 'ग्रामीण विकास में टी.वी. की भूमिका' में विस्तारपूर्वक इसकी सार्थकता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। टी.वी. आज निश्चय ही हमारे समाज का एक अभिन्न अंग साबित हो रहा है। इस पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है।

संपादकीय की सरल एवं सुग्राहय भाषा से मैं बेहद प्रभावित हुआ। पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर ही नजर डालने से यह प्रतीत होने लगा कि अक्तूबर के इस अंक में ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े काफी समसामयिक विषयों पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। निश्चय ही ग्रामीण विकास को समर्पित इस पत्रिका में ऐसे विषयों एवं तथ्यों का समावेश है जिनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं यह जानने को भी उत्सुक हूं कि क्या इस पत्रिका का अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित हो रहा है!

अंत में मैं अपेक्षा एवं आशा करता हूं कि यह पत्रिका इसी प्रकार अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की ओर अग्रसर होती रहेगी।

अमरेंद्र कुमार
पोद्दार लॉज, पटेल नगर, टी एन बी कालेज,, भागलपुर, (बिहार)

कुरुक्षेत्र : गांव की गंगा

सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति से ओतप्रोत अक्तूबर अंक पढ़ा। अन्य उपयोगी आलेखों के अलावा लक्ष्मीशंकर वाजपेयी जी का लेख 'ग्रामीण विकास में रेडियो की भूमिका' अत्यंत सारगर्भित रहा। भारत गांवों का देश है जहां लोग कृषि कार्य पर निर्भर रहते हैं। घर से दूर कृषि कार्य करते हुए धरती के आंचल में किसान आराम के क्षणों में जब रेडियो सुनता है तो उसे मनोरंजन के साथ–साथ देश के विकास में भूमिका अदा करने वाला हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय अनेक योजनाओं की जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से सुनाता है। गांव की सौंधी–सौंधी मिट्टी की भाषा में प्रस्तुत यह जानकारी उसकी श्रवणेन्द्रियों से गुजरती हुई हृदय तक जाती है जिसे वह अपनाकर लाभ अर्जित करता है। रेडियो कार्यक्रमों ने गांवों में रेडियो क्रांति ला दी है। इन कार्यक्रमों द्वारा जहां ग्रामीणों का स्वस्थ मनोरंजन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है। आज स्वयंसेवी संगठनों ने भी गांव में विकास की लहर पैदा कर दी है। इसमें महिलाएं आगे आकर कार्यों को अंजाम दे रही हैं। सच में आज गांधीजी का सपना पूरा होता नजर आ रहा है।

दिलीप कुमार जायसवाल
ग्राम+पो.–चिरैयाकोट, बागदासी , मऊ (उ.प्र.)

शिक्षा पहली प्राथमिकता

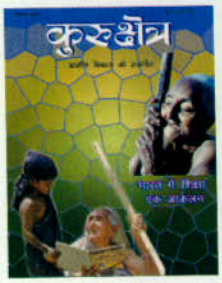

'भारत में शिक्षा एक आकलन' पर केंद्रित *कुरुक्षेत्र* का सितंबर, 2003 अंक स्वागतयोग्य ही नहीं, काफी विचारोत्तेजक भी है। इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षा आज हमारी अनिवार्य आवश्यकता हो गई है। मानव जीवन के अपेक्षित मूल्यों के प्रति बेहतर जीवनयापन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा विपरीत परिस्थितियों में संबल प्रदान करती है। इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों एवं संभावनाओं के संदर्भ में आज शिक्षा निस्संदेह पहली प्राथमिकता बन गई है। कहना न होगा कि मनुष्य के रूप में समन्वित विकास के लिए शिक्षा हमारी मूलभूत जरूरतों में से एक है जिसकी बुनियाद पर हम मानव विकास की बुलंद इमारत खड़ी कर सकते हैं। पर अफसोस! जब प्राथमिक शिक्षा की नींव ही कमजोर हो, तो कैसे हो इमारत बुलंद! वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह एक ज्वलंत एवं विचारणीय प्रश्न है। 'संपादकीय' से यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 57वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी के ढाई लाख शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया है। और हां, एक बात की ओर मैं खासतौर पर सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि जब तक हम शिक्षकों का हार्दिक सम्मान नहीं करेंगे, तब तक भारत की सर्वांगीण प्रगति की बात करना बेमानी होगी। शिक्षकों को यथोचित सम्मान देकर ही हम बेहतर परिणाम की आशा कर सकते हैं।

निशा राय
द्वारा डा. विद्यानंद राय, गढ़बनैली, पूर्णिया, बिहार

ज्ञानवर्धक अंक

शिक्षा जैसे मूलभूत और प्राथमिक विषय पर पूर्णतः केंद्रित, ग्रामीण विकास को समर्पित *कुरुक्षेत्र* का सितंबर अंक 'भारत में शिक्षा एक आकलन' काफी ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक व प्रभावी लगा। इक्कीसवीं सदी का भारत और शिक्षा संकट एक अवलोकन, शिक्षा आपके द्वार : एक अभिनव प्रयोग, छात्र–छात्राएं अपनी शक्ति पहचानें, निर्धनता निवारण के लिए शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा के लक्ष्य पूरे व उत्तरांचल में महिला शिक्षा लेखों में काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं तथा तथ्यों का संकलन था, जो काफी सराहनीय लगा। संपादकीय ने अपने संजोए स्वप्नों को वास्तविक आकार देने, अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक नजरिया व निरंतर प्रयासरत रहने के लिए चैतन्य किया। संपादकीय में शिक्षा के महत्व व उपयोगिता की भी बात कही गई है। ज्ञातव्य है कि जीवन के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। किंतु एक प्रश्न जोकि पूरी युवा पीढ़ी को विचलित कर रहा है, वह यह है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा को अलग–अलग नजरिए से क्यों देख रही है! वर्तमान में जहां एक ओर सरकार सभी को साक्षर व शिक्षित बनाने के लिए प्रयासरत है जिसमें कुछ प्रतिशत सफलता भी मिली है और भविष्य में इस संबंध में निःसंदेह सकारात्मक परिणाम होंगे वहां दूसरी तरफ उच्चशिक्षा में निजीकरण जैसे कठोर निर्णयों को भी लागू करने का प्रयास कर रही है, यह कहां तक तर्कसंगत है?

तूलिका
ए14/74 ए, राजघाट, वाराणसी

गांवों की गतिहीनता

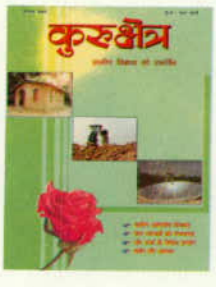

अगस्त माह का अंक पढ़ा। काफी संतुष्टि की अनुभूति हुई। एक सचेत भारतीय नागरिक का गर्व लिए भारत के भविष्य व इसके हृदयस्थल गांवों के विकास की गतिहीनता देखकर मन बैठ–सा जाता है। न जाने विकास की गाड़ी गांवों में पिछले 57 वर्षों से कुछ यूं अटकी है कि आगामी 57 वर्ष भी इसे गति प्रदान करने में अक्षम प्रतीत होते हैं। प्रथम संसद के गठन से लेकर आज तक गांवों के विकास के लिए जितनी भी कोशिशें हुईं, सभी की सभी सफलता से दूर ही रह गईं। यदि इनके विकास हेतु आवंटित धनराशि के मोटेतौर पर आंकड़े देखें तो यही लगता है कि यदि उसका 25 प्रतिशत भी सही तरह से खर्च होता तो आज भारत गांवों का गरीब देश नहीं बल्कि विकसित गांवों का विकसित भारत बन गया होता। कलाम साहब का 2020 मॉडल व वाजपेयी महोदय का ग्रामीण प्रेम न जाने हमारे गांवों के विकास की गाड़ी को गति दिलाने में कितने सफल होंगे। इनके विकास को गति देने हेतु क्रायोजेनिक सुपरसोनिक इंजन न लाना पड़ जाए! हम सभी को अपने सुंदर अतीत, सशक्त वर्तमान व सुनहरे भविष्य हेतु गांवों को गतिशील बनाना ही होगा। निज में राष्ट्रीय चरित्र को प्रबल करना ही होगा जो हमारे आने वाले कल व आवाज दे रही पीढ़ी को संवारे व स्वागत करें एक विकसित व गौरवमयी कल का।

राकेश कुमार दूबे (एम.ए. पूर्वार्ध)
राजनीति विज्ञान,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

महत्वपूर्ण दस्तावेज

अगस्त का *कुरुक्षेत्र* पिछले अंकों की भांति ही काफी ज्ञानवर्धक एंव संग्रहणीय रहा। इस अंक में 'ग्रामीण आवसीय योजनाएं: एक आकलन,' 'बी.पी.एल. सेंसस : एक चुनौतीपूर्ण कार्य,' उ.प्र. की 10वीं योजना (02–07) ग्रामीण विकास की रणनीति एवं संभावनाएं' एवं 'खरगोश पालन : एक उपयोगी व्यवसाय' आदि लेख काफी ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी थे। मेरे जैसे शोध छात्र के लिए उपर्युक्त लेख साधारण न होकर आर्थिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। यहां पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप *कुरुक्षेत्र* में ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न अद्यतन आंकड़ों को एक पूरे पृष्ठ में प्रकाशित किया करें।

'खरगोश पालन : एक उपयोगी व्यवसाय' जैसे रोजगार देने वाले उपयोगी व्यवसाय के बारे में लेख प्रत्येक अंक में दिया करें।

रवीन्द्र सिंह चंद्रवंशी
11/7, लेखा नगर, रिज रोड, जबलपुर, (म.प्र.)

ग्रामीण विकास का दर्पण

अगस्त 2003 का अंक पढ़ा। ग्रामीण आवासीय योजनाओं पर केंद्रित डा. उमेशचंद्र अग्रवाल का लेख काफी जानकारीपूर्ण तथा संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। पवित्र नदियों में फैलती गंदगी और प्रदूषण से अवगत कराते वेद प्रकाश अरोड़ा के लेख ने दिल को झकझोर दिया। ठोस कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर इस पर रोक लगाने की जरूरत है। सौर ऊर्जा के महत्व को दर्शाते डा. प्रदीप कुमार मुखर्जी के लेख ने ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में सौर ऊर्जा का योगदान काफी बेहतरीन ढंग से दर्शाया है।

सय्यद रफीक रज्जाकमियां
मु.पो.–अंबासाखर, अंबाजोगाई, बीड, महाराष्ट्र

दसवीं योजना यथार्थस्वरूप हो

अगस्त *कुरुक्षेत्र* का अंक पढ़ा जिसमें डा. नीता गुप्ता के द्वारा उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं के बारे में हृदयग्राही जानकारी दी गई। यह जानकर हर्ष हुआ कि प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के प्रति आंखें खोले हुए है। परंतु ये विडंबना ही है कि देश में सबसे अधिक मानवशक्ति का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी यह बीमार राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रदेश में सबसे अधिक पोलियों के मरीज हैं। कुपोषण की दृष्टि से ये प्रदेश अग्रणी है जो यहां कार्यान्वित होने वाली स्वास्थ्य योजनाओं पर प्रश्नचिह्न लगाता है। साक्षरता की स्थिति यह है कि ये प्रदेश सभी 28 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में नीचे से पांचवें स्थान पर आता है।

अतः प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो उल्लेख हुआ, जिन विकास कार्यों के बारे में सोचा गया है, उन्हें यथार्थ के धरातल पर उतारें। साथ ही जिस योजना के लिए जो धन निर्धारित किया गया हैं, वह उसी पर ईमानदारी से खर्च हो।

अभिनय कुमार शर्मा
337, कर्मचारी नगर, बरेली (उ.प्र.)

संपादकीय

नया साल पर मुद्दे वही पुराने! अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, गरीबी, बीमारी, जनसंख्या विस्फोट ...। कहने का तात्पर्य यही है, कि साल–दर–साल मुद्दे वही रहते हैं, बदलता है तो उनका स्वरूप। चूंकि ये समस्याएं भारत जैसे विकासशील देश में इतनी गहरी पैठ बनाए हुई हैं कि इन्हें दूर करना कोई साल–दो साल का लक्ष्य नहीं हो सकता बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके परिणाम अगले 10–12 वर्षों तक शायद ज्यादा साफ दिख सकें।

इस 26 जनवरी को हम अपना 55वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इन दौरान हमारे देश ने कई क्षेत्रों में महान उपलब्धियां हासिल की हैं लेकिन कई समस्याएं अभी भी ज्यों की त्यों विद्यमान हैं। उनमें से ही एक समस्या है बेरोजगारी की। हमारे देश में इस समय करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं यानी रोजगार की दृष्टि से हमारा देश चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। इस भयावह स्थिति से निपटने का एकमात्र विकल्प स्वरोजगार ही दिखाई देता है। दसवीं योजना में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जाहिर तौर पर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना ही एक बेहतर विकल्प प्रतीत होता है क्योंकि नौकरियों और रोजगार के अवसरों में निरंतर कमी आ रही है। सरकारी क्षेत्र हो या निजी, सभी जगह कम कीमत पर उच्च क्वालिटी हासिल करने की होड़–सी लगी है जिसे प्राप्त करने के लिए नौकरियों में लगातार कटौती हो रही है। इस समय 4.07 करोड़ शिक्षित युवा रोजगार केंद्रों में नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। (अप्रैल, 2003 तक) ऐसे में सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं का हतोत्साहित होना स्वाभाविक है, किंतु क्या कभी आपने सोचा कि आप सरकारी नौकरी ही क्यों करना चाहते हैं? कभी आपने अपना व्यवसाय करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? इसमें कोई शक नहीं कि अपने व्यवसाय में ज्यादा मेहनत और खतरे जुड़े होते हैं लेकिन परिणाम भी तो आप अपनी योग्यतानुसार हासिल कर सकते हैं।

इस साल क्यों न हम कुछ नया करने की सोचें ...! कुछ नए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने का प्रण लें। कुछ ऐसी राहें ढूंढें जो हमारे जीवन को उज्जवलता और समृद्धता की ओर ले जाएं। जीवन की राहें उज्जवल होती हैं नैतिकता, निष्ठा, ईमानदारी एवं शिक्षा से और समृद्ध होती हैं मेहनत से। वैसे भी आने वाले समय में उद्यमशीलता और कौशल लगातार बढ़ाने से ही कामयाबी हासिल हो सकेगी, यह बात नई पीढ़ी को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। आज न केवल स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने की जरूरत है बल्कि साथ ही जरूरी है स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण द्वारा युवाओं को तैयार करने की और अपना उद्यम लगाने के लिए आसान शर्तों पर ऋण तथा सहयोग राशि उपलब्ध कराने की। खासतौर से हमारे गांवों में स्वरोजगार से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। महात्मा गांधी ने अपने सपनों के भारत में भी एक "स्वावलंबी गांव" की ही कल्पना की थी।

आज स्वयंसहायता समूह, एग्रो क्लीनिक, एग्रो बिजनेस सेंटर तथा कृषि विज्ञान केंद्र जैसी तकनीकी तथा व्यावसायिक गतिविधियों से ग्रामीणों के कष्ट कम हुए हैं, उनकी जानकारी बढ़ी है और उनमें अपनी मदद स्वयं करने का जज़्बा भी पैदा हुआ है। नई पीढ़ी को रचनात्मक कार्यों में लगाकर समग्र ग्राम्य विकास की दिशा में हो रहे इन प्रयासों के परिणाम बेहद सार्थक हैं और हजारों युवाओं को नई दिशा दिखा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कापार्ट कार्यक्रम के तहत चल रही योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से गैर–सरकारी संगठनों को अपने–अपने क्षेत्र में योजनाएं चलाने के लिए 20 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की जा सकती है। इस योजनाओं से प्रशिक्षण प्राप्त करके गांव के लोग अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं जिसके लिए बैंकों तथा राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता तथा रियायती ब्याज दरों पर ऋण भी लिया जा सकता है। ऐसी ही कई योजनाएं विभिन्न सरकारी मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही हैं जिनका संक्षिप्त ब्यौरा इस अंक में शामिल है।

इस अंक में स्वास्थ्य–चर्चा में हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से संबद्ध जानकारी दी गई है। साथ ही अन्य नियमित स्तंभ कहानी, कविता, पुस्तक चर्चा, सफलता की कहानी आदि तो हैं ही। सभी पाठकों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं! ❑

आप सबके लिए अनूठा उपहार

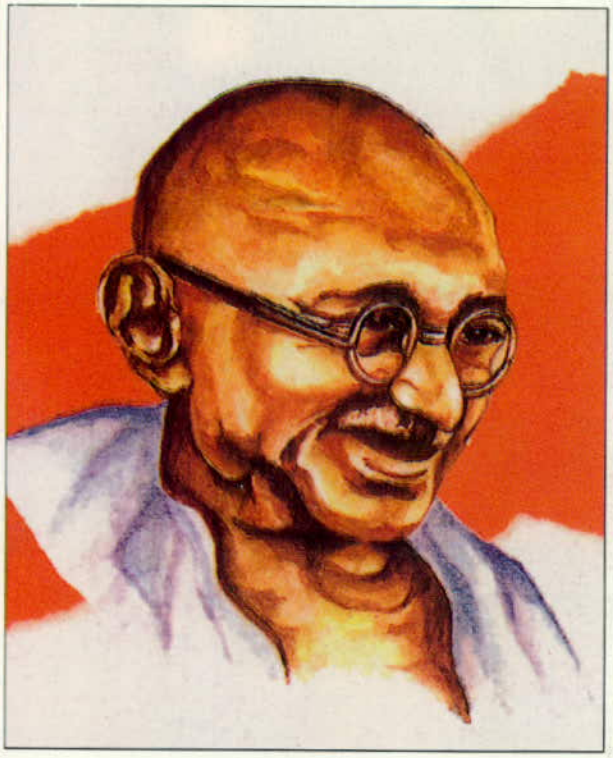

महात्मा गांधी सी.डी.

इस मल्टीमीडिया सी.डी. में गांधी जी पर 30 मिनट की फिल्म फुटेज, 550 से अधिक चित्र, करीब 15 मिनट की गांधी जी की आवाज और इलेक्ट्रानिक बुक में साठ हजार से अधिक पृष्ठों में विस्तृत सांकेतिका के साथ सम्पूर्ण गांधी वाड्.मय संकलित है।

मूल्य : 2000 रुपये

गांधी जयंती के अवसर पर विशेष छूट

विद्यार्थी	:	10 %
संस्थाएं	:	20 %
थोक विक्रेता	:	33 %

गांधी साहित्य

ऐसे थे बापू, गांधी शतदल, बापू की ऐतिहासिक यात्रा, महात्मा गांधी (चित्रमय जीवनगाथा), *शांतिदूत गांधी, संपूर्ण गांधी वाड्.मय* (97 खंडों में), *नमक आंदोलन, महात्मा गांधी सी.डी.*

विक्रय और अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें

पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001 (फोन : 2338 7069); सूचना भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 (फोन : 2436 7260); हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054 (फोन : 2389 0205); कामर्स हाउस, करीम भाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई–400038 (फोन : 2261 0081); 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता–700069 (फोन : 2248 8030) राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई–600090 (फोन : 2491 7673); बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना–800004 (फोन : 2230 0096); प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम–695001 (फोन : 2330 650); हॉल नं. 1, द्वितीय तल, केंद्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ–226024 (फोन : 2325455); प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर–560034 (फोन : 2553 7244); अंबिका काम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, अहमदाबाद–380007 (फोन : 2658 8669); नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी–781001 (फोन : 2516 792); ब्लाक नं. 4, गृहकल्प काम्प्लेक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, हैदराबाद–500001 (फोन : 2460 5383); पीआईबी, 80, मालवीय नगर, भोपाल–462003 (फोन : 2556 350); पीआईबी, सीजीओ काम्प्लेक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) (फोन : 2494 193); पीआईबी, बी–7/बी, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302001 (फोन : 2384 483)।

वेबसाइट : **www.publicationsdivision.nic.in** ई–मेल : **dpd@sb.nic.in** एवं **dpd@hub.nic.in**

उपलब्धियों के हाशिए में रोजगार योजनाएं

☞ कृष्ण कल्कि

विभिन्न मंत्रालयों की ओर से फिलहाल बहुतेरी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनके अमल के क्रम में ग्रामीणजन अपने लिए रोजगार जुटा सकते हैं। कुछ योजनाएं व्यक्तियों के लिए हैं तो कुछ से रोजगार के अवसर संस्थानों के जरिए मिलते हैं। ऐसी तमाम योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रस्तुत है एक विहंगम समीक्षात्मक दृष्टि–

जनसंख्या, निश्चित भू–भाग, सरकार और प्रभुसत्ता के रूप में जिन चार तत्वों के बूते किसी राष्ट्र का अस्तित्व निर्धारित होता है, उसका बुनियादी घटक है मनुष्य। राष्ट्र के पहले तत्व के रूप में चिन्हित जनसंख्या की आधारभूत इकाई भी वही है। राष्ट्र के वजूद के लिए मनुष्य जरूरी है और मनुष्य के वजूद के लिए जरूरी है भोजन, वस्त्र तथा आवास; जिसे सामान्य बोलचाल में रोटी, कपड़ा और मकान के तौर पर मनुष्य की बुनियादी जरूरतों में गिना जाता है।

अपनी इन बुनियादी जरूरतों की परिपूर्ति के लिए मनुष्य को जरूरत पड़ती है रोजगार की। रोजगार से अर्जित धनराशि से ही मनुष्य अपने और अपने परिवार के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था कर सकता है। रोजगार मनुष्य ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की भी प्राणधारा है क्योंकि एक तो मनुष्य स्वयं एक सामाजिक प्राणी है, उसी का समूहन ही समाज की संज्ञा से नामित है और दूसरे, समाज की हर गतिविधि की अर्थवत्ता भी उस धनागम पर टिकी है जो रोजगार का सहज–स्वाभाविक अर्जन है। यही वजह है कि सामाजिक व्यवस्था का अंग–प्रत्यंग रोजगार से प्राणित है और हर मनुष्य रोजगार के प्रति उन्मुख। अब यह अलग बात है कि समाज में कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध है लेकिन उन्मुखता और चाह हर व्यक्ति की रोजगार के प्रति है। रोजगार– हीनता की स्थिति में किसी की अनुकंपा से जीवनयापन तो चाहे बेशक हो ले, किंतु आत्मविश्वास की दरकन से झांकती आत्मच्युति और आत्महीनता भी तब स्वाभाविक दुष्परिणाम के तौर पर सामने आएगी। विकास, प्रतिभा, आत्मविश्वास और आत्मत्ता की बलि अंतत: मनुष्य होने की गरिमा को घटाती है।

किसी मनुष्य के जीवन में इससे भी बुरा दिन आखिर क्या हो सकता है कि वह अपने मनुष्य होने की गरिमा को ही खो दे। रोजगारहीन व्यक्ति चूंकि अपनी ही गरिमा से आत्यंतिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर च्युत हो चुका होता है, इसलिए उससे जो राष्ट्र बनता है, वह भी बीमार होता है। किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य का थर्मामीटर यह है कि कितनी संख्या में उसके नागरिक रोजगारशुदा हैं। जिस राष्ट्र के नागरिक जितनी अधिक संख्या में बेरोजगार होंगे, वह राष्ट्र उतना ही अधिक समस्याग्रस्त और बीमार–बेनूर होगा; क्योंकि नागरिक ही किसी राष्ट्र के आधारभूत तथा अविभाज्य आदितत्व हैं।

यही वजह है कि भारत में आजादी के बाद से ही अधिक–से–अधिक लोगों को रोजगारसंपन्न बनाने के प्रयासों को पहली प्राथमिकता के तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। लोकतांत्रिक सरकार का कर्त्तव्य भी है कि वह राष्ट्र की प्रभुसत्ता से हासिल 'तंत्र' के जरिए उसके 'लोक' को भी अधिकतम संभव रूप से गरिमाकूल और समर्थ–संपन्न बनाए। इसी ख्याल से हर पंचवर्षीय योजना में ऐसे प्रावधान किए जाते रहे हैं जिनके आयोजनात्मक अमल अधिक–से–अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करा सकें। इसीलिए विकास के ध्येय से नियोजित योजनाओं का भी स्वरूप ऐसा रहा है कि उनके क्रियान्वयन के क्रम में रोजगार के गलियारे भी प्रकारांतर से खुल सकें – चाहे सतत तौर पर या आवधिक आधार पर।

रोजगार योजनाओं की सघनता और सफलता के साथ–साथ देश में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों की कमी, श्रमशक्ति के अनुपयोग, दूषित शिक्षा प्रणाली, अमल में खामी जैसे तमाम कारणों के चलते भी बेरोजगारी बढ़ती रही है। सतत बेरोजगारी के अलावा मौसमी बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी आदि के नए रूप भी सामने आए हैं। शहरों से कहीं अधिक विकट स्थिति गांवों की है। रोजगार के परंपरागत अवसर भी कम होते जा रहे हैं और रोजगार के नाम पर नौकरियों की गुंजाइश भी दिनोंदिन सिकुड़ती जा रही है।

सबको नौकरी मिल नहीं सकती, किंतु रोजगार सबको चाहिए। इसलिए स्वरोजगार पर जोर देने की आवश्यकता महसूस की गई, जो गांवों के लिए विशेष मुफीद है क्योंकि तब रोजगार के लिए ग्रामीणों को शहर भागने की

जरूरत नहीं। विभिन्न मंत्रालयों की ओर से फिलहाल बहुतेरी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनके अमल के क्रम में ग्रामीणजन अपने लिए रोजगार जुटा सकते हैं। कुछ योजनाएं व्यक्तियों के लिए हैं तो कुछ से रोजगार के अवसर संस्थानों के जरिए मिलते हैं। ऐसी तमाम योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रस्तुत है एक विहंगम समीक्षात्मक दृष्टि–

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण क्षेत्रों के सम्यक विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में इस मंत्रालय की ओर से ऐसी अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जो आम और जरूरतमंद ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। ये योजनाएं आजादी के बाद से लेकर अब तक की आधी सदी से भी अधिक अवधि से ग्रामीण जनों को रोजगार मुहैया करा रही हैं – हालांकि इनमें से बहुतेरी योजनाओं का स्वरूप इस दौरान काफी कुछ बदल गया है। कइयों को युगानुरूप किया गया है जबकि कुछ योजनाएं समय–समय पर विभिन्न योजनाओं के एकीकृत अथवा समग्रीभूत रूप में भी उभरकर सामने आई हैं। आजादी के बाद बनी हर सरकार की प्राथमिकता चूंकि ग्रामीण विकास ही रही है और ग्रामीण विकास को गति भी चूंकि ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराकर ही दी जा सकती है, इसलिए ग्रामीण विकास के साथ ही साथ स्वरोजगार भी इन योजनाओं के हमेशा केंद्र में रहा है। इन योजनाओं की कतार में समय–समय पर तत्कालीन जरूरत के मुताबिक नवीनता का संधान भी किया जाता रहा।

इन योजनाओं को मौजूदा स्थिति के अनुसार मुख्यतः तीन धाराओं में बांटा जा सकता है – (1) भूमि संसाधनों से संबंधित योजनाएं, (2) ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित योजनाएं, तथा (3) ऐसी योजनाएं जो सीधेतौर पर ग्रामीण विकास और स्वरोजगार से संबंधित हैं। तीनों ही धाराओं से संबंधित योजनाएं अपने–अपने प्रारूपों और प्रविधियों के अनुसार आम ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। कुछ योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को सीधे व्यक्तिगत स्तर पर मिल रहा है, तो कुछ का लाभ उनकी अपनी विभिन्न संस्थाओं के जरिए।

तालिका–1

ग्रामीण विकास संबंधी प्रमुख योजनाएं : रोजगार प्रापकों की स्थिति (प्रतिशत में)

क्रमांक	योजना संकेत	संदर्भित सकल ग्रामीण रोजगार प्रापकों में हिस्सा[1]
1.	एकीकृत परती भूमि विकास	46.32
2.	गैर–वनीय क्षेत्रों में तकनीकी विकास व प्रशिक्षण के जरिए परती भूमि विकास	22.57
3.	गैर–वनीय क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन के जरिए परती भूमि विकास	13.48
4.	सूखा संभावित क्षेत्र विकास	8.62
5.	स्वर्णजयंती रोजगार योजना	50.08

1. 31 मार्च, 2002 तक की स्थिति

● स्रोत : सर्वेक्षण रिपोर्ट (2002), के.वी.एम. इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट

भूमि संसाधनों से संबंधित योजनाएं दो तरह की हैं – एक तो भूमि सुधार से संबंधित और दूसरी परती भूमि के विकास के संबंधित। इनमें से अधिकतर योजनाएं ग्रामीणों को अल्पकालिक अथवा आवधिक रूप से स्व–रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं। एकीकृत परती भूमि विकास परियोजना इस श्रेणी की योजनाओं में प्रमुख है जिसका लाभ ग्रामीणों को उनकी स्वैच्छिक संस्थाओं, स्वयं– सहायता समूहों, पंचायतों आदि के जरिए सांस्थानिक रूप से मिल रहा है। भूमि संसाधन संबंधी योजनाओं से 31 मार्च, 2002 तक सर्वाधिक 46.32 प्रतिशत व्यक्तियों ने लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त गैर–वनीय क्षेत्रों में तकनीकी विकास और प्रशिक्षण के जरिए परती भूमि विकास संबंधी योजना से 31 मार्च, 2002 तक 22.57 प्रतिशत ग्रामीणों को लाभ पहुंचा जबकि गैर–वनीय क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन के जरिए परती भूमि के विकास संबंधी योजना ने इसी अवधि तक 12.48 प्रतिशत ग्रामीणों को लाभान्वित किया। इनमें से पहली योजना का लाभ केवल सांस्थानिक रूप से मिला है, जबकि दूसरी योजना के लिए ग्रामीणों की संस्थाओं के अलावा व्यक्तिगत रूप से भी ग्रामीणजन पात्र रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1973–74 में प्रारंभ सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास संबंधी योजना भी सांस्थानिक रूप से ग्रामीणों को लाभ पहुंचाती है जिससे वित्तीय वर्ष 2001–02 तक 8.62 प्रतिशत लोगों को लाभ मिला। यह आंकड़ा भूमि संसाधनों से संबंधित सभी योजनाओं के लाभार्थियों के परिप्रेक्ष्य में है।

वर्ष 1986 में प्रारंभ ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से संबंधित योजना का स्वरूप काफी–कुछ बदलकर अब अमूमन सूचना, शिक्षा व संचार की तकनीक पर केंद्रित हो गया है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीणों के स्वैच्छिक संगठनों, महिलासमूहों, सहकारी संस्थाओं, स्वयंसहायता समूहों आदि के जरिए हो रहा है। इसके तहत प्राप्त धनराशि से भी ग्रामीणों के लिए अल्पावधिक रूप से रोजगार का सृजन हो रहा है।

सीधेतौर पर ग्रामीण विकास और स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना प्रमुख है। ऋण और अनुदान के उपयुक्त संतुलन पर आधारित तथा वित्तीय वर्ष 1999–2000 से प्रवर्तित यह योजना दरअसल पूर्व की अनेक स्वरोजगार योजनाओं का समग्रीभूत रूप है। पूर्व की ऐसी सभी योजनाएं अब स्वर्णजंयती ग्राम रोजगार योजना में समाहित हैं, इसलिए इस योजना को ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार प्रदान करने वाली प्रमुख योजना माना जाता है। इस योजना का लाभ पंचायती संस्थाओं आदि के जरिए हर ग्रामीण को व्यक्तिगत रूप से तथा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाता है और प्राप्त धनराशि से ग्रामीण पात्रों को लगभग हर तरह के स्वरोजगार स्थापित करके दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करते रहने का अवसर मिलता है। किसी

भी सरकारी योजना के चलते जिन ग्रामीणों ने स्वरोजगार स्थापित किया है, मार्च 2003 तक की स्थिति के अनुसार इनमें से सर्वाधिक 50.08 प्रतिशत हिस्सा इसी योजना से संबंधित है। वैसे, कुछ गैरसरकारी सर्वेक्षणों से इस योजना से जुड़े कृष्ण पक्ष पर भी प्रकाश पड़ता है – (1) जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ काफी मुश्किल से मिलता है जबकि प्रभावशाली लोग अपने पाल्यों के नाम से आपस में ही बंदर बांट कर लेते हैं; (2) जिन ग्रामीणों ने स्वरोजगाार स्थापित किया भी, उनमें से करीब एक तिहाई लोग समुचित प्रशिक्षण के अभाव में उसे चला नहीं पाए, आदि। इस योजना का लाभ ग्रामीणों की विभिन्न संस्थाओं, स्वयंसहायता समूहों आदि को भी मिलता है किंतु व्यक्तिगत लाभाकांक्षियों का अनुपात हर वर्ष अधिक रहा है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के ध्येय से समग्र आवास योजना सहित कुल चार योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका वास्ता रोजगार से महज इतना ही है कि यदि कहीं कोई मकान इन योजनाओं के बूते बन रहा हो तो उसमें निर्माणावधि के दौरान किन्हीं लोगों को मिस्त्री–मजदूर का काम तात्कालिक रूप से मिल जाए।

15 अगस्त 1995 से प्रवर्तित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत चल रही तीनों योजनाएं हालांकि जरूरतमंदों को लाभ तो व्यक्तिगत स्तर पर देती हैं किंतु वे सही अर्थों में रोजगार योजनाएं नहीं हैं क्योंकि इनमें से एक वृद्धों को पेंशन उपलब्ध कराती है और दूसरी प्रसूता माताओं को लाभान्वित करती है जबकि तीसरी समग्र परिवार को।

खादी एवं ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योगों के जरिए भी ग्रामीणजनों को स्वरोजगार मुहैया होता है। भारत में ग्रामोद्योगों का इतिहास सदियों पुराना है। दरअसल यह गांवों में ग्रामीणों द्वारा छोटे–छोटे स्तरों पर चलाया जाने वाला परंपरागत उद्यम है। आजादी से पूर्व अंग्रेजों ने हालांकि अपने निहित स्वार्थों के चलते ऐसे उद्योगों के विकास पर कोई खास जोर नहीं दिया था, किंतु आजादी के बाद आई लोकतांत्रिक

तालिका–2

खादी ग्रामोद्योग संबंधी योजनाएं : रोजगार प्रापकों की स्थिति

क्रमांक	ग्रामोद्योग समूह	कुल रोजगार–प्रापक[1] (व्यक्ति संख्या)	संदर्भित सकल रोजगार प्रापकों में हिस्सा (प्रतिशत में)
1.	खनिज आधारित[2]	72,13,184	14.08
2.	वनाधारित[3]	56,96,776	11.12
3.	कृषि आधारित[4]	92,57,216	18.07
4.	बहुलक व रसायन आधारित[5]	62,91,044	12.28
5.	इंजीनियरिंग और गैर–परंपरागत ऊर्जा आधारित[6]	87,70,576	17.12
6.	वस्त्र संबंधी[7]	67,98,221	13.27
7.	सेवा आधारित[8]	72,02,938	14.06
	योग	5,12,29,955	100

1. दिसंबर 2001 तक की स्थिति; 2. वर्गीकृत ग्रामोद्योग : 15; 3. वर्गीकृत ग्रामोद्योग : 12; 4. वर्गीकृत ग्रामोद्योग : 21; 5. वर्गीकृत ग्रामोद्योग : 13; 6. वर्गीकृत ग्रामोद्योग : 25; 7. वर्गीकृत ग्रामोद्योग : 11; 8. वर्गीकृत ग्रामोद्योग : 19;

● स्रोत : सर्वेक्षण रिपोर्ट (2002), दि एसोसिएशन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज

व्यवस्था में ग्रामोद्योगों की खासी सुधि ली गई। वर्ष 1953 में अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मंडल की स्थापना इन प्रयासों में गति लाने के ध्येय से की गई। अप्रैल 1957 में संसद में पारित एक अधिनियम के प्रभावस्वरूप एक स्वायत्तशासी संगठन के तौर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई जिसने मंडल से कार्यभार ग्रहण किया। इसके साथ ही ग्रामोद्योगों के विकास के लिए नई योजनाएं शुरू की गईं और आम ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए।

आयोग द्वारा प्रवर्तित सभी योजनाएं ग्रामीणों को व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि संस्थागत रूप से स्वरोजगार मुहैया कराती हैं। इसके लिए ग्रामीणों की संस्थाओं को ग्रामोद्योग की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। ग्रामोद्योगों को सात समूहों में बांटा गया है। अभ्यर्थी संस्था इनमें से किसी एक ग्रामोद्योग की स्थापनार्थ सहायता के लिए आवेदन कर सकती है। कुछेक ग्रामोद्योग हालांकि क्षेत्र विशेष में ही स्थापित किए जा सकते हैं, जबकि अधिकतर ग्रामोद्योगों को आयोग ने देश भर में स्थापित किया जाना संभव करार दिया है।

पहले समूह के ग्रामोद्योग खनिज आधारित हैं। इस समूह में कुम्हारी, चूना–उत्पाद, पत्थर कटाई, पत्थर निर्मित वस्तुओं, स्लेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बर्तन पाउडर, जलावन ब्रिकेट, आभूषण, गुलाल, चूड़ी, कांच खिलौना, सजावटी शीशा तथा रत्न कटाई से संबंधित ग्रामोद्योग शामिल हैं। वर्ष 2001 तक इस समूह के ग्रामोद्योगों के जरिए देश के कुल 72,13,184 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है जोकि सकल ग्रामोद्योगों से उपलब्ध स्वरोजगार का 14.08 प्रतिशत है।

दूसरे समूह के अंतर्गत वनाधारित ग्रामोद्योगों को चिन्हित किया गया है। इस समूह में हस्तनिर्मित कागज, कत्था, गोंद–रेजिन, लाख, दियासलाई (कुटीर), बांस–बेंत, कागजी प्याले, जिल्दसाजी, खसटट्टी, वनोत्पाद संग्रह, फोटो फ्रेमिंग (कुटीर) तथा जूट उत्पाद (कुटीर) से संबंधित ग्रामोद्योगों का शुमार है। इस समूह के ग्रामोद्योगों के जरिए वर्ष 2001 तक कुल 56,96,776 लोगों को रोजगार मिल रहा है जो समस्त ग्रामोद्योगों के स्वरोजगारियों का

11.12 प्रतिशत है।

तीसरे समूह में कृषि आधारित तथा खाद्य संबंधित ग्रामोद्योगों को रखा गया है। इस समूह के अंतर्गत मसाला (कुटीर), नूडल (कुटीर), आटा चक्की, दलिया, चावल छिलका, ताड़–गुड़, गन्ना–गुड़, मिष्ठान (भारतीय), रसवंती, मधुमक्खी पालन व शहद, अचार व मुरब्बा, घानी तेल, मेंथाल, नारियल इतर रेशा, जड़ी–बूटी संग्रह, मक्का–रागी प्रशोधन, मज्जा कार्य, काजू प्रशोधन (कुटीर), पत्ता दोना, दुग्ध उत्पाद (कुटीर) तथा पशु चारे (कुटीर) से संबंधित ग्रामोद्योग शामिल हैं। वर्ष 2001 तक इस समूह के ग्रामोद्योगों के जरिए 92,57,261 लोगों को रोजगार मिल रहा है जो समस्त ग्रामोद्योगों के जरिए स्वरोजगार पाने वालों का 18.07 प्रतिशत है।

चौथे समूह में बहुलक और रसायन आधारित ग्रामोद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। इस समूह के तहत चर्मशोधन (कुटीर), साबुन (कुटीर), रबड़ वस्तु, रेग्जीन (कुटीर), हाथीदांत, मोमबत्ती–कपूर, पैकेजिंग वस्तु (कुटीर), बिंदी, मेहंदी, इत्र, शैंपू (कुटीर), केश तेल (कुटीर) तथा धुलाई पाउडर (कुटीर) संबंधी ग्रामोद्योगों को शुमार किया गया है। इस समूह के ग्रामोद्योगों के जरिए वर्ष 2001 तक कुल 62,91,044 लोगों को रोजगार मिल रहा है जो ग्रामोद्योगों के सकल स्वरोजगारियों का 12.28 प्रतिशत है।

पांचवें समूह में इंजीनियरिंग और गैर–परंपरागत ऊर्जा पर आधारित उन ग्रामोद्योगों को रखा गया है जो कुटीर स्तर पर चलते हों। इस समूह के अंतर्गत बढ़ईगिरी, लोहारी, अल्यूमीनियम बर्तन, गोबर उत्पाद, पिन, केंचुआ पालन, सजावटी बल्ब, छाता, सौर व पवन ऊर्जा से संबद्ध उपकरणों, हस्तनिर्मित पीतल बर्तन, हस्तनिर्मित तांबा बर्तन, हस्तनिर्मित कांसा बर्तन, पीतल–तांबा–कांसा निर्मित वस्तु, रेडियो (असेंबलिंग व मरम्मत), कैसेट प्लेयर, कैसेट रिकार्डर, वोल्टेज स्टेब्लाइजर, इलेक्ट्रानिक घड़ियों, लकड़ी पर नक्काशी, टिन कार्य, मोटर बाइंडिंग, तार जाली, लोहे की ग्रिलों, ग्रामीण यातायात साधनों तथा संगीत साजों से संबंधित ग्रामोद्योग शामिल हैं। वर्ष 2001 तक इस समूह के ग्रामोद्योगों से 87,70,576 लोगों को रोजगार मिलता रहा है जो ग्रामोद्योगों के जरिए स्वरोजगार पाने वाले समस्त लोगों का 17.12 प्रतिशत है।

छठे समूह में वस्त्र (खादी को छोड़कर) संबंधी ग्रामोद्योग रखे गए हैं। इस समूह के तहत पोली वस्त्र, लोकवस्त्र, हौजरी, सिलीसिलाई पोशाक, छींटकारी, खिलौना–गुड़िया, गोला–लच्छी, कशीदाकारी, स्टोव बत्ती, चिकित्सकीय पट्टी तथा कपड़े की कशीदाकारी से संबंधित वे ग्रामोद्योग शामिल किए गए हैं जो कुटीर स्तर पर चलाए जा रहे हों। इस समूह के ग्रामोद्योग वर्ष 2001 तक कुल 67,98,221 लोगों को रोजगार दे रहे हैं जो ग्रामोद्योग के सकल रोजगारियों का 13.27 प्रतिशत है।

सातवां समूह सेवा आधारित ग्रामोद्योगों के नाम है। इस समूह के अंतर्गत वस्त्र धुलाई, नलसाजी, इलेक्ट्रिशियन, डीजल इंजन व पंपिंग सेट, टायर रीट्रीडिंग, कृषि सेवा कार्य, ध्वनि संयंत्रों को किराए पर चलाने, बैटरी भरने, कला फलक, साइकिल रिक्शा मरम्मत, राजगिरी, बैंड मंडली, मोटर नाव (केवल गोवा हेतु), टैक्सी, मोटर साइकिल (केवल गोवा हेतु), संगीत वाद्य (केवल गोवा हेतु), शराबरहित ढाबा, चाय की दुकान तथा आयोडीन मिश्रित नमक (कुटीर) से संबंधित ग्रामोद्योग शामिल हैं। वर्ष 2001 तक इस समूह के ग्रामोद्योगों के जरिए कुल 72,02,938 व्यक्तियों को रोजगार मिलता रहा है जो ग्रामोद्योगों के सकल स्वरोजगारियों का 14.06 प्रतिशत है।

कृषि मंत्रालय

इस मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं का लक्ष्य तो मुख्यतः कृषि कार्यों के विभिन्न आयामों से संबंधित है लेकिन कृषि कार्य चूंकि अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में ही संपन्न किए जाते हैं इसलिए इन योजनाओं के जरिए आम ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होते रहे हैं। इनमें से अधिकतर योजनाओं का लाभ ग्रामीण की संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि को मिलता है। इन संस्थाओं से जुड़कर आम ग्रामीण भी ऐसी योजनाओं के जरिए अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार अपना रोजगार चुन सकते हैं। वैसे, स्वयं के लिए रोजगार अर्जित करने की यह स्थिति आवधिक ही अधिकतर होती है यानी तब तक चल पाती है, जब तक योजना विशेष से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हों।

कृषि मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के जरिए कुल जितने ग्रामीणों को वित्तीय वर्ष 2002–03 तक आवधिक रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है, उसमें से सर्वाधिक 11.62 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों का है जिन्हें जैविक खादों के उत्पादन व उपयोग से संबंधित परियोजनाओं के चलते रोजगार का अवसर मिला है। ग्रामीणों के स्वैच्छिक संगठनों और ग्रामीणों द्वारा प्रवर्तित निजी उद्योगों आदि को पात्र मानने वाली यह योजना ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से कृषि मंत्रालय की अग्रणी योजना है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को आवधिक

तालिका–3

कृषि संबंधी प्रमुख योजनाएं : रोजगार प्रापकों की स्थिति (प्रतिशत में)

क्रमांक	योजना संकेत	संदर्भित सकल ग्रामीण रोजगार–प्रापकों में हिस्सा[1]
1.	जैविक खादों का उत्पादन और उपयोग	11.62
2.	कपास विकास	3.16
3.	प्राकृतिक आपदा प्रबंधन	4.58
4.	झूम खेती वाले क्षेत्रों में वाटरशेड विकास	1.92
5.	उद्यानिकी को बढ़ावा	6.77
6.	तिलहन उत्पादन विकास	4.33

1. मार्च, 2002 तक की स्थिति

● स्रोत : सर्वेक्षण रिपोर्ट (2003), अहमदनगर कृषि विकास सहकारी समिति (मर्यादित)

तालिका–4

संस्कृति संबंधी प्रमुख योजनाएं : रोजगार प्रापकों की स्थिति (प्रतिशत में)

क्रमांक	योजना संकेत	संदर्भित सकल ग्रामीण रोजगार प्रापकों में हिस्सा[1]
1.	हिमालय की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण व विकास	14.57
2.	लोक संस्कृति और लोककला का उन्नयन	10.50

1. जून, 2002 तक की स्थिति

● स्रोत : सर्वेक्षण रिपोर्ट (2002), हिमालयन फाउंडेशन फॉर ट्रेडिशनल कल्चर एंड हेरिटेज

रोजगार मुहैया कराने वाली योजनाओं में प्रमुख हैं – कपास विकास से संबंधित योजना, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से संबंधित योजना, झूम खेती क्षेत्रों में वाटरशेड विकास से संबंधित योजना, उद्यानिकी को बढ़ावा देने से संबंधित योजना तथा तिलहन उत्पाद विकास से संबंधित योजना। इन सबके चलते प्राप्त ग्रामीण रोजगार का हिस्सा कृषि संबंधी समस्त योजनाओं के सकल रोजगारियों के परिप्रेक्ष्य में क्रमशः 3.16 प्रतिशत, 4.58 प्रतिशत, 1.95 प्रतिशत, 6.77 प्रतिशत तथा 4.33 प्रतिशत है जिसे मार्च 2003 तक की स्थिति के अनुसार आकलित किया गया है। इन योजनाओं में से मात्र तिलहन संबंधी योजना के लिए ग्रामीण जन व्यक्तिगत रूप से भी पात्र हैं जबकि अन्य सभी के लिए संस्थागत रूप से। झूम खेती संबंधी योजना के लिए वैज्ञानिक–तकनीकी संगठन भी पात्र माने गए हैं।

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय

इस मंत्रालय द्वारा संचालित अनेक योजनाओं में से कतिपय ऐसी भी हैं जिनके क्रियान्वयन के क्रम में जरूरतमंद और सुयोग्य ग्रामीणजनों को अपनी क्षमता के मुताबिक रोजगार के अवसर प्रकारांतर से मुहैया होते रहे हैं। ऐसी सभी योजनाएं संस्कृति से संबंधित हैं और उन क्षेत्रों के लिए नियोजित हैं जो संस्कृति निर्दिष्ट प्रभाग से संबद्ध होने के साथ ही भौगोलिक रूप से ग्रामीण परिक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये योजनाएं भी हालांकि अमूमन संस्थाओं के लिए हैं किंतु प्रकारांतर से क्षेत्रीय ग्रामीणजनों को भी उनके अंतर्गत रोजगार का लाभ मिलता रहा है। इस तरह का रोजगार भी योजनावधि भर ही मिलता है, तथापि बेरोजगारी का कुछ तो समाधान होता ही है। ऐसी योजनाओं में प्रमुख हैं हिमालय की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व विकास से जुड़ी योजनाएं।

हिमालय का अधिकतर क्षेत्र चूंकि ग्रामीण ही है, इसलिए इस योजना का लाभ प्रकारांतर से ग्रामीणों को मिलता रहा है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के चलते जून 2002 तक की स्थिति के अनुसार कुल जितने ग्रामीणों को रोजगार मुहैया हो सका है, उनमें से सर्वाधिक 14.57 प्रतिशत हिस्सा हिमालय की ऐसी ही योजनाओं के परिणामस्वरूप है।

लोक संस्कृति व लोककला के उन्नयन के लिए भी इस मंत्रालय से योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके लिए जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय अथवा जनजातीय जनों की सहभागिता से तैयार संस्थाओं के अलावा लोग व्यक्तिगत रूप से भी पात्र घोषित किए गए हैं। इन योजनाओं से ग्रामीणों को आवधिक रूप से रोजगार मिलता रहा है। मंत्रालय की योजनाओं के चलते रोजगार पाने वाले ग्रामीणों की सकल संख्या का 10.50 प्रतिशत हिस्सा (जून 2002 तक की स्थिति के अनुसार) इन्हीं योजनाओं की देन है।

इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय

इस मंत्रालय द्वारा संचालित कुछ योजनाएं भी ग्रामीणों के लिए आवधिक आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। शिक्षा के प्रसार के कारण अब गांवों में भी युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कमी नहीं है। हालांकि शहरों में अधिक संभावना के कारण ग्रामीण पृष्ठ– भूमि वाले बहुतेरे वैज्ञानिक व इंजीनियर आजकल शहरों की ओर कूच कर जाते हैं, फिर भी काफी संख्या में ऐसे इंजीनियर गांवों में ही रह जाते हैं, जिनकी पारिवारिक विवशताएं उन्हें लंबे समय तक अपने गांव से बाहर नहीं रहने देतीं। ऐसे युवाजन अपने हाल को कोसते हुए अपनी प्रतिभा पर जंग लगाने के लिए स्वयं को अभिशप्त मान बैठते हैं।

ऐसे लोगों को तो इस मंत्रालय की योजनाएं गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का साधन बनती हैं, साथ ही उन अन्य ग्रामीणों को भी अपनी क्षमतानुसार आवधिक रूप से रोजगार मिल पाता है जो विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में रुचि तो रखते हैं पर अपेक्षाकृत कम दक्ष होते हैं। ये योजनाएं वैसे तो संस्थाओं के लिए हैं किंतु ग्रामीण युवकों को भी इनके जरिए रोजगार मिलता है, क्योंकि जब कोई संस्था ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही होती है तब उसे ऐसे कर्मियों की जरूरत पड़ती है जिनकी भूमिका बहुधा क्षेत्रीय ग्रामीण ही निभाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित ऐसी योजनाएं इस लिहाज से महत्वाकांक्षी भी हैं क्योंकि वह गांवों में रोजगार सृजन के प्रति ही संकल्पित हैं। ग्रामीण कृषि तकनीक के विकास से संबंधित यह योजना ग्रामीणों के संगठन, सहकारी संस्थाओं आदि के लिए है। मंत्रालय की योजनाओं के चलते कुल जितने ग्रामीणों को जून 2001 तक की स्थिति के अनुसार रोजगार उपलब्ध हुआ है, उनमें से सर्वाधिक 36.78 प्रतिशत हिस्सा इसी योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप है।

इस मंत्रालय की एक अन्य योजना वैज्ञानिक व तकनीकी परियोजना के शोध व विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराने से संबंधित है। सुयोग्य वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शोध संगठनों, ग्रामीणजनों के स्वैच्छिक संगठनों आदि को इस योजना का लाभ मिलता है। इसके जरिए भी ग्रामीण युवकों को आवधिक आधार पर रोजगार प्राप्त हुआ है।

पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय

इस मंत्रालय द्वारा संचालित जिन योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीणों को किसी न किसी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, वे मुख्यतः दो तरह के हैं, – (1) पशुओं से संबंधित, (2) पर्यावरण, वन व वन्य जीवों से संबंधित। दोनों ही तरह की योजनाओं से ग्रामीणों को रोजगार मिलता है क्योंकि ये सभी योजनाएं मुख्यतः संस्थाओं के लिए ही हैं। संस्थाओं से जुड़कर या संस्थाओं के लिए काम करके अथवा आपसी प्रयास से संस्थाएं बनाकर ग्रामीणजन इन योजनाओं के क्रियान्वयन के जरिए अपने लिए रोजगार जुटाते हैं।

पशुओं से संबंधित योजनाओं में से प्रमुख हैं पशुओं के लिए आश्रयस्थल खोलने की योजना। इस योजना के क्रियाान्वयन से जिन ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध होता है, उनका हिस्सा मंत्रालय की योजनाओं के चलते रोजगार पाने वाले सकल ग्रामीणों का 9.52 प्रतिशत (जून 2001 तक की स्थिति के अनुसार) है। इसी अवधि और इसी परिप्रेक्ष्य में 7.38 प्रतिशत ग्रामीणों को जहां पशुओं हेतु एंबुलेंस सेवा संबंधी योजना के क्रियान्वयन के चलते रोजगार मिलता है, वहीं छुट्टा पशुओं के जन्मनिरोध संबंधी योजना के चलते 4.89 प्रतिशत ग्रामीणों को।

दूसरी तरह की योजनाओं में प्रमुख हैं पर्यावरण शोध प्रोन्नति संबंधी योजनाएं। इनके क्रियान्वयन के लिए वैज्ञानिक शोध संगठनों और कॉलेजों को विशेष रूप से पात्र माना गया है। ये योजनाएं विभिन्न मसलों से अलग–अलग तौर पर संबंधित हैं, जैसे – पर्यावरण संरक्षा, स्वच्छता तकनीक, जीव वैज्ञानिक विविधता की बरकरारी, उपकरण विकास, खदान, नदी संरक्षा, पर्वतीय पर्यावरण संबंधी शोध आदि। इन योजनाओं का क्रियान्वयन भी ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसरों का परिणाम लाता रहा है।

वित्तीय वर्ष 1991–92 के दौरान प्रारंभ हुई वनस्पति उद्यान स्थापना संबंधी योजना भी ग्रामीणों के लिए रोजगार के ऐसे अवसर उपलब्ध कराती है जो अपेक्षाकृत अधिक समय तक चल सकते हैं। इसका लाभ ग्रामीणों को अपनी संस्था के माध्यम से मिलता रहा है क्योंकि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए संस्थाएं ही पात्र हैं। पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं ने जून 2001 तक कुल जितने ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया, उसमें इस योजना का हिस्सा 8.71 प्रतिशत है।

तालिका–5

पर्यावरण–वानिकी संबंधी प्रमुख योजनाएं : रोजगार प्रापकों की स्थिति (प्रतिशत में)

क्रमांक	योजना–संकेत	संदर्भित सकल ग्रामीण रोजगार प्रापकों में हिस्सा[1]
1.	पशुओं के लिए आश्रयस्थल	9.52
2.	पशुओं हेतु एम्बुलेंस	7.38
3.	छुट्टा पशुओं का जन्म निरोध	4.89
4.	वनस्पति उद्यान स्थापना	8.71

1. जून, 2001 तक की स्थिति

● स्रोत : सर्वेक्षण रिपोर्ट (2001), पर्यावरण मित्र प्रतिष्ठान

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय

इस मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में से दो ऐसी हैं जिनसे ग्रामीणों को रोजगार अन्य योजनाओं की अपेक्षा अधिक प्राप्त हुए हैं। ये दोनों ही योजनाएं संस्थाओं और सहकारी समितियों के लिए हैं। इन योजनाओं की प्रकृति चूंकि गांवों की मुख्यधारा यानी कृषि से संबंधित है, इसलिए इनकी ओर ग्रामीण युवकों का रुझान अधिक रहा है और अपनी संस्था या सहकारी समिति गठित करके वे इन योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में अपने तथा अपने ग्रामीण बंधुओं के लिए अपेक्षाकृत कुछ अधिक समय तक चल सकने वाले रोजगारों का सृजन भी करते रहे हैं।

इनमें से एक योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना, तकनीकी प्रोन्नति तथा आधुनिकीकरण से संबंधित है। इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में 50 लाख रुपये तथा विषम क्षेत्रों में 75 लाख रुपये तक के सहायतानुदान का प्रावधान है। अधिक धनराशि के कारण कंपनियां भी इस योजना का लाभ उठाने के प्रति उत्सुक रहती हैं – वैसे कंपनियां भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

इस मंत्रालय की एक अन्य लोकप्रिय योजना ऐसे बुनियादी संसाधनों के विकास से संबंधित है जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के काम आ सकें। कोल्ड स्टोरेज, खाद्य परीक्षण–विश्लेषण प्रयोगशाला, साझा प्रसंस्करण सुविधा जैसे सार्वजनीन इस्तेमाल वाले बुनियादी संसाधनों की संस्थापना के लिए इस योजना के तहत 4 करोड़ रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भी कंपनियां पात्र हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

इस मंत्रालय द्वारा संचालित जिन योजनाओं के क्रियान्वयन के चलते ग्रामीणों को किसी न किसी प्रकार के रोजगार के अवसर प्रमुखतया प्राप्त होते हैं, वे मुख्यतः तीन तरह के हैं – (1) परिवार कल्याण से संबंधित, (2) स्वास्थ्य से संबंधित, तथा (3) देशी किस्म की चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित। इनमें से कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीणों को अल्पकालिक आधार वाले रोजगार उपलब्ध कराता है तो कुछ का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत कुछ अधिक समय तक चलने वाले रोजगार। कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रकारांतर से उपलब्ध होते रहे हैं।

परिवार कल्याण से संबंधित योजनाओं में ग्रामीण रोजगार के लिहाज से उपादेय एक योजना है **मदर एन.जी.ओ. योजना** और दूसरी है **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि के सहयोग से संचालित योजना।** जनसंख्या निधि वाली योजनाएं भी दो रूपों में हैं – एक तो लैंगिक

मसलों से संबंधित और दूसरी अन्य परियोजनाएं। ये सभी योजनाएं संस्थाओं के लिए हैं और इन सभी के क्रियान्वयन के जरिए ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। मार्च 2002 तक परिवार कल्याण संबंधित योजनाओं से 12.39 प्रतिशत ग्रामीणों को रोजगार (चाहे आवधिक ही सही) उपलब्ध हुआ है।

स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं में से ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक उपादेय साबित हुई है **ग्रामीण क्षेत्रों हेतु विशेष स्वास्थ्य योजना।** संख्या के माध्यम से ही क्रियान्वित हो सकने वाली इस योजना के चलते ग्रामीणों को आवधिक आधार पर रोजगार मिलता रहा है। ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से अन्य उपादेय योजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कुष्ठ (सर्वेक्षण, शिक्षा व उपचार), यक्ष्मा उपचार, अंधता निवारण, कैंसर नियंत्रण, एड्स नियंत्रण आदि से संबंधित हैं। इनमें से सभी का क्रियान्वयन संस्थाओं के जरिए ही संभव है तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार संबंधी योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और मलिन बस्तियों के लिए है। ये सभी योजनाएं ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान कराती रही हैं। मंत्रालय की सभी योजनाओं के चलते रोजगार–प्राप्त सकल ग्रामीणों में से मार्च 2002 तक की स्थिति के अनुसार 26.45 प्रतिशत को रोजगार स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से ही मिला है।

देशी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित जिन योजनाओं के क्रियान्वयन ने ग्रामीण रोजगार की दिशा में मील के पत्थर स्थापित किए हैं, उनमें प्रमुख हैं– भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद,सिद्ध, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा) व होम्योपैथी के क्षेत्र में सूचना, शिक्षा व संचार संबंधी योजना। ग्रामीणों की स्वैच्छिक संस्थाओं और चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होने वाली इस योजना ने भी ग्रामीणों को आवधिक आधार से रोजगार उपलब्ध कराया है। औषधीय पौधों की खेती के विकास संबंधी योजना का क्रियान्वयन भी ग्रामीणों के बीच रोजगार के अवसर लेकर उपस्थित हुआ है। संस्थाओं, कालेजों आदि के तत्वावधान में ही क्रियान्वित हो सकने वाली यह योजना वैसे तो अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, आगे चलकर इससे ग्रामीणों को काफी लाभ हो सकने का विशेषज्ञों को अनुमान है। ग्रामीणों (विशेषकर निजी चिकित्सकों, शिक्षकों आदि) को आर्थिक लाभ तो वैसे देशी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित पुनर्बोधात्मक योजनाओं से भी होता रहा है, किंतु उसे रोजगार योजना नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस दौरान आर्थिक लाभ प्रतिभागियों को छात्रवृत्ति के तौर पर होता है।

तालिका–6

स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी प्रमुख योजनाएं : रोजगार प्रापकों की स्थिति (प्रतिशत में)

क्रमांक	योजना संकेत	संदर्भित सकल ग्रामीण रोजगार प्रापकों में हिस्सा[1]
1.	परिवार कल्याण योजनाएं	12.39
2.	स्वास्थ्य योजनाएं	26.45
3.	देशी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित योजनाएं	15.07

1. मार्च, 2002 तक की स्थिति

● स्रोत : सर्वेक्षण रिपोर्ट (2002), डॉ. आयंगर सेंटर फॉर रिसर्च इन पब्लिक हेल्थ एक्शंस

वैसे मंत्रालय की समस्त योजनाओं के चलते कुल जितने ग्रामीणों को रोजगार मिला है, उनमें से 15.07 प्रतिशत को मार्च 2002 तक की स्थिति के अनुसार देशी चिकित्सा पद्धतियों के क्रियान्वयन के जरिए ही रोजगार मिला है– चाहे आवधिक या प्रकारांतरित रूप से ही सही।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इस मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित जिन योजनाओं ने अपने क्रियान्वयन के क्रम में ग्रामीणों को, चाहे आवधिक रूप से ही सही, रोजगार उपलब्ध कराया है, वे मुख्यतः दो तरह के हैं– (1) शिक्षा से संबंधित, तथा (2) महिला व बाल विकास से संबंधित। इनमें से लगभग सारी योजनाएं संस्थाओं के लिए हैं और उनका क्रियान्वयन भी उन्हीं के जरिए होता है। रोजगार के अवसरों को अपने लिए सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण जन उन संस्थाओं से जुड़कर अपनी–अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम करते रहे हैं अथवा आपस में मिलकर स्वयं पात्र संस्थाओं का गठन करते रहे हैं।

शिक्षा से संबंधित योजनाओं में प्रमुख है– **शिक्षा गारंटी योजना।** अप्रैल 2001 से अस्तित्व में आई इस योजना में पहले से चल रही कई शिक्षा संबंधी योजनाएं भी अब शामिल कर दी गई हैं। सर्वशिक्षा अभियान, अनौपचारिक शिक्षा, बैक–टू–स्कूल जैसी बहुप्रचारित योजनाएं शिक्षा गारंटी योजना का ही अंग हैं। संस्थाओं के जरिए क्रियान्वित हो सकने वाली यह योजना देशभर में ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने का जरिया बनी है। स्कूलों में विज्ञान शिक्षा की प्रोन्नति, शिक्षा में संस्कृति व मूल्यों को बढ़ावा देने, माध्यमिक स्तर पर रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने, प्रौढ़ शिक्षा, निरक्षरता निवारण, शिक्षकों को प्रशिक्षित करके स्कूलों में योग को परिचित कराने, मदरसों के आधुनिकीकरण जैसी योजनाएं भी मूलतः शिक्षा से ही संबंधित हैं। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के चलते ग्रामीणों को आवधिक रूप से रोजगार प्राप्त होता रहा है। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संस्थाएं ही पात्र हैं, इसलिए ग्रामीणों के स्वैच्छिक संगठनों के जरिए इन योजनाओं का रोजगारी लाभ उन तक पहुंचता रहा है। मंत्रालय की योजनाओं के चलते रोजगार–प्राप्त सकल ग्रामीणों में से एक गैर– सरकारी सर्वेक्षण (2002) के अनुसार 32.18 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा संबंधी योजनाओं के ही नतीजतन है।

महिला व बाल विकास से संबंधित योजनाओं में से प्रमुखतम है स्वयं सहायता समूह के गठन संबंधी योजना। युगांतकारी महत्व की इस योजना को मंत्रालय के अधीन स्थापित राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा प्रवर्तित किया गया

है और आज देश के लगभग सभी प्रांतों में इसका फैलाव है। महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर आपसी सहयोग से गठित इन समूहों को ऋण, अनुदान आदि सहित तमाम सहायताएं भी मिलती हैं जो विविध रोजगारों के सृजन में सहायक साबित हो रही हैं। शहरों की अपेक्षा चूंकि गांवों में ऐसे समूहों का विशेष जोर है इसलिए उनके जरिए रोजगार संबंधी आवधिक व प्रकारांतरित लाभ भी ग्रामीणों को ही अधिक मिल रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्व में 'इंदिरा महिला योजना' नाम से चल रही योजना वर्ष 2002 में 'स्वयंसिद्धा' नाम से एकीकृत होकर ग्रामीण महिलाओं को आवधिक रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध करा रही है। मुख्यतः संस्थाओं के जरिए क्रियान्वित होने वाली यह योजना महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती रही है।

महिला व बाल विकास से संबंधित योजनाओं में से ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से अन्य प्रमुख योजनाएं हैं– सामुदायिक आधार पर पौष्टिक भोजन के उत्पादन, रोजगार–सह–आय सृजन एकक की स्थापना, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल (डे–केयर सेंटर सहित) के निर्माण व विस्तार हेतु सहायता, महिलाओं हेतु रोजगार प्रशिक्षण आदि से संबंधित योजनाएं। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संस्थाएं ही पात्र हैं जबकि रोजगार प्रशिक्षण संबंधी योजना के लिए सहकारी समितियां आदि भी।

श्रम मंत्रालय

श्रम संबंधी मसलों के परिप्रेक्ष्य में ही अपने मुख्य ध्येय को केंद्रित करने के बावजूद इस मंत्रालय के तत्वावधान में भी दो ऐसी योजनाओं का प्रवर्तन किया जाता है जिनका क्रियान्वयन आम ग्रामीणों को किसी–न–किसी रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। रोजगार के ये अवसर बेशक आवधिक आधार वाले होते हैं और तब तक चलते रह पाते हैं जबतक कि योजना विशेष के कार्यान्वयन की अवधि पूरी नहीं हो जाती। ये दोनों योजनाएं चूंकि संस्थाओं के माध्यम से ही क्रियान्वित होती हैं इसलिए इनसे सृजित रोजगार ग्रामीणों को मिलते रहे हैं। विभिन्न राज्यों के ग्रामीणजन आपसी प्रयास से स्वयं कोई स्वैच्छिक संस्था गठित करके अथवा ऐसी किसी सुपात्र संस्था के साथ जुड़कर इन दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में अपने और अन्य ग्रामीण बंधुओं के लिए रोजगार के साथ ही साथ समाजसेवा का भी अवसर हासिल कर रहे हैं।

इनमें से एक योजना बाल मजदूरों के भले के लिए कोई परियोजना चलाने अथवा कार्यक्रम शुरू करने से संबंधित है जबकि दूसरी योजना महिला मजदूरों के परियोजना या कार्यक्रम के स्वरूप और आवधिकता के निर्धारण के लिए अभ्यर्थी संस्था को स्वतंत्र छोड़ा गया है। संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी परियोजना या कार्यक्रम को प्रस्तावित करें जिससे बाल मजदूरों और महिला मजदूरों में से किसी एक समुदाय का भला सुनिश्चित हो सके। संकेंद्रित स्थानिकता वाली ऐसी कई परियोजनाएं व कार्यक्रम फिलहाल विभिन्न संस्थाओं के तत्वावधान में चल रहे हैं जो ग्रामीणों को आवधिक रोजगार भी मुहैया कराते रहे हैं।

गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग के जरिए ग्राम विकास की जितनी गुंजाइश है, उतनी ग्रामीण स्तर पर रोजगार के सृजन की नहीं। इसके बावजूद मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित कुछ ऐसी योजनाएं अवश्य हैं, जिनके क्रियान्वयन के क्रम में ग्रामीण विकास के साथ–साथ किंचित मात्रा में आवधिक रोजगार के अवसर भी गांवों में उपलब्ध होते रहे हैं। ऐसी योजनाएं तीन तरह की हैं– (1) बायोगैस (गोबर गैस) से संबंधित, (2) सामुदायिक मल–व्ययन पर आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना से संबंधित, तथा (3) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित।

बायोगैस विकास से संबंधित योजना का क्रियान्वयन पंचायती संस्थाओं, खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि के जरिए होता है। इसके अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय ने कुछ विशिष्ट स्वैच्छिक संगठनों को भी प्राधिकृत किया है। इस योजना का क्रियान्वयन अल्पमात्रा में सही किंतु आवधिक रोजगार के अवसरों को भी गांवों में उपलब्ध करा रहा है। इस योजना को सामान्यतया गोबर गैस योजना भी कहा जाता है।

सामुदायिक मल व्ययन पर आधारित बायो–गैस संयंत्र स्थापित करने से संबंधित योजना ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से बायोगैस (गोबर गैस) योजना की अपेक्षा कहीं अधिक उपयोगी है। इस योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः खादी ग्रामोद्योग आयोग के जरिए होता है। पंचायती संस्थाओं, स्थानीय निकायों, डेयरियों, गौशालाओं आदि को भी इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यवार नोडल एजेंसियों (जिनमें अनेक स्वैच्छिक संस्थाएं भी हैं) को प्राधिकृत किया गया है।

सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय

इस मंत्रालय का मुख्य ध्येय हालांकि सड़कों से संबंधित है, फिर भी इसके द्वारा प्रवर्तित एक योजना ऐसी भी है जिसमें चाहे किंचित मात्रा में सही किंतु ग्रामीणों के लिए आवधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की गुंजाइश है– बशर्ते इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा हो।

यह योजना सड़क सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में शोध तथा जमीनी (फील्ड एक्शन) कार्यों से संबंधित है। इसके क्रियान्वयन के लिए स्वैच्छिक संस्थाएं (चाहे वे ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हों या सोसायटी के रूप में अथवा कंपनी के रूप में) ही प्राधिकृत हैं। अभ्यर्थी संस्था को अपनी परियोजना का प्रारूप, कार्यावधि, कार्ययोजना आदि स्वयं प्रस्तावित करना होता है। ऐसी सुपात्र संस्थाओं से जुड़कर अथवा ऐसी सुपात्र संस्थाओं को स्वयं गठित करके ग्रामीणजन इस योजना को क्रियान्वित करने का बीड़ा उठाकर स्वयं के लिए फिलहाल प्रकारांतर से आवधिक रोजगार के अवसर जुटा रहे हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इस मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं में से कुछ ऐसी भी हैं जिनके क्रियान्वयन के क्रम में ग्रामीणों के लिए किसी न किसी रूप में

रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। ऐसी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन चूंकि समयावधिबद्ध होता है, इसलिए इनके जरिए ग्रामीणों को रोजगार भी आवधिक रूप से तभी तक मिल पाते हैं जबतक कि योजना विशेष का क्रियान्वयन चल रहा हो। ऐसी योजनाएं मुख्यतः दो तरह की हैं– (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में उद्यमिता विकास तथा रोजगार सृजन से संबंधित, तथा (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित।

पहली तरह की योजना विज्ञान व प्रौद्योगिकी के संचार और लोकप्रियकरण के कार्यक्रम के तहत है। इसका क्रियान्वयन संस्थाओं के माध्यम से होता है। विभिन्न राज्यों में अनेक संस्थाएं फिलहाल ग्रामीण अंचलों में भी इस योजना के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार के प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर विकास, शोध आदि आयामों में काम करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीणों (विशेषकर सुपात्र युवकों–युवतियों) को आवधिक रोजगार उपलब्ध करा रही हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित योजनाएं विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में क्रियान्वित की जाती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं–ग्रामीण विकास, कमजोर वर्ग, महिला, जनजातीय समूह आदि। इन सब परिप्रेक्ष्यों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग उनकी प्रोन्नति और सशक्तीकरण के लिए किस तरह किया जा सकता है– यही इस योजना के क्रियान्वयन की बुनियादी पीठिका होती है। यह योजना इन परिप्रेक्ष्यों में से प्रत्येक में अलग–अलग रूप से क्रियान्वित होती है और सबके क्रियान्वयन का मार्ग संस्थाओं से होकर गुजरता है। फिलहाल देश के अनेक प्रांतों में ग्रामीणों की स्वैच्छिक संस्थाएं इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रही हैं और इस तरह अपने सुपात्र ग्रामीण बंधुओं के लिए आवधिक आधार पर रोजगार भी जुटा रही हैं। मंत्रालय द्वारा संचालित इन योजनाओं से ग्रामीण लाभान्वित हुए।

लघु एवं कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

इस मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक योजना के क्रियान्वयन के क्रम में भी ग्रामीणों (विशेषकर महिलाओं) को आवधिक आधार वाले रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। महिलाओं को विशेषतः इसलिए क्योंकि यह योजना महिलाओं के लिए ही है और इसका मकसद महिलाओं में उद्यमिता विकास तथा इस बाबत सहायता करना है। इसके लिए चर्मनिर्मित वस्तुओं, सिले सिलाए वस्त्रों, हस्तनिर्मित कागज जैसे अनेक उद्यम चिन्हित किए गए हैं जिनमें शिरकत करने और जिन्हें चलाने के लिए महिलाओं को समर्थ बनाना इस योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए संस्थाओं (चाहे वे ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हों या सोसायटी के रूप में) को प्राधिकृत किया गया है। इस क्रियान्वयन के क्रम में सृजित रोजगारों के अलावा इस योजना का एक बड़ा लाभ यह भी है कि ये ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए समर्थ बनाती है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे उन राज्यों में (जहां इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रवर्तित किया गया था) इस योजना के परिणामस्वरूप ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली ऐसी कई महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने कालांतर में अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर दिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

इस मंत्रालय के कार्यों का मुख्य ध्येय तो हालांकि समाज में सदियों से शोषित हो रहे समुदायों को सामाजिक रूप से न्याय दिलाने और उन्हें अधिकारसंपन्न बनाने के परिप्रेक्ष्य में है किंतु इस मंत्रालय की ओर से ऐसी भी कई योजनाओं का प्रवर्तन किया जाता है जिनके क्रियान्वयन के क्रम में ग्रामीणों को आवधिक आधार पर प्रकारांतर से ही सही किंतु रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इन योजनाओं का सीधा लाभ तो निर्दिष्ट समुदाय को मिलता है, लेकिन उन्हें चलाने के सिलसिले में आम ग्रामीणों को भी रोजगार प्राप्त हो जाता है।

ये योजनाएं कई तरह की हैं– (1) सड़कों पर घूमते आवारा बच्चों से संबंधित, (2) वृद्धजनों से संबंधित, (3) नशाखोरों के पुनर्वास से संबंधित, (4) पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग कोचिंग संस्थान स्थापित करने से संबंधित, तथा (5) छात्रावास बनाने से संबंधित। इनमें से सड़क पर घूमते आवारा बच्चों और वृद्धजनों से संबंधित योजनाएं एकीकृत रूप में हैं। वृद्धजनों से संबंधित एक योजना उनके लिए वृद्धाश्रम बनवाने की भी है। छात्रावास बनवाने से संबंधित योजना छात्रों के लिए अलग और छात्राओं के लिए अलग है। ऐसे छात्रावास उन छात्र/छात्राओं के लिए बनवाने का प्रावधान इस योजना में है जिनका संबंध पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय से हो।

उपर्युक्त सभी योजनाएं अपने क्रियान्वयन के क्रम में ग्रामीणों को आवधिक आधार पर रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। छात्रावास, कोचिंग संस्थान और वृद्धाश्रम स्थापित करने से संबंधित योजनाओं के जरिए ग्रामीणों को रोजगार मिलने की स्थिति अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की अपेक्षा कहीं अधिक और दीर्घकालिक है क्योंकि उन्हें चलाने के लिए कार्मिकों की जरूरत पड़ती है जिनकी पूर्ति क्षेत्रीय ग्रामीणों में से ही की जाती है। रोजगार का यह तरीका वैसे तो स्वरोजगार की श्रेणी में नहीं आता, किंतु वह स्वरोजगार तब बन जाता है जब ग्रामीण जन आपसी प्रयास से गठित अपनी किसी पंजीकृत संस्था के माध्यम से उपर्युक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने का बीड़ा उठा लेते हैं। स्वरोजगार का यह प्रकार न केवल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित योजना के परिप्रेक्ष्य में, बल्कि किसी भी उस योजना के परिप्रेक्ष्य में देश के गांव–गांव तक आम है जिसमें क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं को प्राधिकृत किया गया हो।

मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित उपर्युक्त सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं को पात्र बनाया गया है। वृद्धाश्रम स्थापित करने के मामले में पंचायत समितियों को भी योजना क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

जनजाति कार्य मंत्रालय

इस मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में से भी कई ऐसी हैं जिनका क्रियान्वयन ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन चूंकि संस्थाओं और सहकारी समितियों के जरिए ही मुख्यतः होता है इसलिए इनके जरिए रोजगार के अवसर भी प्रकारांतर से मिलते हैं। साथ ही, हर क्रियान्वयन का काल अवधिबद्ध होने के कारण प्राप्त रोजगार भी आवधिक होते हैं। वैसे तो ये सभी योजनाएं जनजाति जनों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए हैं किंतु गैर–जनजातीय ग्रामीणजनों की पहल से बनने वाली कई पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाएं भी जनजातीय हितों के प्रति समर्पित रहती हैं, अतएव ऐसी संस्थाएं जब इन योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व संभालती हैं तब ग्रामीणजनों को भी इस दौरान आवधिक आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।

ग्रामीण रोजगार के लिए उपादेयता के लिहाज से ऐसी योजनाओं में प्रमुख हैं– कल्याण कार्यक्रम, शिक्षा संकुल की स्थापना और रोजगारपरक शिक्षा। जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की योजना वित्तीय वर्ष 1953–54 से ही चल रही है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के चलते अब तक कुल जितने ग्रामीणों को आवधिक रोजगार प्राप्त हुआ है, उनमें से मार्च 2001 तक की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक 31.26 प्रतिशत को ऐसी ही योजना का परिणाम माना जाता है।

शिक्षा संकुलों की स्थापना संबंधी योजना ऐसे अल्पशिक्षित क्षेत्रों के लिए है जो जनजातीय–बहुल हों। इस योजना के क्रियान्वयन के क्रम में मार्च 2001 तक की स्थिति के अनुसार 17.45 प्रतिशत ग्रामीणों को आवधिक रोजगार मिला है जो मंत्रालय की समस्त योजनाओं के चलते रोजगार प्राप्त ग्रामीणों की सकल संख्या के परिप्रेक्ष्य में है।

रोजगारपरक शिक्षा संबंधी योजना भी जनजातीय समुदायों के परिप्रेक्ष्य में प्रवर्तित ऐसी योजना है जिसके अंतिमतम लाभार्थी तो बेशक जनजातीय लोग रहे हैं, किंतु ऐसी शिक्षा देने वाले केंद्रों के संचालन के क्रम में उन ग्रामीणजनों को भी आवधिक रोजगार के अवसर मिलते रहे हैं जो केंद्र संचालन से जुड़ी संस्था से संबद्ध हों अथवा इस दौरान जनजातीय लोगों को प्रशिक्षण देने के काम में किसी रूप से सहायक हों। ये रोजगारपरक शिक्षा प्रशिक्षु जनजाति युवक/युवती को उसकी पसंद के किन्हीं दो ऐसे कौशलों में प्रदान की जाती है जो क्षेत्रीय लिहाज से भी उसे भविष्य में रोजगार दे सकने में समर्थ हो।

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

इस मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित योजनाओं में से तीन ऐसी हैं जिनके क्रियान्वयन के क्रम में ग्रामीणों को आवधिक रोजगार प्राप्त होते रहे हैं। ये तीनों योजनाएं हैं– (1) युवा गतिविधि और प्रशिक्षण हेतु सहायता से संबंधित, (2) युवाओं में उद्यमिता विकास और उन्हें रोजगारपरक प्रशिक्षण देने से संबंधित, तथा (3) खेल के बुनियादी संसाधनों की स्थापना से संबंधित। इनमें से सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संस्थाएं पात्र हैं जबकि तीसरी योजना के लिए स्थानीय निकायों को भी प्राधिकृत किया गया है।

युवा गतिविधि और प्रशिक्षण प्रोन्नति संबंधी योजना ग्रामीणों सहित 15 से 35 वर्ष की आयु के गैर–छात्र लोगों को विभिन्न परंपरागत पेशों में प्रशिक्षण देने, युवाओं की कृतियों की प्रदर्शनी आदि की दिशा में प्रस्तावित है। युवाओं में उद्यमिता विकास और उन्हें रोजगारपरक प्रशिक्षण देने से संबंधित योजना के तहत सिलाई, कढ़ाई, कालीन बुनाई, साड़ी बुनाई, रेडियो मरम्मत, टी.वी. मरम्मत, साइकिल मरम्मत, स्क्रीन प्रिंटिंग, पशुपालन आदि कुल 24 तरह के व्यवसाओं में एक से 6 माह तक के प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। इन योजनाओं की कार्यपालक संस्थाएं इस दौरान प्रशिक्षण देने के कामों में सुपात्र ग्रामीणों को नियोजित करके आवधिक रोजगार उपलब्ध कराती रही हैं। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार के लिए युवाओं को सक्षम बनाना इन योजनाओं की विशेष उपलब्धि है। इनमें प्रशिक्षित कई युवाओं ने बाद में अपना कारोबार भी शुरू किया।

सितंबर 1998 से शुरू हुई खेल संबंधी बुनियादी संसाधनों की स्थापना संदर्भित योजना का काफी जोर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संकुल बनाने पर है। इस तरह की योजना के क्रियान्वयन से योजनावधि के दौरान ग्रामीणों को जो आवधिक रोजगार मिल रहे हैं, उनके अतिरिक्त ऐसे खेल संकुलों को चलाने के दौरान भी उन्हें कालांतर में योग्यतानुसार रोजगार मिल सकने की गुंजाइश भी इस योजना में प्रचुर है– हालांकि ऐसे रोजगारों को स्वरोजगार की श्रेणी में शामिल नही किया जा सकता। ❑

संदर्भ सूची

1. एम.एम. जेटलिन, अनएंपलायमेंट एंड पावर्टी: विद स्पेशल रेफरेंस टु इंडिया
2. अरुणा राव, भारतीय गांवों की अर्थव्यवस्था
3. जोजफ आर. ऐरन, बिलो पावर्टी लाइन
4. वासुदेव मोटवानी, दि स्टेटस ऑफ एंपलायमेंट इन इंडिया
5. अमरनाथ चौगुल्ले, फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट विलेज इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया : एन एनालिसिस
6. कृष्ण कल्कि, दि विलेज़ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया: लिमिट्स एंड पॉसिबिलिटीज़, 'दि सोशल काज़–ए रिसर्च जर्नल' (अप्रैल 1983)
7. देवेंद्रनाथ ठक्कर, ए लाइट ऑन एवेन्यूज़ इन एग्रीकल्चर
8. जगनभाई मोहता, दि ग्रेट चैलेंजेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स सिनेरियो आफ इंडिया
9. अब्दुल कय्यूम, इन द नेम आफ एन–वायरनमेंट
10. वी.आर.टी. पिल्लई, प्रिजर्विंग द फार्म प्रोडक्ट्स
11. रिपुदमन वाजपेयी, जनस्वास्थ्य और स्थानीय निकाय
12. मलयानिल गांगुली, एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया : ए कंप्रीहेंसिव स्टडी
13. गोपाल दास, युगों से अभिशप्त समुदाय
14. सर्वेक्षण रिपोर्ट (2002), के.वी.एम. इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट
15. सर्वेक्षण रिपोर्ट (2002), दि एसोसिएशन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज
16. सर्वेक्षण रिपोर्ट (2003), अहमदनगर कृषि विकास सहकारी समिति (मर्यादित)
17. सर्वेक्षण रिपोर्ट (2002), हिमालयन फाउंडेशन फॉर ट्रेडिशनल कल्चर एंड हेरिटेज
18. सर्वेक्षण रिपोर्ट (2001), पर्यावरण मित्र प्रतिष्ठान
19. सर्वेक्षण रिपोर्ट (2002), डॉ. आयंगर सेंटर फॉर रिसर्च इन पब्लिक हेल्थ एक्शंस

वरिष्ठ पत्रकार, लेखक तथा फिल्मकार
डी–54, तीसरा तल,
मेन मार्किट, शकरपुर,
दिल्ली–110092

ग्रामीण रोजगार प्रबंधन

☞ डा. आर. एस. बांगड़

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो सामाजिक अराजकता विकराल रूप धारण कर सकती है। इसके दुष्प्रभाव सबको झेलने पड़ेंगे। निश्चित रूप से बढ़ती बेरोजगारी और उससे उत्पन्न खतरों पर विचार करना देश की पहली राष्ट्रीय आवश्यकता है जिसमें पंचायतों की भूमिका क्रांतिकारी और सृजन की दिशा में परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है।

बेरोजगारी एक विकट समस्या बनती जा रही है ग्रामीण और शहरी भारत दोनों की। गांवों से युवक शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं; शहरों से महानगरों की ओर तथा महानगरों से समुद्रपार विदेशों की ओर। यह सिलसिला बदस्तूर जारी है परंतु समस्या का निदान दूर–दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही प्रधानमंत्री वाजपेयीजी ने आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में कुछ समय पहले देश की अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए आठसूत्री कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार के नए अवसरों के सृजन की बात कही थी परंतु हर साल रोजगार के एक करोड़ अवसर कहीं दिखाई देते प्रतीत नहीं हो रहे हैं।

भारत सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने संगठित क्षेत्र के बारे में जो समंक जारी किए हैं उनके अनुसार संगठित क्षेत्र में रोजगार दिन–प्रतिदिन घट रहे हैं। वर्ष 2001–02 के दौरान संगठित क्षेत्र में 4.2 लाख रोजगार घट गए हैं। संगठित क्षेत्र में मार्च 2002 के दौरान कुल रोजगारों की संख्या 2 करोड़ 73 लाख थी, जो मार्च 1999 के मुकाबले 9 लाख 10 हजार कम है। वैसे भारत में कुल रोजगार का सिर्फ सात प्रतिशत ही संगठित क्षेत्र के अंतर्गत है। वी.आर.एस. योजनाओं के जरिए भी सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार कम हुए हैं। विनिवेश कार्यक्रमों से भी रोजगार बेतरतीब प्रभावित हुआ है और औद्योगिक इकाइयों के बंद होने एवं मंदी का भी रोजगार पर करारा प्रहार हुआ है तथा सामान्य बेरोजगारों से लेकर शिक्षित और पेशेवर वर्ग के रोजगार अवसर भी बहुत धीमी गति से सृजित हो रहे हैं जिससे सारा आर्थिक तंत्र चरमराया हुआ है यानी कहा जा सकता है कि सेवा क्षेत्र में निजी उद्यमों एवं सरकारी क्षेत्र में रोजगार बढ़ोतरी की रफ्तार बहुत धीमी है तथा छोटे–बड़े सभी पद नौकरियों की कटौतियों में शामिल हैं।

विगत पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था में गिरावट, तीव्र प्रतिस्पर्धा, बढ़ती मंदी, राज्यों के बढ़ते कर्ज, अकाल की स्थिति, औद्योगीकरण की दर में कमी व विनिवेश की नीति रोजगार के अवसरों में निरंतर हो रही कमी के लिए जिम्मेदार है। आज सैंकड़ों उद्योग–धंधे बंद हो रहे हैं और हजारों औद्योगिक रुग्णता के शिकार हैं। राजकोषीय घाटा और तेलपूल घाटा लगातार बढ़ रहा है। मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है और सूखे, खाड़ी की जंग, बगदाद संकट और सार्स से अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ा है। शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती भीड़, बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक असमानता ने नई पीढ़ी के लिए ऐसा माहौल बना दिया है कि उनमें आपराधिक प्रवृत्तियां भी बढ़ती जा रही हैं। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो सामाजिक अराजकता विकराल रूप धारण कर सकती है। इसके दुष्प्रभाव सबको झेलने पड़ेंगे। इसके पीछे युवा वर्ग की कुंठा और हताशा को नकारा नहीं जा सकेगा। निश्चित रूप से बढ़ती बेरोजगारी और उससे उत्पन्न हो रहे खतरों पर विचार करना देश की पहली राष्ट्रीय आवश्यकता है जिसमें पंचायतों की भूमिका क्रांतिकारी और सृजन की दशा में परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है।

आज गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन, श्रमिक या कारीगर हैं। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उनके पास पूंजी का अभाव है। ऐसे में पंचायतें जिन्हें स्थानीय सरकार कहा गया है और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी, अपने क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों, लोगों की क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजन करने में महत्ती भूमिका निभा सकती हैं। ये क्षेत्र प्राथमिकता के अनुसार निम्नांकित हो सकते हैं;

ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग

ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो गांव में हर वर्ग और तबके को, शिक्षित–अशिक्षित को, महिला–पुरुष को रोजगार से जोड़ते हैं। गांव स्वावलंबन और आय अर्जन (घर बैठे) का प्रमुख जरिया हैं। कृषि क्षेत्र के बाद छोटे उद्योग ही रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों में स्थानीय संसाधनों तथा

मानवीय श्रम का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित रहता है। स्थानीय कृषि उत्पादन एवं वहां की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं में तालमेल रखते हुए उद्योग लगाएं तो रोजगार भी मिलेगा एवं उनका आर्थिक विकास भी होगा। पंचायत विषय विशेषज्ञों को गांव में बुलाकर जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था आयोजित कर सकती है। परंपरागत उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने, माल की किस्म, गुणवत्ता का उन्नयन करने, लागतों को घटाने, उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से औद्योगिक सफलता बढ़ जाती है। पूंजी निर्माण में स्वयं–सहायता समूह मददगार साबित हो सकते हैं। पंचायतों द्वारा गांवों एवं कस्बों में हाट बाजार लगाकर माल के विपणन की माकूल व्यवस्था की जा सकती है।

वन एवं खनन

जनसंख्या के बढ़ते दबाव ने चरागाहों और वनों का अत्यधिक विनाश किया है। पंचायतों के माध्यम से विकास पर अब भी अगर ध्यान दिया जाए तो वनों से रोजगार की विपुल संभावनाएं हैं। वनों का विस्तार करने के लिए वृक्ष लगाना व उनका संरक्षण करना रोजगार का प्रमुख साधन बन सकता है। पंचायत की जमीन पर जहां भी संभव हो, अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए तथा ग्रामीण वन सुरक्षा समितियां बनाकर उनकी समुचित सुरक्षा की जानी चाहिए। पेड़ों से प्राप्त लाभों को पंचायत एवं लोगों में न्यायपूर्ण बांट दिया जाए। जंगलों से इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी, दवाइयां, पत्ते, गोंद, आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियां, लाख, फल, फूल आदि अनेक बहूमूल्य प्राकृतिक संपदा की प्राप्ति होती है साथ ही पर्यावरण सुरक्षा, आबोहवा एवं वर्षा में मदद मिलती है। नयनाभिराम सौंदर्य दर्शकों को हरीतिमा के रूप में मिलता है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है। अनंतकाल तक रोजगार के प्रमुख स्रोत वन हो सकते हैं यदि पंचायतें ध्यान दें। खनन क्षेत्र, रेत, चूना, मिट्टी, ईंट–भट्ठा, पत्थर–मार्बल, पट्टियां, चीनी मिट्टी आदि पदार्थ भी रोजगार की बहुआयामी श्रृंखला प्रदान कर सकते हैं।

हस्तशिल्प एवं कला

भारतवर्ष हस्तशिल्प एवं कला का पांच हजार वर्ष पुराना गौरवशाली अतीत रखता है। इसके विकास की उज्जवल संभावनाएं इसलिए भी हैं कि इसमें पूंजीनिवेश बहुत कम चाहिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है यानी रोजगार का भंडार। यजुर्वेद में "दस्तकार को अभिवादन और सम्मान" की बात कही गई है क्योंकि वह भारतीय समृद्धि की नींव रहा है। डा. जी.एन. शर्मा अपनी पुस्तक *सोशियल लाइफ इन मीडेवेल राजस्थान* में लिखते हैं कि "भारतीय हस्तशिल्प विश्वविख्यात थे।" प्रसिद्ध इतिहासकार डा. डी.एन. गाडगिल ने लिखा है कि **"ढाका की मलमल, बंगाल की छींट, बनारस की साड़ी एवं सूती वस्त्र, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, कश्मीर की कशीदाकारी, राजस्थान की चुनरी तथा सिरोही की मोजड़ी न केवल घरेलू बाजार में अपितु विदेशों में भी भारतीय कलात्मकता का परचम लहराती थी।"** आज भी काष्ठकला, ब्लू पोटरी, हाथीदांत की चूड़ियां, पत्थर पर कारीगरी, मूर्तिशिल्प, ज्वैलरी, नमदा, गलीचा, चर्मशिल्प, मोजड़ी, फर, पेंटिंग, केमल हाइड वर्क, थेवा कला, मांडने आदि शिल्प उत्कृष्टता लिए हुए हैं। इनको आज भी युवा सीखकर हमारी इस परंपरागत थाती की रक्षा कर सकते हैं तथा रोजगार एवं आय का सृजन कर गांव स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता के अग्रदूत बन सकते हैं। पंचायतें अपने क्षेत्र में दो–दो माह के शिविर लगाकर संबंधित विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलवाकर क्राफ्ट सेंटर्स और क्राफ्ट्स स्कूल चला सकती हैं जोकि परंपरागत स्कूलों से ज्यादा उपयोगी एवं रोजगारमूलक हो सकते हैं।

कृषि एवं पशुपालन

गांवों में रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। **पंचायतें ऐसी योजनाएं बनाएं जिनमें बेरोजगार परिवारों को गैर कृषि योग्य भूमि, परती भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। उन्हें निश्चित समय के लिए इन भूमियों का आवंटन कर गांव की बेरोजगारी मिटाई जा सकती है।** लिफ्ट इरिगेशन योजनाएं लगाकर, छोटी सिचांई परियोजनाएं तथा गांवों में वर्षा का पानी इकट्ठा करके खेतीबाड़ी का कार्य भलीभांति किया जा सकता है। लोगों को उन्नत किस्म की फसलों, सब्जियों को उगाने की नवीन तकनीक, खाद–बीज तथा वाणिज्यिक फसलें लेने की विधि की जानकारी कृषि विशेषज्ञों द्वारा कराकर युवाओं को प्रशिक्षित करके बेहतर कृषि उत्पादन को संभव बनाया जा सकता है। कृषि उत्पादन पर आधारित लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं यथा फलों और सब्जियों की पैकिंग, आचार एवं मुरब्बे बनाना, मसाले बनाना', पोले बनाना, दालें बनाना, डिब्बाबंदी और खाद्यान्न संरक्षण के द्वारा भी लोगों को रोजगार मुहैया कराकर स्वरोजगार की ओर मोड़ा जा सकता है।

पशुपालन के परंपरागत व्यवसाय को लाभकारी बनाने की दृष्टि से विज्ञान एवं तकनीकी के इस युग में आज भी असीम संभावनाएं हैं। दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, गोबर, गौमूत्र, चर्म, अस्थियां, उपले, ऊन, सींग, आदि से बने विभिन्न उत्पादों से लघु एवं कुटीर ग्रामोद्योग चलाए जा सकते हैं। पंचायतें व्यवस्था करके पशुपालन को ग्रामीण रोजगार का आधार बना सकती हैं। गोबर गैस संयंत्र की सहायता से रसोई गैस और रोशनी के कार्य को भलीभांति अंजाम दिया जा रहा है जो सर्वविदित है।

अल्पबचत एवं बीमा एजेंसी तथा अल्पबचत बैंक

अल्पबचत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अल्पबचत की एजेंसी तथा बीमा एजेंसी जिनमें विनियोग या पूंजी नहीं चाहिए, अपनाकर भी युवा रोजगार को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। लोगों का पोस्ट आफिस में खाता खुलवाना, आर.डी. खुलवाना, एफ.डी खुलवाना तथा इसके लिए पोस्ट आफिस से कमीशन प्राप्त करना अच्छा रोजगार है। उत्तम सेवाएं देकर तथा मेहनत करके अच्छी आमदनी हो सकती है। इसी प्रकार बीमा एजेंसी लेकर भी बीमा का कार्य किया जा सकता है।

अल्पबचतों के द्वारा मिलकर स्वयंसहायता समूह का निर्माण करके रोजगार बढ़ाने में पंचायतें योगदान कर सकती हैं। स्वबचत की आदत का विकास करने में अल्पबचत बैंक महत्ती भूमिका निभाते हैं। फिजूलखर्ची पर अंकुश लगता है, समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लोग परस्पर मिल–बैठकर खुद अपनी समस्या सुलझा सकते हैं, अपने एकत्रित कोष से ऋण ले सकते हैं। बचत समूह पूंजी एवं सहयोग द्वारा रोजगार बढ़ाने में मदद प्रदान कर सकते हैं और यह नारा फलीभूत होता है कि 'आज की बचत कल का सहारा' 'बूंद–बूंद से घट भरे' आदि।

पर्यटन

बिना किसी उत्पादन के आय देने वाला रोजगार प्रदान करने में सक्षम पर्यटन आज एक प्रमुख उद्योग के रूप में प्रतिस्थापित हो रहा है। हमारी पंचायतें पर्यटन के बढ़ते महत्व एवं आकर्षण को दृष्टिगत रखकर अपने क्षेत्र में रोजगार संभावनाओं में इजाफा कर सकती हैं। पंचायत क्षेत्र की हवेलियां, तीज–त्योहार, मेले, उत्सव, बावड़िया, कला–संस्कृति, मंदिर, खानपान, रहन–सहन आदि लोगों के आकर्षण के केंद्र हो जाते हैं। पंचायतें अपने क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं की तलाश कर इसके विपणन की प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर आय एवं रोजगार का एक जरिया जुटा सकती हैं। ऐसा करने के लिए पर्यटकों को बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना होगा। सड़कें, परिवहन, होटल, संचार, विश्रामस्थल, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, भोजन, नाश्ता आदि उपलब्ध कराने होंगे तथा सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देना होगा जिनमें अनगिनत लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। आज शहरों की भीड़–भाड़ से दूर स्वच्छ वातावरण में लोग घूमने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः हमारी पंचायतें इस दिशा में थोड़ा प्रयास करें तो पर्यटन में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जयपुर और अहमदाबाद जैसे महानगरों में "विशाला" और "चौखी ढाणी" विकसित कर देश–विदेश के पर्यटकों को लाया जा सकता है तो ग्रामीण भारत तो उनसे कई गुना ज्यादा नैसर्गिक सौंदर्य से ओतप्रोत है।

अब रोजगार शिक्षा से कम किंतु राज्यों के विकास और श्रम कौशल से अधिक जुड़ा है। देश के विकास की रणनीति पूंजी आधारित कम और श्रम व उत्पादकता उन्मुख अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष के तहत हमें रोजगार अवसरों में वृद्धि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और श्रम कौशल उन्नयन की बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसमें पंचायतें बहुमुखी भूमिका का निर्वाह कर गहराती बेरोजगारी की समस्या के निदान में एक प्रकाशपुंज का कार्य कर सकती हैं। ❑

वरिष्ठ संकाय सदस्य
सेमु.मा. कन्या महाविद्यालय
भीलवाड़ा (राज.) 311001

विशिष्ट महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरस्कार

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज

8, नेलसन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नयी दिल्ली-110070
दूरभाष : 26121902, 26121909 फैक्स : 26137027
ई-मेल : iss@nda.vsnl.net.in

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा **24 अप्रैल 2004** को **महिला सशक्तीकरण दिवस समारोह** दिल्ली, बंगलूर, चेन्नई, भुवनेश्वर तथा कोलकाता में मनाया जायेगा। इस सिलसिले में **विशिष्ट महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरस्कारों** के लिए नामांकन पत्र आमंत्रित हैं। ये पुरस्कार महिला पंचायत प्रतिनिधियों को सार्वजनिक जीवन की समृद्धि एवं पंचायतों के विकास में उनके योगदान के लिए 24 अप्रैल 2004 को नयी दिल्ली में दिये जायेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया *डॉ. विद्युत महांति, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नयी दिल्ली* से संपर्क करें। नामांकन पत्र जमा करने की *अंतिम तिथि 30 मार्च 2004* है।

देश में रोजगार परिदृश्य और भावी रणनीति

☞ नील वाचस्पति

आज जब देश का रोजगार परिदृश्य एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है तो ऐसे में इंडियाज न्यू अपरचुनिटी 2020 रिपोर्ट एक आशा की किरण की तरह है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में व्यावसायिक संसाधन आधार को समृद्ध करके तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में हाल की उपलब्धियों को मजबूत करके 4 करोड़ नए उच्च मूल्य रोजगारों का सृजन किया जा सकता है।

इस समय देश का रोजगार परिदृश्य चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक तरफ देश में करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं तो दूसरी तरफ रोजगार केंद्रों में दर्ज नौकरियों के इच्छार्थियों की संख्या 4.07 करोड़ (अप्रैल 2003 तक) है। वर्ष 1993–94 तथा 1999–2000 के दौरान देश में मौजूदा रोजाना स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर क्रमशः लगभग 5.99 तथा 7.32 प्रतिशत थी।

रोजगार की यह चुनौती शहरों की तुलना में गांवों में अधिक चिंताजनक है। एक ओर जहां सरकारी और निजी क्षेत्र में नई नौकरियों का पर्याप्त सृजन नहीं हो पा रहा है, वहीं इन दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने, खर्च घटाने और चुस्ती बढ़ाने की चाहत में दिन–पर–दिन कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। सरकारी नौकरियों में अधिकतर पदों पर नई भर्तियों पर वैसे ही रोक है और निजी क्षेत्र भी मुनाफा बढ़ाने का मोह छोड़ने में अक्षम है। परिणामतः आज सरकार, सार्वजनिक उपक्रम और देश की बड़ी कंपनियां सरेआम वह सब कर रही हैं जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

हाल ही में भारत सरकार के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने संगठित क्षेत्र के बारे में जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार संगठित क्षेत्र में रोजगारों की संख्या घट रही है। वर्ष 2001–02 के दौरान संगठित क्षेत्र में 4.2 लाख रोजगार कम हुए और ऐसा लगातार पांचवे साल हुआ है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 1998 से 2001 के बीच तीन वर्षों की अवधि में जितने रोजगार कम हुए, उसमें कहीं ज्यादा कमी 2001–02 के दौरान आई। संगठित क्षेत्र में मार्च 2002 के दौरान कुल रोजगारों की संख्या 2 करोड़ 73 लाख थी जोकि मार्च 97 के मुकाबले 9 लाख 10 हजार कम है।

केवल सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के बड़े, मध्यम, लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों में भी रोजगार के अवसर घटे हैं। सरकार का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन और आर्थिक उदारीकरण के कारण परंपरागत उद्यमों में कुछ रोजगार और कम हो सकते हैं लेकिन आई.टी., टूरिज्म और वित्तीय सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर पैदा होंगे।

देश में आर्थिक सुधारों के छह वर्षों (1994 से 2004 तक) के बीच रोजगार के अवसर पहले की तुलना में धीमी गति से बड़े हैं। वर्ष 1993–94 के 11 वर्षों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि दर करीब दो प्रतिशत थी जो 1994–2000 में घटकर 0.98 प्रतिशत रह गई।

निश्चित रूप से बढ़ती बेरोजगारी और उससे पैदा हो रहे खतरों पर विचार करना आज महती जरूरी हो गया है। देश में पहली बार तैयार की गई राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट आर्थिक–सामाजिक समस्याओं से जुड़ी कई सच्चाइयों का खुलासा करती है। इस रिपोर्ट में बेरोजगारी से संबंधित कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। साक्षरता की दृष्टि से केरल सबसे आगे है लेकिन साथ ही बेरोजगारी में भी वह पहले स्थान पर है। यहां बेरोजगारों में शिक्षितों की संख्या ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार शहरों की अपेक्षा गांवों में बेरोजगारी ज्यादा है। हरियाणा और कर्नाटक में बेरोजगारी कम होने की बात कही गई है जिसका प्रमुख कारण इन राज्यों का आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होना है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। कर्नाटक आई.टी. क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। वहां विदेशी पूंजी निवेश बड़े पैमाने पर हुआ है तो सरकारी स्तर पर भी काफी पैसा खर्च किया गया है। इस रिपोर्ट से यह संकेत मिलते हैं कि अब रोजगार का संबंध शिक्षा से कम किंतु राज्यों के विकास और श्रम कौशल

से अधिक जुड़ा हुआ है। ऐसे में देश में रोजगार बढ़ाने के लिए जरूरी है कि विकास की रणनीति पूंजी आधारित कम और श्रम व उत्पादकता उन्मुख अधिक होनी चाहिए।

राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के निष्कर्ष पर ध्यान दें तो उसमें यह कहा गया है कि यदि हमें रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना है तो व्यावसायिक प्रशिक्षण और श्रम कौशल बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना होगा। वर्तमान में देश में 20–24 वर्ष आयु वर्ग के कुल श्रम बल में केवल 6 प्रतिशत ही व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हैं जबकि औद्योगिक देशों में यह आंकड़ा 60 प्रतिशत है।

रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से योजना आयोग ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स वर्ष 2007 तक पांच करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी के साथ–साथ रोजगार सृजन नीति तैयार करेगा। योजना आयोग के सदस्य एम.पी.गुप्ता की अध्यक्षता में गठित इस 34 सदस्यीय टास्क फोर्स ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिसंबर 2003 तक सौंपनी है, अंतिम रिपोर्ट मार्च 2004 तक पेश की जाएगी। रोजगार नीति तैयार करने के उद्देश्य से राज्यों के लिए गाइड़लाइन बनाने के अलावा टास्क फोर्स रोजगार सृजन की भी निगरानी करेगा। दसवीं योजना का लक्ष्य भी रोजगार सृजन और समानता पर जोर देते हुए योजनावधि के दौरान प्रगति की रफ्तार में तेजी लाना है। इसमें योजनावधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में आठ प्रतिशत सालाना वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार और स्वरोजगार अवसरों का लक्ष्य भी शामिल है। इनमें से लगभग 3 करोड़ रोजगार अवसर सामान्य विकास प्रक्रिया से सृजित होंगे और शेष दो करोड़ कृषि, सिचांई, कृषि–वन्य, लघु तथा मझोले उद्यमों, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन और अन्य सेवाओं पर खास जोर के साथ विशेष रोजगार सृजन योजनाओं से सृजित किए जाएंगे। इससे देश में बेरोजगारी समस्या में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

दसवीं योजना में श्रमशक्ति के साथ लाभदायक उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। दसवीं योजना की रणनीति तेज विकास के उन क्षेत्रों पर जोर देती है जो सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं आदि की तरह उच्च गुणवत्तापूर्ण रोजगार अवसरों का सृजन करती है। विशेष ध्यान ऐसे नीति परिवेश पर दिया जाएगा जो आर्थिक गतिविधियों के व्यापक दायरे को प्रभावित करता है और जिसमें रोजगार की बेशुमार संभावनाएं हैं।

हाल ही में अखिल भारतीय प्रबंधक संघ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इंडियाज न्यू अपरचुनिटी 2020 नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने व्यावसायिक संसाधन आधार को समृद्ध करके तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में हाल की उपलब्धियों को मजबूत करके 4 करोड़ नए तथा उच्च मूल्य रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि **विकसित देशों को**

सेवाओं के योगदान से ही 100 से 300 अरब डॉलर के बीच आमदनी होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही प्रतिवर्ष 1–2.4 करोड़ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

आने वाले वर्षों में व्यावसायिक श्रमिकों की कमी बड़े पैमाने पर झेलनी पड़ेगी जो दो वजह से होगी–आयु बढ़ने से तथा जनसंख्या की कम वृद्धि दर। इसी अवधि में भारत का विश्व में एक ऐसे देश के रूप में उभरना तय है जिसमें सबसे अधिक रोजगार योग्य व्यक्ति होंगे।

विकसित देशों को श्रमिकों की कमी की वजह से सही प्रकार के कौशल की जरूरत होगी जो उन्हें या तो दूसरे देशों से श्रमिकों को लाकर पूरी करनी होगी या फिर दूसरे देशों में अपने उत्पादन करवाने होंगे यानी आउटसोर्सिंग से जोकि सूचना प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति के द्वारा संभव हो गया है। इस प्रकार भारत के पास अपनी व्यावसायिक सेवाओं के प्रत्यक्ष या परोक्ष निर्यात द्वारा इस स्थिति से लाभ उठाने का अनूठा अवसर है। सेवाओं के योगदान से ही 100 से 300 अरब डॉलर के बीच आमदनी होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही प्रतिवर्ष 1–2.4 करोड़ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अपने यहां दूसरे देशों के उत्पादन के कारोबार के साथ–साथ भारत चिकित्सा तथा वृद्धावस्था, पर्यटन, शैक्षणिक सेवाओं और विश्राम गतिविधियों का भी एक पसंदीदा केंद्र बन सकता है।

रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए आज जरूरी है एक भावी रणनीति बनाने की विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। साथ ही आज जरूरत है रोजगारपरक तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने की। आज विशेष नीतियां बनाकर व्यावसायिक ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। ऐसे कोर्स तैयार किए जाने जरूरी हैं जो बाजार की जरूरत के हिसाब से कर्मचारी तैयार कर सकें। आने वाले समय में उद्यमशीलता और कौशल को लगातार बढ़ाने से ही कामयाबी हासिल हो सकेगी, यह बात नई पीढ़ी को अच्छी तरह से समझनी होगी। आज जरूरत है स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने की, स्वरोजगार हेतु युवाओं को प्रशिक्षण द्वारा तैयार करने की और अपना उद्यम लगाने के लिए आसान शर्तों पर ऋण तथा सहयोग राशि उपलब्ध कराने की। हमारे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने का स्वरोजगार में बेहतर कोई विकल्प फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ❑

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड–4, लेवल–7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

स्वर्ण जयंतीग्राम स्वरोजगार योजना आवश्यकता व प्रगति

☞ डा. राधाकृष्ण बिश्नोई

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम एक अप्रैल, 1999 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण निर्धनों को स्वयंसहायता समूहों में संगठित करने में मदद देना है। यह योजना केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के लागत बंटवारे के अनुपात के आधार पर विभाजित होगी।

देश की आत्मा गांवों में बसती है। भारत गांवों का देश है। उसकी एक अरब दो करोड़ बीस लाख की आबादी में 70 फीसदी से भी अधिक लोग गांवों में बसते हैं और खेतीबाड़ी तथा उद्योग–धंधों के द्वारा अपना गुजर–बसर करते हैं। ग्राम एवं ग्रामोद्योग की यह परंपरा प्राचीनकाल से चली आ रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु, सीमांत कृषकों, खेतिहर मजदूरों तथा अन्य श्रमिकों, शिल्पियों, व्यावसायिक एवं सेवा करने वाले परिवारों का बाहुल्य है तथा इनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में गरीबी तथा बेरोजगारी इनकी मुख्य समस्याएं हैं। बढ़ती हुई ग्रामीण आबादी को रोजगार मुहैया कराने, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली आबादी को ऊपर उठाने, आर्थिक विषमता कम करने एवं बढ़ते शहरीकरण की समस्या का समाधान करने का एकमात्र विकल्प है – ग्रामीण उद्योगीकरण क्योंकि बढ़ती ग्रामीण आबादी के लिए कृषि क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए सबको काम नहीं दिया जा सकता।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही नियोजकों का ध्यान ग्रामीण निर्धन जनता की आर्थिक दशा सुधारने की ओर गया परंतु नियोजन काल में गरीबी पर सशक्त प्रहार के बावजूद एक बड़ी मात्रा में जनसंख्या गरीबी–रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या 1960–61 में 138 मिलियन, 1970–71 में 200 मिलियन, 1977–78 में 264 मिलियन, 1987–88 में 232 मिलियन, 1993–94 में 244 मिलियन तथा 1990–2000 में 193 मिलियन थी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के अनुपात में 1960–61 में 38 प्रतिशत, 1970–71 में 45 प्रतिशत, 1977 में 53 प्रतिशत, 1987–88 में 39 प्रतिशत, 1993–94 में 37 प्रतिशत तथा 1999–2000 में 27.1 प्रतिशत था। यद्यपि राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण तथा आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में भिन्नता पाई जाती है लेकिन उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 1977–78 के बाद ग्रामीण गरीबी के प्रतिशत में कमी आई लेकिन अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने के लिए विवश है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के कई कार्यक्रम चलाए गए परंतु उन्मूलन एवं स्वरोजगार के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए एक सशक्त कार्यक्रम का प्रार्दुभाव एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के साथ 1977–78 में हुआ। बाद में वर्ष 1980–81 से इसे देश के सभी विकासखंडों में लागू कर दिया गया। कार्यक्रम से गरीबी उन्मूलन में आंशिक सफलता मिलने पर इसकी उपयोजना के रूप में ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राईसेम तथा डवाकरा) क्रियान्वित किए गए। तत्पश्चात योजना आयोग ने कुछ अन्य स्वरोजगार कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया। इन कार्यक्रमों में प्रमुख थे – उन्नत टूल किट्स योजना, गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कूप योजना।

एक अप्रैल, 1999 से वर्तमान सभी छह स्वरोजगार कार्यक्रमों का संगम करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पुराने इन सभी छह कार्यक्रमों का इस कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है। प्राचीन स्वरोजगार कार्यक्रमों के अलग–अलग उद्देश्य थे – निर्धनता उन्मूलन, रोजगार के अवसरों का सृजन, प्रशिक्षण तथा तकनीकी ज्ञान का विकास। इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लाभार्थियों को ऋण, अनुदान तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। डवाकरा योजना में महिला समूह गठन पर बल दिया गया था तथा तत्पश्चात ऋण, प्रशिक्षण, अनुदान आदि की व्यवस्था थी। इन सरकारी प्रयासों से निर्धनता की रेखा में रहने वाले व्यक्तियों में उल्लेखनीय कमी 1980–81 से 2000–01 के मध्य मिलती है। परंतु साथ ही यह पाया गया कि अल्पसमय के बाद ये लाभार्थी पुनः निर्धनता के दुश्चक्र में जकड़े जाते हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अनुदान समायोजन व ऋण वितरण में अधिकांश भ्रष्टाचार व धांधलियों की शिकायतें सरकार के पास आ रही थीं। अतः नीति निर्धारकों ने स्वरोजगार कार्यक्रमों को एक नवीन आवरण प्रदान किया तथा

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह कार्यक्रम कई मायनों में पुराने कार्यक्रमों से भिन्न है। इसमें ग्राम विकास के लिए सहकारिता की अवधारणा पर आधारित स्वयंसहायता समूह बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम की यह मान्यता है कि संगठन एक प्रभावी व समर्थ विकल्प के रूप में वर्तमान ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बहुत प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। आर्थिक–सामाजिक परेशानियों को आपस में बांटकर झेला जा सकता है तथा अनेक सामाजिक बुराइयों से मुक्ति पाई जा सकती है और विकास के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों को समूह में संगठित कर आत्मनिर्भर बनाने को दृष्टिगत रखता है। इस कार्यक्रम की एक अनूठी विशेषता है कि विकासशील देशों के लिए यह एक वरदान है क्योंकि अल्पबचत को प्रोत्साहित करता है। जब तक समूह अल्पबचत के एक निर्धारित न्यूनतम स्तर को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उनको सक्रिय समूह नहीं माना जाएगा। ऐसे निष्क्रिय समूहों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 10 से 20 व्यक्तियों का एक स्वयं सहायता समूह बना लिया जाता है। लघु सिंचाई योजनाओं तथा विकलांगों के लिए इनकी न्यूनतम संख्या 5 हो सकती है। इस कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों को ही लाभान्वित किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति का लक्ष्य 50 प्रतिशत, महिलाओं का लक्ष्य 40 प्रतिशत तथा विकलांगों का लक्ष्य 3 प्रतिशत है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड स्थानीय संसाधनों तथा बाजारों की उपलब्धता के आधार पर 4–5 प्रमुख स्कीमों या गतिविधियों का चुनाव करेगा। ये गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जिससे लाभार्थियों की आय में स्थायी वृद्धि हो और वह गरीबी रेखा को पार कर जाए। स्वयंसहायता समूह को गतिविधियों की योजना बनाते समय योजना की उत्पादकता, कार्यक्षमता, लाभदायकता आदि पर बल देना होगा। इस योजना के अंतर्गत अल्पबचत से आंतरिक ऋण की व्यवस्था की गई है। इसमें सदस्य अपनी इच्छा से समूह में

संगठित होकर नियमित रूप से 10–20 रुपये या उससे ज्यादा बचत करके जरूरतमंद सदस्यों को ऋण का लेनदेन करते हैं। इसका उद्देश्य बीमारी का इलाज, कृषि कार्य, शादी, व्यवसाय, आकस्मिक संकट आदि हो सकता है। हर बैठक में बचत की राशि सदस्यों द्वारा जमा की जाती है तथा आंतरिक ऋण का लेनदेन किया जाता है।

स्वयंसहायता समूहों में क्षमता विकास हेतु रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था की गई है। समूह के गठन के छह माह बाद सफल कार्यशैली के परीक्षण के बाद 25,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसमें 10,000 रुपये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से तथा 15,000 रुपये बैंकों से मिलेंगे। बैंक के रिवाल्विंग फंड पर समूह को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज देना ही होगा। प्रथम चरण में समूह गठन की अवधि, समूह में भ्रातृत्व एवं समरूपता का स्तर, समूह की बैठकों की स्थिति, बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति, नियमित बचत की स्थिति, समूह के नियमों एवं उपनियमों की स्थिति, अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति, अपनी बचत के सापेक्ष वितरित ऋण की वसूली पर ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक के अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर समूह प्रथम ग्रेडिंग उत्तीर्ण कर जाएगा। इसके पश्चात उसे रिवाल्विंग फंड दिया जाएगा। द्वितीय ग्रेडिंग के मूल्यांकन में रिवाल्विंग फंड का संतोषजनक संचालन, रिवाल्विंग फंड के चक्रीकरण एवं सदस्यों के लाभान्वयन की स्थिति, ऋणवसूली की स्थिति, समूह द्वारा बैंक को ऋण की वापसी, रिवाल्विंग फंड से सदस्यों को दिए गए ऋण की स्थिति; परिसंपत्ति सृजन एवं सदस्यों के अनुभव एवं कौशल की स्थिति, सदस्यों के प्रशिक्षण की स्थिति, समूह क्रियान्वयन के व्यावसायिक एवं वित्तीय पहलुओं की सदस्यों को जानकारी, स्वयं की बचत एवं निधियों की वृद्धि की स्थिति, समूह की वित्तीय स्थिति की सदस्यों की जानकारी और उनकी जागरूकता, उपनियम एवं निर्धारित मानकों को लागू करने में समूह का प्रभाव, बाह्य सहायता और सरकारी संस्थाओं, सुविधादाताओं आदि पर निर्भरता की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रत्येक के अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर समूह द्वितीय ग्रेडिंग उत्तीर्ण कर जाएगा। तृतीय चरण में ऋण तथा अनुदान व्यक्तिगत स्तर पर मिलने लगेंगे। इस कार्यक्रम में ऋण और उसके सदुपयोग पर अधिक ध्यान दिया गया है तथा अनुदान को गौण माना गया है जो परियोजना को उपयोगी बनाने के लिए हैं। निवेश का अधिकांश भाग वित्तीय संस्थाओं तथा व्यावसायिक बैंकों, सहकारी बैकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था करना है। ऋण की मात्रा परियोजना लागत के बराबर होगी। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 15 दिन के भीतर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत

तालिका–1

वर्ष	योग सहायताप्राप्त स्वरोजगारकर्ता	बैंक ऋण (लाख रु.)	सब्सिडी (लाख रु.)	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या और उनका अनुपात	अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या और उनका अनुपात	महिलाएं और उनका अनुपात	विकलांग संख्या और उनका अनुपात
2001–02	800593	110927.52	55492.78	248021 (30.98%)	100138 (12.51%)	328660 (41.05%)	5106 (0.64%)

किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अनुदान की दरें एक समान होंगी। अर्थात सामान्य वर्गों में परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 7500 रुपये एवं अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थिति में यह अनुदान 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 10,000 रुपये होगा। स्वयंसेवी समूहों के लिए अनुदान राशि 50 प्रतिशत होगी। इसकी अधिकतम सीमा समूह के लिए 1.25 लाख होगी। अनुदान बैंक द्वारा प्रदत्त होगा। बैंक परियोजना लागत की पूरी धनराशि ऋण के रूप में , जिनमें अनुदान भी शामिल होगा, स्वरोजगारी को आवंटित करेंगे।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास पर बल दिया गया है। ऋण मंजूर होने के पश्चात् लाभार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जिला ग्रामीण अभिकरण को एस.जी.एस.वाई. आवंटन की 10 प्रतिशत तक निधियों को प्रशिक्षण हेतु निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चयनित गतिविधि की प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। प्रौद्योगिकी के समावेश के द्वारा स्थानीय संसाधनों, जिनमें स्थानीय और गैर–स्थानीय बाजार के लिए प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतों तथा स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित सामान के विपणन को बढ़ावा देने की व्यवस्था भी की गई है जिसमें स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित सामान के प्रदर्शन और बिक्री हेतु मेलों का आयोजन, बाजार सूचना का प्रावधान आदि व्यवस्थाएं शामिल हैं।

कार्यक्रम की प्रगति

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम एक अप्रैल, 1999 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण निर्धनों को अपने स्वयंसहायता समूहों में संगठित करने में मदद देना है। यह योजना केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के लागत बंटवारे के अनुपात के आधार पर विभाजित होगी।

इस कार्यक्रम की प्रगति, बैंक ऋण, सब्सिडी व अन्य उपलब्धियों का वर्ष 2001–2002 का विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

कुछ उपयोगी सुझाव

ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त भीषण बेरोजगारी व गरीबी की समस्या पर सशक्त रूप से प्रहार करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। अब तक के कार्यक्रम के मूल्यांकन को यदि दृष्टिगत रखा जाए, तो इसको और सक्रिय व प्रभावी बनाने हेतु निम्न कुछ उपयोगी सुझाव हैं :

1. इस कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। प्रायः यह देखा गया है कि मुख्य अधिकारी व ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित कर्मचारी आदि भ्रष्ट तरीके से आय कमाने में लगे रहते हैं और समूह गठन की प्रक्रिया में रुचि नहीं लेते जिससे कार्यक्रम निष्प्रभावी हो जाता है। अतः कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार को कठोर कदमों से दूर करने की आवश्यकता है।
2. कार्यक्रम की एक अनूठी विशेषता अल्पबचत को प्रोत्साहन देना है तथा आवश्यकता पड़ने पर उस बचत से ही समूह के लाभार्थियों को आंतरिक ऋण प्रदान करना भी है। कार्यक्रम के द्वारा अल्पबचत को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने सर्वेक्षण के दौरान यह पाया है कि समूह गठन की प्रक्रिया में जागरूकता की कमी है। अतः स्वयंसहायता समूह गठन से प्राप्त होने वाले लाभों से लाभार्थियों को परिचित कराना चाहिए और स्वयंसहायता समूह को एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाना चाहिए।
4. कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए गठित राज्य, जिला और ब्लाक स्तरीय समितियों के निष्कर्षों एवं सुझावों पर ध्यान देते हुए कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने का प्रयास करना चाहिए।
5. ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा बैंक कर्मचारी स्वयंसहायता समूह के गठन की प्रक्रिया में शुरु से ही भाग लें तथा ग्रामीण जागरूकता बढ़ाने के लिए समय–समय पर कार्यक्रम आयोजित करें।
6. गैर–सरकारी संगठन भी ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। अतः अच्छे गैर–सरकारी संगठनों की स्वयंसहायता समूहों के गठन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
7. इस योजना के उत्पादों के विपणन को योजनाबद्ध तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए नए–नए बाजार तलाश करने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न मेलों के माध्यम से उत्पादों का विपणन करना चाहिए।
8. इस कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण तरीके से क्रियान्वित करने के लिए योजना बनाई जाए तथा संगठित संगठन की ऐसी व्यवस्था हो कि संसाधनों का अभीष्ट उपयोग सुनिश्चित हो सके और उनका लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जिनके लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं।

सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि अब कोरी कागजी योजनाओ का समय नहीं है। यह समय है काम का, मानवता का, देश के करोड़ो नर–नारियों की रोजी–रोटी का, उनके सपनों का, उनके जीवन पर उनके संबल का, उनके सहारे का। ❑

74/110, धनकुट्टी,
कानपुर (उ.प्र.)

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका

☞ चन्द्रेश कुमार

हर गांव में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों की इकाइयां लगाने पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि कृषि उत्पादों को वहीं प्रसंस्कृत किया जा सके। इससे एक तो यह फायदा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में वृद्धि हो सकेगी दूसरी तरफ लोगों को वर्ष भर रोजगार मिल सकेगा।

देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्योग और सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के बावजूद कृषि के महत्व में कोई कमी नहीं आई है। देश की सत्तर फीसदी आबादी अभी भी गांवों में बसती है। उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच सीमित होती कृषि योग्य भूमि ने कृषि पर दबाव तो बनाया ही है साथ ही काम की इच्छा और लगन होने के बाद भी लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है जिसके चलते इन क्षेत्रों में लगभग वर्ष भर बेरोजगारी की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में लोगों का काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन लाजिमी है जिसके चलते नगरीय वातावरण प्रदूषण, आवास की समस्या और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बीच पल–बढ़ रहा है। अतः **ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन रोकने, उनके लिए गांव में ही रोजगार की व्यवस्था करने तथा कृषि पदार्थों के मूल्यवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योग को बढ़ावा देना निश्चय ही इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे न केवल ग्रामीण बेरोजगारी दूर हो सकेगी बल्कि उनकी आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार तथा ग्रामीण विकास जैसे पहलुओं की भी बल मिलेगा।**

फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्वभर में दूसरा है। उस लिहाज से अभी हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्पादन के अनुपात में पनप नहीं पाया है। उस तरह के उत्पादक क्षेत्र जहां उत्पाद की उम्र बहुत थोड़े समय के लिए होती है और साथ ही उसके उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रहती है तब वैसे हालात में प्रसंस्करण के द्वारा ही उस उत्पाद का समुचित उपयोग किया जा सकता है और साथ ही उस क्षेत्र को भी पिछड़ने से बचाया जा सकता है। कृषि उत्पाद चूंकि कच्चा माल होता है अगर समय रहते उसका समुचित उपयोग नहीं किया जाता तो धीरे–धीरे उसमें क्षरण होता चला जाता है और अंततः इस्तेमाल लायक भी नहीं रह जाता। दूसरी बात यह है कि कृषि उत्पादों का उत्पादन खपत के लिहाज से ज्यादा हो रहा है अतः उन्हें भंडारण की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। इस दृष्टिकोण से उत्पादों को प्रसंस्कृत करना न केवल उचित उपाय है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद है। भारत में समशीतोष्ण से लेकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पैदा होने वाली अनेक प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। फलों की पैदावार भी अच्छी होती है। फलों–सब्जियों के प्रभावी उपयोग और प्रसंस्करण द्वारा संरक्षण से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा तो प्राप्त होती ही है साथ ही रोजगार के सृजन में भी काफी सहायता मिलती है। हमारे देश में फलों तथा सब्जियों के उत्पादन का बहुत उपयुक्त वातावरण होने के बावजूद भी इनके उत्पादन का केवल एक प्रतिशत भाग ही प्रसंस्कृत हो पाता है। इसका मुख्य कारण इस उद्योग के सामने उत्पादन की उच्च लागत, उसके बाद डिब्बाबंदी, परिवहन व विद्युत का अभाव है। हालांकि अब नई औद्योगिक नीति और बजट के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा गया है। अब तो कमोवेश सभी प्रकार के फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण की प्रौद्योगिकी विकसित कर ली गई है जिसमें फलों का गूदा, रस एवं सब्जियां, जैम, शर्बत, आचार, चटनी तथा सूखी सब्जियां शामिल हैं।

वर्तमान में जो भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चल रहे हैं उनमें से अधिकांशत : छोटे–छोटे उद्योग चलाने वाले ही हैं। उनमें वे लोग भी शामिल हैं जो परंपरागत ग्रामीण उद्योगों का संचालन कर रहे हैं। इन उद्योगों में परस्पर सामंजस्य का अभाव, असंगठित कार्य क्षेत्र का स्वरूप होने के कारण ये पूरी तरह संगठित उद्योग की तरह कार्य नहीं कर पाते जिसके चलते इनके उत्पादों का विपणन सही ढंग से नहीं हो पाता। इसका परिणाम यह होता है कि छोटे स्तर पर भी जो प्रयास हो रहे हैं उनका समुचित प्रतिफल नही मिल पाता।

ऐसे में जब हमारी आबादी का अधिकांश भाग कृषि पर आधारित रोजगारों में लगा हुआ है तब देश के समुचित आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। चूंकि अभी तक हमारे गांवों में इस तरह के उद्योगों का पर्याप्त

विकास नहीं हो पाया है जिसके चलते कृषि उपज प्रसंस्करण के लिए गांवों से शहरों में जाती है और प्रसंस्कृत होकर फिर गांवों में आती है। नतीजतन उन्हीं किसानों को अधिक मूल्य देकर इन उत्पादों को खरीदना पड़ता है। अतः हर गांव में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों की इकाइयां लगाने पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि कृषि उत्पादों को वहीं प्रसंस्कृत किया जा सके। इससे एक तो यह फायदा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में वृद्धि हो सकेगी दूसरी तरफ लोगों को वर्ष भर रोजगार मिल सकेगा।

खाद्य प्रसंस्करण को एक उद्योग के रूप में विकसित करने की भारत में अपार संभावनाएं हैं। प्रतिवर्ष यहां 210 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। चूंकि यह कृषि से संबंधित उद्योग है इस लिहाज से सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो सकता है। इस दृष्टिकोण से अगर ग्रामीण स्तर पर कई तकनीकी और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो निश्चित ही इसके सुखद परिणाम होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में इस उद्योग की निर्णायक भूमिका हो सकती है बशर्ते इस उद्योग के फलने–फूलने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाए।

अब जबकि इस क्षेत्र में असीम संभावनाओं को देखते हुए इसके त्वरित विकास पर बल देना है तब सर्वप्रथम कृषि उत्पादों को खेती से लेकर औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाने के कार्य को इस कदर पुनर्गठित किया जाना चाहिए ताकि खाद्यान्न कम से कम नष्ट हो सकें। इसके लिए समुचित भंडारण की सुविधा, रखरखाव और देखभाल पर्याप्त स्तर पर होनी चाहिए। हालांकि दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि नीति में अनुबंध कृषि पर जोर दिया गया है जिसमें कृषि भूमि का उपयोग व्यावसायिक कृषि के लिए किया जा सकेगा। इसमें यह प्रावधान है कि एक तरफ तो कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और दूसरी तरफ इन उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग खाद्य प्रसंस्करण के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा फूड पार्क की स्थापना भी इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है जिसका सामंजस्य कृषि निर्यात क्षेत्र से होगा ताकि ये दोनों मिलकर इस दिशा में बेहतर कार्य कर सकें।

इधर कुछ वर्षों से खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है परंतु किसानों को इसका समुचित मूल्य नहीं मिल पाने के चलते उनमें और बेहतरी के प्रोत्साहन का अभाव दिखता है। इसके लिए कृषि मंडियों में समुचित पारदर्शिता होनी चाहिए और किसानों को उनके उत्पादन की वाजिब कीमत मिल सके, इसका विशेष प्रावधान होना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि यही वह बुनियादी तत्व है जहां से इस उद्योग का सफर शुरू होता है। अतः किसान और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो सकें, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि नीति में अनुबंध कृषि पर जोर दिया गया है जिसमें कृषि भूमि का उपयोग व्यावसायिक कृषि के लिए किया जा सकेगा। इसमें यह प्रावधान है कि एक तरफ तो कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और दूसरी तरफ इन उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग खाद्य प्रसंस्करण के रूप में किया जाएगा।

इसके अलावा इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए हैं :

- प्रतिवर्ष पचास हजार करोड़ रुपये के खाद्यान्न उचित रखरखाव और देखभाल के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। इस योजना के कार्यकाल के दौरान 15 मिलियन टन खाद्यान्न रख सकने लायक शीतगृहों के बनाए जाने की योजना प्रस्तावित है। इसके लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- फलों से तैयार किए गए निर्यात पदार्थों को बाहर भेजे जाने से पहले उनकी गुणवत्ता की जांच की जानी है। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि देश भर में जगह– जगह प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए ताकि क्षेत्र विशेष के लोगों को गुणवत्ता प्रमाणपत्र लेने में कोई विशेष कठिनाई का अनुभव न हो।
- इस उद्योग में खाद्य पदार्थों को प्रसंस्कृत रूप में बाजार तक लाने में विभिन्न मंत्रालयों से वास्ता पड़ता है। खाद्य मंत्रालय प्रसंस्कृत किए गए फलों एवं सब्जियों के मानदंड निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क बनाए रखता है। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान के साथ तालमेल रखता है। साथ ही कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय भी प्रत्यक्ष या प्ररोक्ष रूप से इसमें सम्मिलित रहते हैं। अतः इन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच पूर्ण तालमेल हो ताकि प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो।
- और सबसे आखिर में इस उद्योग के सामने जो बाधा आएगी, वह है इन उत्पादों पर लगने वाले विभिन्न तरह के आरोपित टैक्स। चूंकि कृषि क्षेत्र को आयकर या उत्पाद कर की सीमा से बाहर रखा गया है। लेकिन जब खाद्यान्न प्रसंस्कृत होकर नए उत्पाद के रूप में आएंगे तो इन पर उत्पाद कर, टर्न ओवर कर, बिक्री कर आदि आरोपित किए जाएंगे जिससे कि ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। तब इनकी मांग में कमी की प्रवृत्ति बनी रह सकती है। अतः इस कठिनाई को देखते हुए कर संरचना को इस कदर तार्किक बनाया जाए ताकि इस उद्योग पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

इन सब बातों के अलावा गांवों में लोगों को इस उद्योग से संबंधित बुनियादी एवं तकनीकी स्तर पर शिक्षित करने की जरूरत है ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता आ सके। तब निश्चय ही यह उद्योग न सिर्फ ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास में और अधिक संभावनाओं के द्वार खोल सकेगा। ❑

188, इंद्रा विहार
दिल्ली–110009

ग्रामीण विकास और स्वयंसेवी प्रयास

☞ सुभाष सेतिया

पिछले कुछ वर्षों में स्वयंसेवी क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है और ये संस्थाएं शिक्षित एवं अशिक्षित कार्यकर्ताओं के सहयोग से काफी सुव्यवस्थित ढंग से अपनी गतिविधियां चला रही हैं। यदि गांवों में इनकी सक्रियता और बढ़ जाए तो ग्रामीण विकास के काम में बहुत तेजी आ सकती है और लोग सरकार की तरफ देखने की बजाए स्वयं आगे बढ़कर अपना तथा अपने गांव का विकास कर सकते हैं।

आगे बढ़ना मनुष्य का स्वभाव भी है और आवश्यकता भी। यही बात समाज और देश पर भी लागू होती है। आगे बढ़ने का अर्थ निरुद्देश्य बढ़ना नहीं बल्कि लक्ष्य और मंज़िल तय करके उस दिशा में व्यवस्थित ढंग से कदम बढ़ाना है। इसे ही नियोजित विकास कहा गया है। आज़ादी के बाद और विशेषकर पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता अपनाने के साथ भारत ने आर्थिक और सामाजिक विकास की यात्रा शुरू की जो राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तरह–तरह के परिवर्तनों के बावजूद आज भी जारी है। जाहिर है विकास की पद्धतियों और सोच में परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव आता रहता है किंतु आर्थिक उत्थान के प्रति शासन और जनता की रुचि व भागीदारी निरंतर बढ़ती रही है।

नियोजित विकास के प्रारंभ से ही समाजवादी दर्शन के अनुरूप विकास कार्यक्रमों के नियोजन और संचालन का दायित्व मुख्य रूप से सरकारी तंत्र यानी नौकरशाही को सौंपा गया। लगभग चार दशक के अनुभव के दौरान धीरे–धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि सैद्धांतिक रूप से जनसहभागिता पर बल दिए जाने के बावजूद व्यावहारिक धरातल पर देश के अधिकतर हिस्सों, खासकर गांवों में वहां के लोगों की इच्छाओं और स्थानीय साधनों की उपेक्षा हुई है और विकास के पश्चिमी मॉडल से प्रेरित और प्रशिक्षित अधिकारियों व विशेषज्ञों द्वारा शहरों में बैठकर तैयार किए गए कार्यक्रम और योजनाएं गांवों के लोगों पर थोपी जाती रही हैं।

हालांकि इस बात पर बराबर बल दिया जाता है कि स्थानीय प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए परंतु नौकरशाही को ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं व समस्याओं की सम्यक जानकारी तथा समझ न होने के कारण इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। 73वें संविधान संशोधन के जरिए ग्राम पंचायतों के ढांचे और कार्यकलापों में परिवर्तन करने का उद्देश्य विकास कार्यों में ग्रामीण लोगों की सहभागिता को और बढ़ाना ही था।

यह सही है कि पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा अधिकार मिलने तथा महिलाओं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों को आरक्षण मिलने से विकास प्रक्रिया में कुछ बदलाव आया है, परंतु प्रशासनिक जड़ता और लालफीताशाही के कारण विकास के लाभ सब लोगों तक पहुंचने का मकसद पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। ग्रामीण विकास के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सरकारी तंत्र का योगदान बहुत सीमित रहता है। संभवतः विकास की धीमी गति को देखते हुए ही 1990 के दशक में निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई गई। परंतु निजी क्षेत्र लाभ–हानि के आधार पर चलता है अतः ग्रामीण विकास उसकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। सरकारी क्षेत्र की शिथिलता और निजी क्षेत्र की उदासीनता को देखते हुए योजनाकारों का ध्यान तीसरे क्षेत्र यानी स्वयंसेवी क्षेत्र की ओर गया है। यह क्षेत्र क्योंकि विकेंद्रित होने के साथ–साथ मिशन भावना से काम करता है इसलिए ग्रामीण परिस्थितियों में यह अधिक कारगर सिद्ध हो सकता है।

यों तो हमारे देश में स्वयंसेवी क्षेत्र लंबे समय से सक्रिय हैं और बहुत–सी स्वयंसेवी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए अनेक सरकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सभी संभव सहयोग देती रही हैं परंतु इनका कार्यक्षेत्र मुख्यतया महानगरों और शहरों तक सीमित रहा है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से स्वयंसेवी क्षेत्र ने गांवों की कई नई–पुरानी समस्याएं हल करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उदाहरण के लिए **बिहार में किशनगंज जिले में गैर–सरकारी संगठनों ने ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाने का सराहनीय कार्य किया है। वहां एक साल में एक लाख औरतों को शिक्षित किया गया है।** इसी तरह राजस्थान में पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तालाब बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों का कायापलट करने में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। **बिहार से उठा सुलभ शौचालय आंदोलन देशभर में फैलकर स्वच्छता को बढ़ावा देने और सिर पर मैला ढोने के अभिशाप को दूर करने का ऐतिहासिक काम कर रहा है।** सुलभ इंटरनेशनल संगठन ने गांवों में स्थानीय आवश्यकताओं व संसाधनों के अनुरूप कई प्रकार के शौचालय विकसित करके पर्यावरण सुधार के साथ–साथ समाज

सुधार में योगदान किया है। बाल शिक्षा, बाल मजदूरी उन्मूलन, शराबबंदी, पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुत सी नामी–गिरामी स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं।

परंतु यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि ग्रामीण समस्याओं की विशालता और विकरालता की तुलना में ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। ग्रामीण विकास की चुनौती का सामना करने के लिए और अधिक स्वयंसेवी संगठनों के आगे आने की जरूरत है। शिक्षा और साक्षरता, विशेषकर महिला साक्षरता ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें स्वयंसेवी प्रयासों के लिए महती संभावनाएं हैं। अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत चलाए गए सर्वशिक्षा अभियान में स्वयंसेवी संगठनों को लड़कियों के शिक्षा संस्थान चलाने के लिए 100 प्रतिशत तथा सहशिक्षा संस्थाएं चलाने के लिए 90 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है। विभिन्न राज्यों में लगभग 800 गैर–सरकारी संगठन करीब 60,000 शिक्षा संस्थाएं चला रहे हैं। इसमें से अधिकतर संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी स्लम बस्तियों में काम करती हैं। इन स्वयंसेवी प्रयासों के फलस्वरूप साक्षरता के साथ–साथ लोगों में अपने अधिकारों तथा विभिन्न विकास एवं कल्याण योजनाओं से लाभ उठाने की समझ व जागरूकता भी पैदा होती है।

साक्षरता के बाद लोगों में रोज़गार की सहज इच्छा जाग्रत होती है। इसके लिए रोजगार लायक कौशल प्राप्त करना आवश्यक है। **केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से तकनीकी ज्ञान तथा विभिन्न व्यवसायों के कौशल सिखाने के अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता ली जाती है। कुछ योजनाएं संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कई देशों की सरकारों से प्राप्त आर्थिक सहायता से भी चलती हैं जिनके संचालन की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से गैर–सरकारी संगठनों को दी जाती है।** ग्रामीण विकास मंत्रालय के कपार्ट कार्यक्रम की इस दिशा में अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से गैर–सरकारी संगठनों को अपने–अपने क्षेत्र में योजनाएं चलाने के लिए 20 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की जा सकती है। इन योजनाओं से प्रशिक्षण प्राप्त करके गांव के लोग अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं जिसके लिए बैंकों तथा राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता और रियायती ब्याजदरों पर ऋण भी ले सकते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य रोजगार कार्यक्रमों में भी इन प्रशिक्षित लोगों को काम पर रखा जाता है।

वर्ष 1987 में घोषित राष्ट्रीय जलनीति और 2002 में स्वीकृत संशोधित जलनीति में जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। इसी के अनुरूप अनेक राज्य सरकारें वर्षा जल को एकत्र करके बाद में उसका इस्तेमाल करने की छोटी–छोटी योजनाएं बना रही हैं, जिनमें स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर तो आसपास के गांवों ने मिलकर किसी स्वयंसेवी संगठन या कार्यकर्ता के नेतृत्व में सरकारी मदद लिए बिना ही जल संरक्षण के कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए हैं जिससे पूरे क्षेत्र की स्थिति ही बदल गई है। इन प्रयासों से गांवों में खुशहाली लाने और दूर–दूर से पेयजल लाने के झंझट से महिलाओं को छुटकारा दिलाने में बहुत मदद मिली है।

गांवों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के मामले में गैर–सरकारी संगठन और व्यक्ति उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं। समूचे देश में अपनी अभिनव गतिविधियां चलाने वाले सुलभ इंटरनेशनल के प्रयासों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। केंद्र प्रायोजित केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को राज्य सरकारें स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से चलाती हैं। इस कार्यक्रम में गांवों के लोगों, विशेषकर महिलाओं की गरिमा और व्यक्तिगत गोपनीयता बनाए रखने के लिए घरों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ–साथ वातावरण की स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने जैसे पहलू भी शामिल किए गए हैं। 1999 में इस कार्यक्रम को नया रूप देकर पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया। ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहयोग देने के अलावा बहुत से गैर–सरकारी संगठन अपने तौर पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर रहे हैं। **पिछले दिनों महाराष्ट्र के आदिवासी जिले चंद्रपुर के राजगढ़ गांव में स्वच्छता आंदोलन चलाने के लिए युवा कार्यकर्ता चंद्रू मुरलीधर मराकवर को राज्य सरकार ने सम्मानित किया। श्री मराकवर ने पूरे गांव को अपने साथ लिया और राजगढ़ को राज्य का सबसे स्वच्छ गांव बनाने का श्रेय प्राप्त किया।** गांव के लगभग सभी लोगों ने इस कार्यकर्ता के नेतृत्व में श्रमदान करके अपने गांव को स्वच्छ बनाया और साथ ही पीने और सिंचाई के लिए पानी का इंतज़ाम किया। श्री मराकवर ने इस पुरस्कार की राशि भी गांव के लिए खर्च करने का फैसला किया।

बाल महिला और वृद्ध कल्याण जैसी गतिविधियों में स्वयंसेवी संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इन वर्गों की मदद करने वाले बहुत से गैर–सरकारी संगठन हैं, किंतु अभी तक इनका कार्यक्षेत्र मुख्यतया शहरों तक सीमित रहा है। हेल्पेज इंडिया, क्राई, चाइल्ड केयर जैसी अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं व्यापक स्तर पर वृद्ध, गृह बाल शिक्षा तथा छात्रावास और वृद्धजनों के लिए चलते–फिरते औषधालयों की सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनको रोजगार दिलाने की परियोज़नाएं भी चला रही हैं। बाल कल्याण में जुटी अनेक संस्थाएं अनाथ और उपेक्षित ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करती हैं ताकि वे अपराध और भटकाव के चंगुल से बचे रहें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। महिलाओं में जाग्रति लाने और उन्हें अपने पांव पर खड़ा होने लायक बनाने में भी अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं सहयोग दे रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण तथा माताओं एवं शिशुओं की देखभाल जैसे मामलों में भी स्वयंसेवी संगठन अपनी गतिविधियां चला रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में स्वयंसेवी क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है और ये संस्थाएं शिक्षित एवं अशिक्षित कार्यकर्ताओं के सहयोग से काफी सुव्यवस्थित ढंग से अपनी गतिविधियां चला रही हैं। यदि गांवों में इनकी सक्रियता और बढ़ जाए तो ग्रामीण विकास के काम में बहुत तेजी आ सकती है और लोग सरकार की तरफ देखने की बजाए स्वयं आगे बढ़कर अपना तथा अपने गांव का विकास कर सकते हैं। इससे पंचायती राज संस्थाओं का भी बोझ कम होगा और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रगति का मॉडल अपनाया जा सकेगा। इसे यों भी कह सकते हैं कि गांवों के लोग स्वयं अपनी स्वयंसेवी संस्थाएं बनाकर विकास गतिविधियां संचालित करेंगे तो प्रगति का पहिया और भी तेजी से घूमेगा और गांव को सत्ता की बुनियादी इकाई बनाने यानी सच्चे ग्राम स्वराज का महात्मा गांधी का सपना साकार हो सकेगा। ❑

1370, सेक्टर–12,
आर.के.पुरम नई दिल्ली–22

नई पीढ़ी गांवों की तस्वीर बदल देगी

☞ कुमार मयंक

अब कृषि और कृषक दोनों बदल गए हैं। उच्च उत्पादकतायुक्त विकसित कृषि क्षेत्र में उत्पादन से विपणन और प्रसंस्करण तक अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं जिनसे शानदार कैरियर बनाया जा सकता है। खेती में छिपे सुनहरे भविष्य की आहट को पहचानने के लिए शिक्षा, गहरी समझ और सूझबूझ की आवश्यकता है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन क्षेत्र भी उगते हुए सूरज की तरह है जो सर्वत्र अपने उजाले को फैलाएगा।

स्वयंसहायता समूह, एग्रो क्लीनिक, एग्रो बिजनेस सेंटर तथा कृषि विज्ञान केंद्र जैसी तकनीकी तथा व्यावसायिक गतिविधियों से ग्रामवासियों के कष्ट कम हुए हैं, उनकी जानकारी बढ़ी है और साथ ही साथ उनमें अपनी मदद खुद करने का जज़्बा भी पैदा हुआ है। नई पीढ़ी को रचनात्मक कार्यों में लगाकर समग्र ग्राम्य विकास की दिशा में हो रहे इन प्रयासों से उम्मीद जगती है कि अब वह दिन दूर नहीं जब हमारे गांव भी तरक्की के सफर में शहरों के हमसफर होंगे। ग्रामीण युवाओं की मिसाल दूसरों के लिए मशाल बनेगी, रास्ता दिखाएगी और प्रेरित करेगी। शिक्षित एवं कुशल ग्रामीण युवा भी विकास की गति को तेज करेंगे।

एक जमाना था जब खेती का नाम लेते ही किसान की आकृति दिलोदिमाग में उतरती थी। एक गरीब अशिक्षित और असमर्थ–सा व्यक्ति जो कर्ज के बोझ से दबा रहता था। समय ने करवट ली। अब कृषि और कृषक दोनों बदल गए हैं। उच्च उत्पादकतायुक्त विकसित कृषि क्षेत्र में उत्पादन से विपणन और प्रसंस्करण तक अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं जिनसे शानदार कैरियर बनाया जा सकता है। खेती में छिपे सुनहरे भविष्य की आहट को पहचानने के लिए शिक्षा, गहरी समझ और सूझबूझ की आवश्यकता है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन क्षेत्र भी उगते हुए सूरज की तरह है जो सर्वत्र अपने उजाले को फैलाएगा। यदि देखा जाए तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में ही प्रबंधन सर्वोपरि है। अतः वास्तव में आजकल प्रबंधन का युग है। **कृषि भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उद्योग एवं व्यापार की भांति कृषि और उससे जुड़े सभी क्षेत्रों में कुशल प्रबंधन की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।** लोककवि घाघ ने तो खेती को बरसों पहले ही उत्तम काज बताया था। आजकल तो वैसे भी खेती एक समूचा विज्ञान और पूरा व्यवसाय बन गई है। अतः इसे लाभकारी बनाने की दृष्टि से कृषि प्रबंधन पर ध्यान देना अनिवार्य हो गया है।

राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद; राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर तथा पं. गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (उत्तरांचल) द्वारा कृषि व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जाता है। प्रतिवर्ष जुलाई से प्रारंभ होने वाले इस पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष है। देश के प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रवेश हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते हैं। सभी इच्छुक कृषि स्नातक इन संस्थाओं से पत्र व्यवहार अथवा संपर्क करके पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि व्यवसाय प्रबंधन अर्थात् ए.बी.एम. कोर्स पूरा करने के बाद बेहतर रोजगार की संभावनाएं पक्की हो जाती हैं। खाद, बीज, कृषि यंत्र एवं कीटनाशी रसायन आदि का उत्पादन एवं विपणन करने वाली बड़ी–बड़ी कंपनियों में नौकरी और उन्नति के दरवाजे खुल जाते हैं। अतः मेधावी छात्रों को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। कहा भी गया है कि शुभस्य शीघ्रम अर्थात् अच्छे काम में शीघ्रता करें। हैदराबाद स्थित संस्थान का पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अर्थात् ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त है। जयपुर स्थित संस्थान द्वारा भी अपेक्षित मान्यता हेतु आवेदन कर दिया गया है। आशा है कि बहुत शीघ्र ही यह औपचारिकता वहां भी पूर्ण हो जाएगी। कृषि प्रबंधन और इससे जुड़े कैरियर में रुचि रखते हुए आगे बढ़ने वाले अभ्यर्थियों को पूरी तैयारी के साथ सजग, सक्रिय और सचेष्ट रहना चाहिए ताकि ए.बी.एम. भी एम.बी.ए. की भांति उनके भविष्य निर्माण में सहायक और सार्थक सिद्ध हो सके, उन्हें सफलता दिला सके।

प्रबंधन के क्षेत्र में उतरने से पूर्व उचित

होगा कि अभ्यर्थी खुद पहले अपना आकलन कर लें। डिग्री प्राप्त करने के बाद में सिर्फ अंधेरे में तीर मारते रहने से तो सफलता मिलनी संदिग्ध रहती है। आजकल विशेषज्ञ होना आवश्यक होता जा रहा है। विशेषज्ञ होने के लिए यह आवश्यक है कि अपने पास विशेष योग्यता हो ताकि पूरी कुशलता के साथ कार्यों का निष्पादन करना संभव हो सके। योग्यता और क्षमता को विकसित किया जा सकता है बशर्ते रुचि गहरी हो और मनोवृत्ति स्वतः इस नई दिशा के अनुकूल हो। इसका निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है।

तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करने की क्षमता, गंभीरता से सोचने और करने की आदत, नियमबद्धता, संतुलित स्वभाव, कार्य करने में चुस्ती, कठिन परिस्थितियों में भी संयम बरतने, रचनात्मक प्रवृत्ति, समस्याओं को सुलझाने में विभिन्न विकल्पों की तलाश करने की क्षमता, दूसरों की भूलों से भी सीख लेने का स्वभाव, सहनशीलता, तालमेल बैठाने की क्षमता, तनाव एवं दबावरहित रहकर कार्य करना, बहिर्मुखी, धैर्य से समय का सदुपयोग तथा लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करने के बारे में सोचने वाले व्यक्ति कुशल प्रबंधक होते हैं। ये सभी गुण प्रबंधन में आपकी रुचि को दर्शाते हैं। अतः इन सभी सद्गुणों के विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए।

देश के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा बढ़कर अब 14 प्रतिशत हो गया है। सन् 2002 में कृषि एवं संसाधित वस्तुओं का 7,135 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ। विश्व व्यापार समझौते का प्रभाव कृषि व्यापार को भी नई दिशाएं प्रदान करेगा। घरेलू तथा विदेशी बाजारों में कृषि उत्पादों की काफी मांग है। अभी आम भारतीय किसान इतना समर्थ नहीं है कि वह सीधे व्यवसाय करके निर्यात स्तर तक पहुंच सके। किसानों के अपने संगठन अथवा सहकारी संस्थाएं अवश्य इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मूल बात तो यह है कि कृषि व्यवसाय अन्य व्यवसायों की तुलना में सर्वथा अलग है। अतः इसके प्रबंधन को भी विशिष्ट माना गया है।

विदेशी वस्तुओं के लिए खुले आयात तथा कृषि उत्पादों के बढ़ते निर्यात से इस क्षेत्र में भविष्य बेहतर दिखाई देता है। कृषि व्यापार का वर्तमान स्वरूप अगले एक दशक में क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित होने के संकेत मिल रहे हैं। अतः कृषि व्यापार प्रबंधन में निपुण एवं दक्ष प्रतिभाओं की तेजी से मांग बढ़नी स्वाभाविक है। भारत की कृषि प्रधानता नए संदर्भों में फलीभूत होगी और उसमें नए

कृषि व्यापार का वर्तमान स्वरूप अगले एक दशक में क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित होने के संकेत मिल रहे हैं। अतः कृषि व्यापार प्रबंधन में निपुण एवं दक्ष प्रतिभाओं की तेजी से मांग बढ़नी स्वाभाविक है। भारत की कृषि प्रधानता नए संदर्भों में फलीभूत होगी और उसमें नए प्रबंधकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी।

प्रबंधकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, विश्व बैंक की सहायता से कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना चला रही है। इस परियोजना को 14 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया था। इस परियोजना के प्रथम चरण से विशेष लाभ हुआ है। डिग्री शिक्षा में कृषि व्यवसाय प्रबंधन तथा मार्केटिंग जैसे नए पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। देश में राज्य स्तर के 30 कृषि विश्वविद्यालय तथा चार राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थान हैं जिन्हें सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन संस्थाओं में 198 संबद्ध कालेजों के माध्यम से कृषि की 11 विधाओं में शिक्षा दी जाती है। देश में 65 विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा दस हजार की पढ़ाई के लिए अवसर उपलब्ध हैं। कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी अनुसंधान के लिए 35 अध्ययन केंद्र (सी.ए.एस.) कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो कृषि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आशा है कि निकट भविष्य में कृषि वैज्ञानिकों की भांति कृषि प्रबंधकों की भावी पीढ़ी भी पूरी दुनिया में भारत की पताका दूर-दूर तक लहराएगी। समय को पहचानें। कृषि में प्रबंधन की महत्ता तो हर मोड़ पर दिखाई देती है। भूमि, जल, पोषक तत्वों तथा अन्य सभी संसाधनों के बेहतर ढंग से समन्वित प्रयोग पर बल दिया जाना अब जरूरी हो गया है।

कृषि व्यवसाय में तो प्रबंधन की अनिवार्यता सर्वविदित है ही। आगे आने वाले समय में अभी और नए-नए पहलुओं को कृषि प्रबंधन में शामिल करना होगा। तभी तेजी के साथ बदलते परिवेश में विकसित राष्ट्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना संभव हो सकेगा। कृषि स्नातकों को सभी संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कृषि प्रबंधन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए।

कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात, ई-कामर्स तथा फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं वितरण जैसे क्षेत्रों में प्रबंधकों के लिए विपुल संभावनाएं हैं तथा भविष्य में इनका ग्राफ अभी और तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। कृषि व्यवसाय प्रबंधन का कोर्स करने के बाद न केवल नौकरी प्राप्त करना सरल होगा अपितु कृषि आधारित इकाइयों को स्थापित करने, सफलतापूर्वक उनका संचालन करने तथा उनको लाभप्रद बनाने में भी सुविधा रहेगी। ❑

77- गांधी नगर, बरेली
(उ.प्र.)-243122

ग्रामीण विकास को गरमाहट देता गर्म कपड़ा उद्योग

☞ कुलदीप शर्मा

पूरे देश में ठंड आते ही ऊनी कपड़ों का बाजार गर्म होने लगता है। शहतूस, पश्मीना, रफ्फल जैसे कीमती कपड़ों से लेकर मामूली ऊनी कपड़ों की तैयार करने में ग्रामीणों का विशेष योगदान है। प्रस्तुत है तरह–तरह के गर्म कपड़ों का ग्रामीण स्तर पर योगदान और निर्माण से जुड़ा गरमाहट भरा विवरण।

ठंड की ठिठुरन आते ही पूरे देश में ऊनी कपड़ों का बाजार गर्म होने लगता है। शहतूत, पश्मीना, रफ्फल जैसे बेशकीमती गर्म कपड़ों से लेकर मामूली ऊनी कपड़ों तक की झड़ी लग जाती है। ये कपड़े पहाड़ों के शून्य से नीचे लुढ़कते ताप पर भी गरमाहट दिलाते हैं। मानव आदिकाल से ठंड से बचने के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता आया है। उनका मुंडन करता आया है। अब शहतूस को ही लीजिए। ऊनी कपड़ों का शहंशाह है शहतूस। गर्माहट की पूछिए तो इतना गर्म कि मुर्गी के अंडों में ऐंठन ला दे। कहना तो यहां तक है कि शहतूस की शाल में अगर कबूतर के अंडे रख दिए जाएं तो उसे सेंका भी जा सकता है। कीमत की बात कीजिए तो शहतूस का एक सामान्य शाल भी ढाई–तीन लाख रुपये का होगा।

शहतूस का शाल किसी भी तन पर यों ही नहीं पहुंच जाता है। इसके पीछे एक अति दुर्लभ जीव की कुर्बानी होती है। हिमालय की चौदह हजार फुट ऊंची पर्वतश्रृंखलाओं में पाया जाने वाला नाजुक, भोला और डरपोक किस्म का हिरण चीरू इस बेशकीमती ऊनी कपड़े शहतूस का जनक है। तिब्बती पठार पर मिलने वाले इस हिरण को कभी खानाबदोश जंगल से लाकर पाला भी करते थे मगर जब से शहतूस के कपड़ों का व्यापार पनपा, चीरू की जान ही खतरे में पड़ गई। असल में जब शहतूस की शाल या अन्य कपड़ा बनाया जाता है तो उसका मुंडन करने से काम नहीं चलता, उसकी खाल निकालकर बालों को जड़ से निकाला जाता है और इसके कारण उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। **एक साधारण शाल को तैयार करने के लिए भी कम से कम पांच चीरू हिरण मारे जाते हैं। आज भी यह काम तिब्बती खानाबदोश करते हैं।** चीन में भी एक जनजाति शहतूस पकड़ती है। हमारे देश में अब चीरू हिरण की धरपकड़ चोरी–छिपे होती है और उनका वध किया जाता है। हालात यह हैं कि हर बार कुछ नहीं तो दो हजार चीरू हिरण जान से हाथ धो बैठते हैं। **पिछली शताब्दी तक देश में चीरू हिरणों की संख्या बीस लाख से भी ऊपर चिन्हित की गई थी मगर आज एक लाख से भी कम है।** शहतूस के चहेते अगर इस निरीह प्राणी पर यों ही कहर ढाते रहे तो जल्द ही वो दिन आएगा जब चीरू भी कस्तूरी मृग की श्रेणी में आ जाएगा।

ठीक इसी तरह पश्मीना है। इसका रेशा यानी पश्म एक खास नस्ल की पश्मीना बकरी से प्राप्त किया जाता है। इन बकरियों का लोकप्रिय निवास है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कश्मीर। इन क्षेत्रों की बकरियों का नाम ही चांगयानी पड़ गया है। भारत में लद्दाख क्षेत्र से आए शरणार्थी तिब्बतियों ने पश्मीना बकरियों की संख्या में और वृद्धि की है। इनके आने से पहले ये पश्मीना बकरियां लगभग पचास हजार थीं मगर अब इनका कुनबा बढ़कर दो लाख के लगभग हो गया है। असल में इस भाग में कंपकंपा देने वाली सूखी ठंड पड़ती है। उत्तर प्रदेश में पश्मीना बकरियों को कुमायूं पहाड़ियों में धारचूला और चमोली स्थान में रहने वाली एक विशेष जाति भोटिया पालती है। इनके पास अधिकांशतः चेगू नस्ल की बकरियां होती हैं।

अपने तन से बाल हटाते जीव

पश्मीना बकरियां रंग में सफेद और भूरे काले रंग की होती हैं। नाभी को छोड़कर इनका पूरा का पूरा शरीर लंबे घने बालों से भरा रहता है। यहां तक कि चेहरे पर भी लंबे बाल होते हैं। इन बालों के ठीक नीचे महीन तंतुओं का एक स्तर होता है यही पश्म कहलाता है। परीक्षणों में पाया गया है कि इन बकरियों के कंधों के दोनों ओर अत्यंत महीन तंतु होता है। कई लोग पश्म को पश्मीना, कश्मीरी और डाइन भी कहते हैं। पश्म तंतु बेहद बारीक और मुलायम होता है। एक तंतु की मोटाई 10 से 18 मिमी. माइक्रोन और लंबाई 2 से 6 सें.मी. पाई जाती है। कई बार इनकी मोटाई और भी कम देखी गई है। तंतु जितना बारीक होता है उतना ही बेहतर समझा जाता है।

पश्म उतारने के लिए विशेष प्रकार के कंधो का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बकरी के बालों पर चलाया जाता है और बाल तथा पश्म प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर एक पश्मीना बकरी से डेढ़–दो सौ ग्राम पश्म और 500 ग्राम के लगभग बाल प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार एक पश्म बकरा ढाई सौ से तीन सौ ग्राम पश्म और छह सौ ग्राम बाल देता है। मानव का स्वार्थ देखिए कि नजवात छोनों के शरीर से भी पश्म उतारने से नहीं

चूकता। छोनों से उतारी पश्म अत्यंत मुलायम और श्रेष्ठ मानी जाती है, और दाम भी अच्छे दिलाती है। हमारा देश पश्म व्यवसाय में सबसे आगे है। यहां यह व्यवसाय मुगलों के आने से बहुत पहले का है। इसका ज्ञान लद्दाख के निवासियों को विशेषकर था बल्कि तब इनकी तुलना मणियों से की जाती थी। मुगलकाल में तो पश्म के वस्त्र बतौर भेंट दिए जाते थे। इस व्यवसाय में लगे कारीगरों को राजसी रक्षा प्राप्त थी। अकेले कश्मीर में 40 हजार कारीगर पश्म उद्योग खासकर शाल बनाने में लगे हुए थे। तब पश्म की भारी मात्रा तिब्बत, सिकियांग, उत्तरी पश्चिमी पंजाब और चितटाल क्षेत्र यानी अब के उत्तरी–पश्चिमी पाकिस्तान से आया करती थी।

जरूरत बिचौलियों को हटाने की

पश्म की भारी मांग और अधिक कीमत को देखते हुए कई बड़े व्यापारी इस क्षेत्र में उतरे हुए हैं। पश्म उत्पादकों से जिन दामों पर पश्म लिया जाता है उससे कई गुना कमाई हो जाती है। एक शाल कई हजार से लेकर लाखों तक की कीमत में बेचा जाता है, जबकि उत्पादक गरीबी रेखा के अंदर ही जीवन बिताता है। कई उत्पादकों को तो परिवार का भार उठाना भी मुश्किल हो जाता है। पूरा का पूरा परिवार पश्म के वस्त्र तैयार करने में लगता है तब कहीं जाकर दो जून की रोटी जुटा पाता है। अधिक पैसे न मिल पाने के कारण अच्छे कारीगर दूसरे व्यवसाय में जा पहुंचे हैं। जो बचे हैं वे पूरी लगन से कार्य नहीं कर पाते चूंकि काम में कोई उत्साह नहीं है। फिर भी जो कुछ करते हैं उन्हें उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। लाभ का बड़ा भाग बिचौलिए चट कर जाते हैं। जब पश्मीना शाल इन कारीगरों के हाथ से निकलकर सजीली तड़क–भड़क की दुकानों में पहुंचती हैं तो भारी कीमत दिलाती हैं। देखा जाए तो उत्पादक और कारीगरों का हक लच्छेदार बात करने वाला दुकानदार मार ले जाता है।

अनुसंधान की सफलताएं

पश्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मसलन उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पर्वतीय खेतों में औद्योगिक इकाइयां लगाई जा रही हैं। पश्म की गुणवत्ता और उत्पादन दर सुधारने के लिए देश में अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विशेष रूप से कार्यरत है। इसमें परिषद का भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अपने मुक्तेश्वर– कुमायूं नैनीताल केंद्र में कार्यरत है। साथ ही बकरियों में पश्मीना नामक अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना भी कार्य कर रही है।

पड़ोसी देश लीमा–पेरू में ऐसा ही एक और जानवर पाया जाता है जो पश्मीना जैसी ऊन देता है। पेरू में इंडीज पहाड़ियों का निवासी यह जीव विकुना है। यह एक छोटा जीव है जिसे यहां की पहाड़ी जातियां पालती भी हैं मगर इसकी बहुतायत जंगलों में ही है।

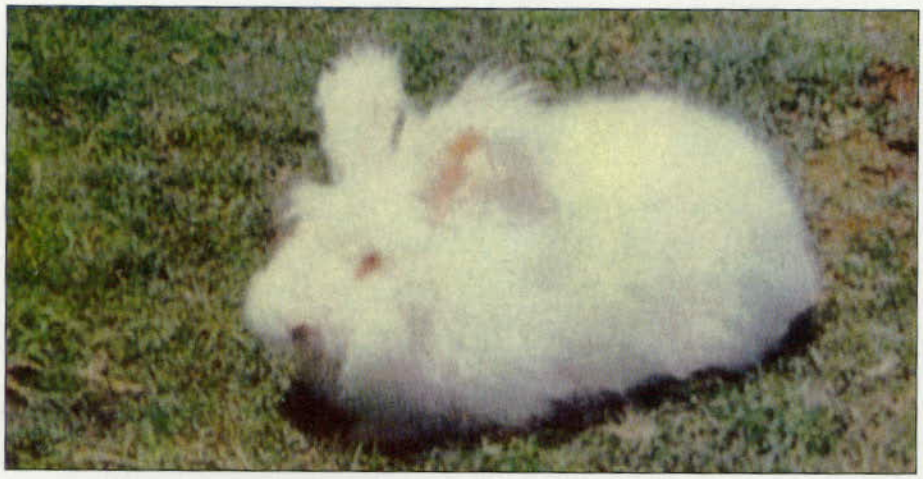

हमारे देश में ऊनी कपड़ों के लिए भेड़ की ऊन खासी लोकप्रिय है। हमारे यहां भेड़ की तीस से ऊपर नस्लें हैं मगर सभी ऊन के लिए उपयोगी नहीं हैं। अधिकांश भेड़ दूध और मांस के लिए पाली जाती हैं। मगर कुछ बेहतरीन ऊन देने के लिए उपयोगी हैं। हमारे देश में भेड़ विकास के लिए एक भरा–पूरा संस्थान 1962 में राजस्थान के मालपुरा में स्थापित किया गया था। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान नाम से प्रसिद्ध इस संस्थान द्वारा संकर नस्ल की भेड़ें विकसित की गई हैं। इनमें ऊन के लिए अविकालीन और अविवस्त्र दो प्रमुख नस्लें हैं। भेड़ से जुड़े वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भेड़ की चमड़ी के एक वर्ग इंच में साठ हजार रोमकूप होते हैं। हर रोमकूप से ऊन का एक रेशा निकलता है जो दिनभर में 0.008 इंच बढ़ जाता है और अपनी पूरी आयु में 16 इंच तक लंबा हो जाता है। यों तो बसंती गरमाहट शुरू होते ही भेड़ के शरीर से ऊन खुद ब खुद झड़ने लगती है। शायद पहली बार आदमी ने इसी पड़ी हुई ऊन की गरमाहट महसूस की होगी बाद में जरूरत को ध्यान में रखते हुए भेड़ का मुंडन शुरू किया।

प्राचीन मानव सभ्यताओं में भेड़ का जिक्र आता है। इस दिशा में बेबीलोनिया

की सभ्यता तो सीधी भेड़ से ही जुड़ी हुई है। असल में बेबीलोनिया शब्द का ही मतलब ऊन की धरती से है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी खुदाई के दौरान अनेक मोहरों और शिलालेखों में भेड़ की शक्ल नजर आती है जो भेड़ तत्कालीन मानव और उनके भेड़ प्रेम को दर्शाती है। प्राचीन मानव साहित्य में भी भेड़ और ऊन का चित्र है। रोमन साम्राज्य में तो भेड़ पालन के भरे–पूरे व्यवसाय का जिक्र आता है। इसके अलावा ऋगवेद, कुरान और ग्रंथों में भी भेड़ का चित्र है व बाइबिल का तो आधार ही गडरिया यानी भेड़पालक के पुत्र यीशु हैं। भेड़ की ऊन की कई खासियतें हैं। मसलन ऊन गंध और शोर दोनों को जज्ब करने की अनोखी क्षमता रखती है। ऊन एक बेहद लचीले तंतुओं का गुच्छा है। माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट के अनुसार ऊन का रेशा 20 हजार ऐंठन तक झेल लेता है। हालांकि इसके रेशे रूखे नजर आते हैं मगर चिपकने की अनोखी क्षमता रखते हैं। ऊन के रेशे की मोटाई 10 से 70 माइक्रोन होती है।

ऊन से जुड़े नाजुक प्राणियों में खरगोश का योगदान भी कम नहीं है। बेहद कोमल रेशों वाला, रुई का चलता–फिरता फाहा खरगोश इधर ऊनी कपड़ों में खासा लोकप्रिय हो रहा है। यों भी खरगोश का कुनबा इस कदर बढ़ता है कि इसकी कमी नजर नहीं आती है। इसलिए ऊन का बढ़िया कोमल रेशा तैयार करने के लिए खरगोश का उपयोग किया जा रहा है। खरगोश की एक विशेष नस्ल अंगोरा खरगोश तो ऊनी वस्त्रों की जान ही बन गया है। अंगोरा वूल महिलाओं की सलाइयों में ही नहीं, ऊन उद्योग में भी लोकप्रिय है। हकीकत भी यह है कि **अंगोरा खरगोश के उत्पाद बेहद गर्मी देते हैं। यों तो इनके रेशों का मूल रंग यानी सफेद ही अपने आप में बेहद आकर्षक है, वहीं इसके ऊपर किसी भी प्रकार का और कोई रंग सहज ही चढ़ाया जा सकता है।** इसलिए अंगोरा खरगोश के उत्पाद लोकप्रिय होते जा रहे हैं। हालांकि इस नस्ल के खरगोश यूरोप से लेकर हमारे देश में पाले गए हैं मगर इन्हें इस देश की हवा इस कदर पसंद आई है कि यह अपना कुनबा कम समय में खासा बड़ा कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध जिले कुल्लू के एक स्थान गरसा में अंगोरा खरगोश के प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में अंगोरा की ऊन के उत्पाद बनाए नहीं जाते हैं, मगर उन्हें पालकर उनकी ऊन अवश्य उतारी जाती है। इसके बाद सारी ऊन लुधियाना ऊनी वस्त्र निर्माण केंद्रों पर पहुंचा दी जाती है। कुछ लोग अंगोरा खरगोश और मेरिनो भेड़ की ऊन मिलाकर भी ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं।

इधर ऊनी कपड़ों में ऊंट भी लोकप्रिय हो चला है। ऊंट के बच्चों के शरीर से उतरा बाल सिंथेटिक धागों के साथ मिलकर अनोखी गरमाहट देता है। इसके अलावा याक, मिथुन जैसे प्राणियों के साथ भी इस व्यवसाय में नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। ❑

संपादक, हिंदी, कमरा नं. 603
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
कृषि अनुसंधान भवन, पूसा रोड, नई दिल्ली–12

IAS/PCS
आरोहण
(हिन्दी माध्यम)
* प्रारंभिक से साक्षात्कार तक आपके साथ *

उपलब्ध विषय :-
- भूगोल (प्रारंभिक + मुख्य)
- दर्शनशास्त्र (सिर्फ मुख्य)
- हिन्दी साहित्य
- सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक + मुख्य)
- निबंध

हिन्दी माध्यम के लिए बेहतर विकल्प एवम् सर्वाधिक अकंदायी विषय

एकमात्र संस्थान जो प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की पूरी गारंटी देता है, अन्यथा फीस वापस ।

विशेष आकर्षण :-

✦ विषय चयन से संबंधित निःशुल्क मार्गदर्शनः- सिविल सेवा के अभ्यर्थियों (विशेषकर हिन्दी माध्यम) के समक्ष प्रमुख समस्या वैकल्पिक विषय के चयन, पुनः उसकी तैयारी के तौर-तरीकों की होती है। विषय का सही चयन (विशेषकर दूसरा वैकल्पिक विषय) न कर पाना ही सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। अतः यहां के एक्सपर्ट (यदा-कदा प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे) द्वारा अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि, रुचि अर्थात हर पहलुओं पर गौर करते हुए निष्पक्ष मार्गदर्शन किया जाता है। यह भी संभव है कि आपको वैसे विषय के चयन का सुझाव दिया जाए जो हमारे यहां उपलब्ध न हो। अर्थात मेरे लिए आपकी सफलता सर्वोपरि है, जिसे आप खुद भी महसूस करेंगे।

नोट : इसके लिए कार्यालय से संपर्क कर समय निश्चित कर लें।

अन्य आकर्षण :-

✦ मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्ति हेतु विस्तृत एवं गहन अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा। ✦ निश्चित समय - अंतराल पर आंतरिक परीक्षाओं का आयोजन। ✦ आंतरिक परीक्षा के टापर्स को (प्रोत्साहन के लिए) पूरी फीस तत्काल वापस। ✦ SC/ST/OBC को फीस में छूट। ✦ सिर्फ निःशुल्क कार्यशालाओं में ही नहीं, अन्य कक्षाओं में भी (निश्चित समय तक) बैठने एवं परखने की अनुमति। ✦ प्रत्येक छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन की सुविधा। ✦ UPSC के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य-प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं के लिये भी अलग से विशेष कक्षाओं का आयोजन। ✦ छात्र एवं छात्राओं के रहने की अलग-अलग व्यवस्था। ✦ नामांकन अधिकतम 30।

पता : 204, दूसरी मंजिल, A -23, 24 सतीजा हाउस (बत्रा सिनेमा हाल के पीछे), डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
Tel. : 011-27652362 (O) 011-35216097 (M)

निःशुल्क कक्षा प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को

ग्रामीण रोजगार सृजन को समर्पित एक संगठन

☞ ममता भारती

शिक्षण से भी महत्वपूर्ण होता है प्रशिक्षण। यह कार्य रूडसेट द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अनेक युवा ऐसे हैं जिन्होंने स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद अपने भाग्य को संवारा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। सरकार के अतिरिक्त गैर–सरकारी संगठनों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान *रूडसेट* एक गैर–सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना सिंडीकेट बैंक, केनरा बैंक तथा श्रीधर्मस्थल मंजूनाथेश्वर शिक्षा ट्रस्ट तीनों ने संयुक्त रूप से की थी। इस संस्था का मुख्य कार्यालय कर्नाटक में है। देशभर में यह संस्था अपने 19 प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन कर रही है।

रूडसेट द्वारा कम अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के बेराजगार युवक–युवतियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे स्वरोजगार को अपने जीविकोपार्जन का माध्यम बना सकें। सबसे जरूरी होता है हुनरमंद होना, अर्थात् अपनी कुशलता को बढ़ाना। कलाकौशल में वृद्धि करके हुनरमंद बना जा सकता है। जो लोग हुनरमंद होते हैं वही अपनी कमाई के जरिए से दौलतमंद भी होते हैं और जो लोग दौलतमंद होते हैं वे सेहतमंद भी होते हैं। अच्छा खाने–पीने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए रोजगार नहीं बारोजगार होना इसीलिए जरूरी होता है। जाहिर है कि नौकरी के अवसर सीमित हैं अतः अपना रोजगार ही एकमात्र आशा की किरण है।

हमारी कृषि तथा उसके सभी सहायक धंधे असीम संभावनाओं से भरे हैं। उनमें काम करने के अनंत अवसर विद्यमान हैं बशर्ते अपने अंदर उद्यमशीलता, लगन और आगे बढ़ने की ललक हो। डेयरी, पशुपालन, पोल्ट्री, रेशम उत्पादन, मधुमक्खीपालन, उद्यान, फल–सब्जी, प्रसंस्करण, अगरबत्ती, बैग, ड्रैस, बेकरी, कढ़ाई–बुनाई, मरम्मत, फोटोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग तथा बिजली के काम सीखे जा सकते हैं।

उन्नति के पथ पर बढ़ने वाले यह जानते हैं कि जानकारी बहुत ही जरूरी है। इसी के बल पर गरीबी को जीता जा सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षण से भी महत्वपूर्ण होता है प्रशिक्षण। यह कार्य *रूडसेट* द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अनेक युवा ऐसे हैं जिन्होंने स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद अपने भाग्य को संवारा है।

अकुशल अर्थात् अप्रशिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है? उसकी क्षमताएं सीमित होती हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण से काम करने की शक्ति का विस्तार होता है इसीलिए बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह *रूडसेट* के रूप में किया है।

विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे प्रशिक्षण संस्थानों से लाभ उठाकर गांव–कस्बों में अपना कोई भी कामधंधा शुरू किया जा सकता है। अपने साथ–साथ दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रशिक्षण प्राप्त सभी लाभार्थियों को प्रमाणपत्र दिया जाता है। इस संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को यदि बैंक से ऋण लेना हो तो उस वक्त प्रमाणपत्र वरीयता प्राप्त करने के काम आता है। यहां न्यूनतम कक्षा 8 पास योग्यता वाले 18 से 35 वर्ष के युवक–युवतियों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। स्वरोजगार के क्षेत्र में उतरने वाले युवा कृषि आधारित व्यवसायों तथा गैर–कृषि आधारित व्यवसायों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

रूडसेट के केंद्रों पर स्वरोजगार के संबंध में तकनीकी जानकारी, योजना प्रारूप तथा विक्रय विपणन आदि सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद भी संस्थान तथा प्रशिक्षार्थी के मध्य संपर्क, संवाद और समन्वय बना रहता है। इससे बड़ा लाभ होता है। किसी भी प्रकार की शंका या संदेह का समाधान हो जाता है। आवश्यकतानुसार विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है।

हमारे देश में रोटी और रोजगार से भी ज्यादा कमी सूचना की है। सही, नई और पूरी जानकारी सभी को सहज उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके लिए यह आवश्यक है कि सदैव सजग, सक्रिय और सचेष्ट रहा जाए। क्योंकि जो प्रयत्नशील रहते हैं, सतत रूप से लगे रहते हैं वे ही आगे निकलते हैं और बाजी मार जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जोकि असंभव या अप्राप्य हो। इंसान यदि चाहे तो कुछ भी कर सकता है।

रूडसेट जैसे गैर–सरकारी संगठन और सरकारी योजनाएं आदि तो सिर्फ सहायता कर सकती हैं। पहल तो लाभार्थियों को स्वयं ही करनी पड़ेगी। संकोच छोड़ें, हीनता से उबरें, आलस्य त्यागें, उदासीनता को घटाएं, अनभिज्ञता का अंधेरा तथा अकर्मण्यता दूर करें, गरीबी और बेकारी स्वयं चली जाएगी। इसलिए शुभ काम में देर कैसी! ❑

स्वरोजगार में दम भरेगी सुतली

☞ अनिता वर्मा

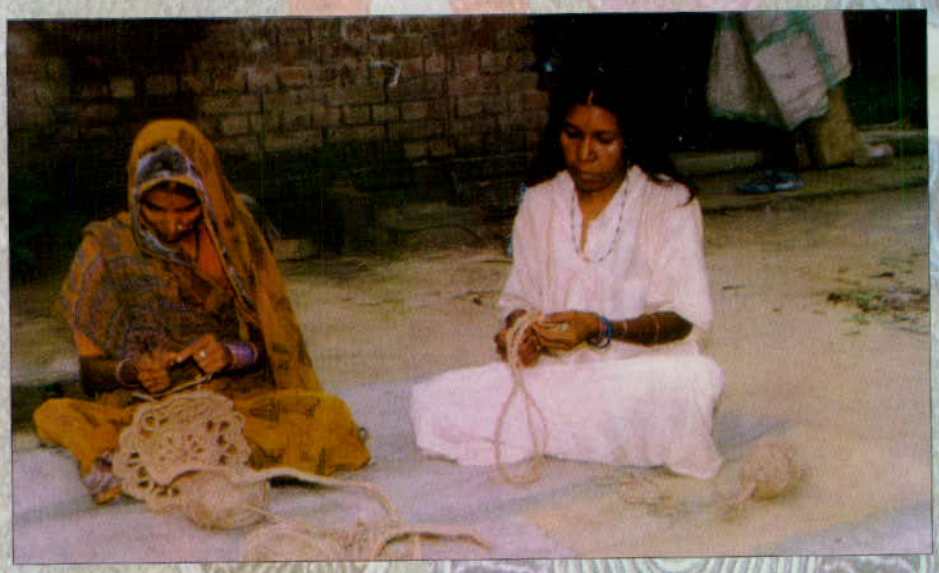

किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब वहां की बेरोजगारी दूर हो। बेरोजगारी का मुख्य कारण तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या तथा मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग है। सिमटती शासकीय नौकरियां व निजी क्षेत्रों में छटनी के दौर में ग्रामीण व्यक्ति का नौकरी प्राप्त करना एक दुःस्वप्न है।

ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने, कम पूंजी में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने, स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर ग्रामीण विकास में 'सुतली' की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

प्राचीनकाल से ही भारत में विभिन्न प्रकार की वनोपज जैसे जलाऊ लकड़ी, घास, बांस, फल–फूल, राल, छाल, पत्तियां एवं औषधि अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय की आय तथा राजस्व के भी मुख्य स्रोत हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं निरंतर बढ़ती मांग ने वनोपज आधारित रस्सी, टोकरी, चटाई, झाड़ू, दोना पत्तल, बेना (हाथ पंखा) नाइया, डलवा, झऊआ आदि के निर्माण को घरेलू कुटीर उद्योग में बदलकर आय का प्रमुख स्रोत बना दिया है। ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के विभिन्न कार्यों, सजावट आदि में सुतली की अहम भूमिका है।

सुतली का पौधा "पटुआ" या पटसन

सुतली सन से तैयार की गई रस्सी है जो कच्चे माल की पूर्ति करती है। पटसन भारत के विभिन्न जलवायु वाले प्रत्येक स्थान पर उत्पादित किया जाता है। सुतली या सन पटुआ नामक पौधे से निकाला जाता है। इसके बीजों को आषाढ़–सावन माह में बोया जाता है। तथा जीन से चार माह पश्चात इसका पौधा सन निकालने हेतु तैयार हो जाता है। इसके पौधे तीन से साढ़े तीन फीट तक के होते हैं। इसके पौधे में फल–फूल भी होते हैं। फल गोल, कटीले, हरे खोल के अंदर होते हैं जिनका प्रयोग ग्रामवासी खाने में करते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग इसके फल को पौधे से अलग कर आग में भूनकर अन्य चोखे के समान ही इसका चोखा बनाते हैं, जो रोटी के साथ खाने में अति स्वादिष्ट लगता है। 'पटुआ' का फूल भिंडी के फूल सदृश पीले रंग का ही होता है।

पटुआ को पानी में डूबोना

पटुआ के तैयार पौधे को जड़ से उखाड़ कर अतिरिक्त टहनियों को निकाल देते हैं ताकि बीच की सम–मजबूत सीधी डंडी ही शेष रहे, तत्पश्चात 100–200 डंडियों का गट्ठर बनाकर इसको तालाब के पानी में अच्छी तरह डूबो देते हैं। डंडियों का पानी में अच्छी तरह डूबा रहना आवश्यक है। लगभग एक सप्ताह पश्चात टहनियों के गट्ठर (बोझा) को पानी से बाहर निकालते हैं।

पटुआ को सुखाना व सन निकालना

पटुआ के गट्ठर को पानी से निकालने के पश्चात रस्सी को खोलते हैं, सारी टहनियों को अलग कर साफ पानी से धुलने के बाद इनको फैलाकर सुखाया जाता है। हल्का सूखने के बाद टहनियों से सन निकालने का कार्य हाथ से किया जाता है। टहनी के ऊपरी सिरे को पकड़कर नीचे जड़ की तरफ खींचा जाता है। इससे पूरा लगभग 3–3.5 फीट का लंबा सन निकलता है। एक साथ इतना लंबा सन निकलने के कारण इसकी बनी रस्सियों में मजबूती रहती है। अतः टहनियों से सन निकालकर धूप में सुखाते हैं जिससे उसका पानी पूरी तरह सूख जाए। पूर्ण रूप से सूख जाने के पश्चात् सन से रस्सी की बटाई की जाती है। रस्सी तैयार करते समय ही सन की "काम्बिग" यानी सफाई करते रहते हैं ताकि रस्सी साफ व चिकनी तैयार हो। अब इस तैयार रस्सी को बाजार में बेचने हेतु ले जाया जाता है।

सुतली से निर्मित वस्तुएं

सुतली को खरीदकर व्यक्ति इनसे कई वस्तुओं को निर्मित कर सकता है। ग्रामवासी इनका प्रयोग बहुतायत करते हैं। वे सुतली

का प्रयोग जानवरों के मुंह पर लगाने वाला जाबा, ऊबहन, (रस्सी) चारपाई बुनने में; 'सीकहरा' आदि बनाने में करते हैं जिसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घी, दूध वगैरह ऊपर रखने के लिए होता है। बिल्ली आदि जीव–जंतु उन तक न पहुंचे इसलिए इसे रसोई में छत की कुंडी में लटकाया जाता है। वहीं शहरी क्षेत्र में इनका प्रयोग शो–पीस में किया जा रहा है। कई बड़े–बड़े इंटीरियर डिजाइनर्स आज आधुनिक घरों की साज–सज्जा के लिए कमरों, रसोई, गैलरी, बरामदा, छतों में इनका प्रयोग करते हैं। सिकहरा दूध–घी के पात्र रखने के साथ–साथ गमले, खिलौने आदि सजावटी सामानों को रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका प्रयोग आंतरिक सज्जा को पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिकता का पुट देने में किया जा सकता है।

सुतली का प्रयोग सजावटी सामान बनाने आदि में किया जा रहा है जैसे पांवदान, आसन, बैग, वाल हैंगिंग आदि। इन सभी को बनाने में मशीनों का प्रयोग बहुत कम और हाथ का उपयोग अधिक होता है। इसे ज्यादातर ग्रामीण अंचल की महिलाएं ही बनाती हैं परंतु शहरी महिलाओं का इसकी ओर बढ़ता आकर्षण इसको सीखने पर मजबूर कर रहा है और आज शहरी महिलाएं इनका प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके अतिरिक्त जूट रेशा प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत गांवों में जाकर महिलाओं को 15 दिन, 1 माह, 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। जूट रेशा उत्पाद, कृषि आधारित ग्रामोद्योग है तथा इसके लिए खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाता है जहां ग्रामीण महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर इससे संबंधित उद्योग लगाने हेतु "बैंक वित्त ब्याज उपादान" तथा "मार्जिन मनी योजना" के अंतर्गत ऋण लेकर उद्योग स्थापित कर सकती हैं।

तैयार वस्तुओं का विक्रय

सुतली से तैयार वस्तुओं के अच्छे दाम मिलते हैं। हैंडीक्राफ्ट की दुकानों में इनकी मांग अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में तैयार कर शहरों में इनका विक्रय अच्छे दाम दिलाता है। इसके लिए ग्रामोद्योग भी इनके विकास और फलने–फूलने की स्थिति को साकार तथा संभव करने के लिए आवश्यक है ताकि उनके द्वारा उत्पादित माल को बाजार में वाजिब दाम पर बेचा जाए।

कुटीर उद्योग की स्थापना

सुतली से तैयार वस्तुओं की बढ़ती मांग को देखते हुए ग्रामीण महिलाएं इसको कुटीर उद्योग के रूप में अपना रही हैं और अपनी रोजी–रोटी कमा रही हैं। कुटीर उद्योग के रूप में कोई भी ग्रामीण महिला सुतली उद्योग को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकती है। यदि वह अपने सामान का विक्रय शहर में न भी न कर पाए तो वह ग्रामीण परिवेश के अनुसार तैयार माल को व्हां के बाजार में बेच सकती हैं।

आज बढ़ती हुए महंगाई तथा बेरोजगारी के दौर में महिलाएं चाहें कि घर खर्च तथा रोजगार उपलब्ध हो, तो इसका सीधा व सरल उपाय है कि वह कोई स्वरोजगार अपनाएं। इस प्रकार सुतली का उपयोग वह स्वरोजगार के रूप में कर सकती हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती हैं।❑

284/1, महामना पुरी कालोनी,
आईटीआई रोड, वाराणसी–221005

सफलता की कहानी

प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना ने दिखाई आत्मनिर्भरता की राह

रोजगार सभी के लिए आवश्यक होता है। जीवनयापन के लिए हर किसी को हाथ–पैर मारने पड़ते हैं। इसी उधेड़बुन में हर कोई कुछ न कुछ तलाश करता है। ऐसा ही एक किस्सा 35 वर्षीय युवक रतनसिंह का है। आपरेशन मुक्ति के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण योजना के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गांव सेगवाल के निवासी रतनसिंह, (ब्लाक ठीकरी, जिला बड़वानी) ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 5000 का ऋण लिया और उसने इस रुपये से अपने ही गांव में एक साइकिल स्पेयर पार्ट्स और पंचर की दुकान लगाई है। इस दुकान से वह लगभग 900 से 1000 रुपये प्रति माह में कमा लेता है। यह दुकान उसने 14 अगस्त, 2003 को लगाई थी और तब से काफी अच्छी चल रही है। वह आज बहुत ही खुश है और अपने परिवार की देखभाल भी अच्छी तरह कर रहा है। साथ ही वह अपने जैसे गांव के हर बेरोजगार युवक को इस योजना का लाभ लेने को प्रोत्साहित करता है। ❑

बडवानी जिले के ब्लाक ठीकरी के आदिवासी गांव सेगवाल में इकाई द्वारा 14 नवंबर, 2003 को आयोजित बाल मेले के दौरान क्षेत्र में किए गए एक सर्वे के आधार पर दो विकलांग व्यक्तियों को प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये का ऋण दिया गया। काशीराम और विनोद नाम के ये दोनों व्यक्ति पांव से अपंग हैं। इन्होंने इस रुपये से एक किराने की दुकान और चाय की दुकान लगाई है। दोनों सेगवाल के ही निवासी हैं। दोनों व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करते हैं और लगभग 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रतिमाह कमा लेते हैं और इस लाभ को आधा–आधा बांट लेते हैं जिससे उन्हें एक सहारा हो जाता है। कहीं हाथ पसारने और लाचारी की जिंदगी बिताने के बजाय उन्होंने यह एक अच्छा निर्णय लिया जिससे वे आज बहुत खुश हैं। उनकी किराने और चाय की दुकान अच्छी चल रही है। इस तरह यह योजना न केवल उनके लिए एक सहारा बनी है बल्कि इस सहायता ने उन्हें एक नई राह दी है। ❑

दीपक गणवीर
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, इंदौर

उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व की तैयारियां

☞ सुरेश 'आनंद'

जिस तरह द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था कि तुम्हें पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है ? और उसने हर प्रश्न का उत्तर "नहीं" दिया था। तब गुरुदेव ने पूछा था – 'तो क्या दिख रहा है?' अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया था, 'गुरुदेव मुझे मात्र चिड़िया की पुतली ही दिख रही है, जिसे भेदना है।' इसी तरह से सफल उद्यमी बनने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है तभी सफलता हासिल की जा सकती है।

हितग्राही या भावी उद्योगपतियों को उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व की तैयारियों के लिए सामान्य तौर पर प्रशिक्षित भी होना चाहिए। जो युवा अपने पालकों के साथ ही उद्योग व्यवसाय में पूर्व से ही संलग्न हैं वे भी मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने व्यवसाय या उद्योग के स्वतंत्र रूप से संचालन में अनुभवहीन व अपरिपक्व होते हैं। उन्हें अनेक पहलुओं की जानकारी ही नहीं होती। ऐसी स्थिति में आर्थिक सहायता मिलने के बाद भी भावी या परंपरागत प्रत्येक उद्यमी या हितग्राही सफल नहीं माने जा सकते।

प्रत्येक भावी उद्योगपति या व्यवसायी को उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व निम्न बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिएः–

समय की पाबंदी

मनुष्य के जीवन में समय महत्वपूर्ण है। जिसने भी समय को पहचाना, वही शिखर पर चढ़ पाया। उदाहरणार्थ पाकिस्तान बनने पर वहां से आने वाले सिंधी, पंजाबी अपना सब कुछ खो चुके थे पर उन्होंने समय को पहचाना। सुबह घड़ी की सुई के साथ उठना और रात्रि तक कठोर श्रम करना, परिणामस्वरूप वे सभी अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। जबकि भारत में जिनकी पूर्व से जो पीढ़ी जमी थी, उनके मालिक आलसी ही बने रहने से असफल होते गए। वे रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जगह मात्र आलोचक ही बनकर अपनी खिन्नता प्रकट करते रहे और पिछड़ते चले गए। अगर व्यवसाय का समय प्रातः आठ–नौ या दस बजे का है तो ऐसे व्यवसायी को चाहिए कि निश्चित समय पर किसी भी तरह दुकान या कारखाना खुल ही जाना चाहिए। सच पूछो तो आपकी भी स्थिति किसी शासकीय कार्यालय के लोकसेवकों की भांति होनी चाहिए जो समय पर अपने कार्य पर उपस्थित होते हैं। जिस तरह कार्यालय, बैंक, संस्थाएं समय पर खुलते या समय पर बंद होते हैं, उद्यमी को भी अपने आपको उनसे पृथक नहीं मानना चाहिए। उनके पदचिंहों पर चलें, तभी कदम से कदम मिला सकेंगे।

डाकघर, बैंक, कार्यालय सभी समय पर खुलते हैं, समय पर बंद होते हैं। अतः अपने व्यवसाय या उद्योग को भी वैसे ही समय पर खोलना होगा। इसी तरह पत्रों, हुंडी आदि को सम्हालना और उनके प्रति उत्तर देने में भी समय को प्रमुखता देने से ही लाभ होता है। ग्राहक को जो समय दिया, उस समय पर माल देने या भेजने से ही आपके व्यवसाय की विश्वसनीयता बढ़ेगी। अतः हर पल समय– चक्र बनाकर चलना अपने व्यवसाय उद्योग को बढ़ाने की प्रथम शर्त है, यही विश्वास का भी आधार है।

बाजार सर्वेक्षण

व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व भावी उद्यमी जिस कार्य को करना चाहते हैं, उन्हें उसमें अपने को अनुभवहीन मानना चाहिए। वे उद्यमी जिनका पूर्व से ही व्यवसाय है, वे भी यह दावा नहीं कर सकते कि उनके बुजुर्गपालकों के बराबर उनका अनुभव है।

अतः अपना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उक्त उद्योग या व्यवसाय नगर, जिले, प्रांत या देश में जहां भी संचालित हो, उनका स्वतः बाजार सर्वे अवश्य कर लेना चाहिए।

इससे दो लाभ अवश्य होंगे। एक तो अनुभव मिलेगा कि व्यवसाय कैसे होता है। दूसरा भविष्य के लिए रूपरेखा बनाने में सहायता मिलेगी अर्थात बाजार में कच्चा माल कहां से आता है, क्या भाव आता है, यातायात व्यय कितना लगता है, पक्के माल

की खास मंडी कहां है, क्या भाव मिलता है, कितनी दुकानें हैं, किन–किन में स्पर्धा है, आदि का पूर्व ज्ञान अपना व्यवसाय या उद्योग प्रारंभ करने की पूर्व नीति बनाने में काफी सहायक होता है। साथ ही अगर बाजार में कोई गोपनीयता चल रही है तो उसका ज्ञान भी लाभप्रद होता है।

वास्तविक योजना/आवंटन

किसी भी बैंक या संस्था से आर्थिक सहायता प्रकरण बनाया जाता है तब उसमें योजना बनाई जाती है पर यह अनुमानों पर बनती है। जब आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है तब हमें कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वास्तविक योजना और आवंटन पुनः बनाना चाहिए। अनेक मद व वास्तविक राशि पूर्व की योजना में नहीं आ पाते हैं, अथवा उसमें विविध लिखकर छोड़ देते हैं या मशीनरी जैसे बड़े कार्यों के लिए इकट्ठी राशि दर्शायी जाती है या भूमि, भवन, निजी या किराए की वास्तविकता नहीं आ पाती।

वास्तविक आवंटन में विद्युत, किराया, पानी, सेवक वेतन, सफाई, यातायात जैसे वास्तविक व्यय या आवश्यक मदों का विस्तृत आवंटन बनाना चाहिए। इसी तरह योजना में वास्तविक आय–व्यय का भी अंदाज कर लेना चाहिए। अगर व्यय से आय कम लगती हो, तब बैंक से प्राप्त पूंजी व्यय करने में हाथ रोक देना चाहिए। ऐसे में पूंजी पर नियंत्रण रखने के लिए अनुभवी की सहायता लेना भी आवश्यक है। अनुभव में आया है, जो भावी उद्यमी एक बार में ही पूरी राशि व्यय कर देता है या आवंटन योजना बनाकर फूंक–फूंक कर पैर नहीं रखता, वह हमेशा ऋणी बना रहता है और उसका उद्योग भी नहीं जम पाता। अतः इस पर गंभीरता व सतर्क रहकर अमल करना ही सफल उद्यमी या व्यवसायी के लिए तीसरी शर्त है।

शासकीय नियमों, अधिनियमों का ज्ञान

कोई भी जनतंत्रीय राष्ट्र उसके नियमों–अधिनियमों के माध्यम से ही संचालित होता है और नागरिकों का भी यही कर्त्तव्य है कि वे उन पर अमल करें। इसी तारतम्य में भावी उद्योगपतियों, व्यावसायियों के लिए भी आवश्यक है कि वे आबकारी, आयकर, विक्रय कर, नगरपलिका, निगम, नापतौल, वन, यातायात, विद्युत, बीमा, बैंकिंग, राजस्व आदि विभिन्न विभागों के नियमों, अधिनियमों का ज्ञान प्राप्त कर लें, अन्यथा अनेक भावी उद्यमियों को इसकी जानकारी न होने के कारण उनके उद्योग या व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ते देखा गया है। भूमि, विद्युत, आर्थिक सहायता लेने के साथ ही भावी उद्यमी नियमों, अधिनियमों में जकड़ता जाता है। अगर इनके कारण उद्योग बंद हो जाता है तब बैंक किश्तें भी जमा नहीं हो पातीं और भविष्य पुनः अंधेरे में लुढ़कता प्रतीत होने लगता है।

सामान्य ज्ञान में दिलचस्पी

अनेक लोग यह मानते हैं कि अपने विषय के अलावा दूसरे विषयों में दिलचस्पी क्यों ली जाए! हकीकत यह है अब प्राचीनकाल जैसी स्थिति नहीं है, जब अल्पविकसित गांवों में अपने गांव की सीमा को ही देश मानते थे। यातायात के विशेष साधन नहीं थे। यहीं तब लेन–देन भी गांव में ही हो जाता था। जनसंख्या भी कम थी। अब विज्ञान के कारण जहां संसार सिमटकर छोटा हो गया है वहीं आदमी छलकपट भी सीख गया है। सभी उद्योगों, व्यवसायों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। अतः ग्राहक को देवतातुल्य मानने के लिए आवश्यक है बाजार और ग्राहक के स्वभाव से समन्वय किया जाए।

इसके लिए यह आवश्यक है कि भावी उद्यमी या व्यवसायी सामान्य ज्ञानी हो, जिससे वह ग्राहक को अपना मित्र बना सके। जो व्यवसायी राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, मानसिक हर तरह की जानकारी रखता है, वह हर तरह से अपने ग्राहक को शीघ्र मित्र बना लेता है, जिसका व्यवसाय पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में आर्थिक सोच में सामान्य ज्ञान अत्यधिक आवश्यक है। सामान्य ज्ञान के लिए पत्र–पत्रिकाएं काफी उपयोगी हैं। आज तो सामान्य ज्ञान के लिए व व्यापार उद्योग के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से लिखी गई पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन करते रहने से ही सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक घटना को बारीकी से देखना, जांचना–परखना व मन ही मन निर्णय करना व्यक्ति को परिपक्व बना देता है। इससे इतनी क्षमता आ जाएगी कि सामान्य व्यक्ति भी निर्णय कराने आपके पास आएगा जोकि आपके व्यवसाय में भी सहायक होगा।

ऐसे व्यक्ति हाजिरजवाब भी हो जाते हैं और ग्राहक की समस्या का समाधान करने को सदैव तैयार रहते हैं। अतः अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना अपने उद्योग–व्यवसाय को बढ़ाने के समान है।

श्रम एवं व्यायाम

एक कहावत है "जान है जहान है"। तात्पर्य यह कि अगर सुगठित स्वस्थ शरीर है तब वह प्रत्येक के लिए आकर्षण की वस्तु समान हो जाता है। उद्योग व्यवसाय में भी सुगठित स्वस्थ तन–मन से ही धन प्राप्ति होती है। मन–मस्तिष्क स्वस्थ रहता है तो योजना बनाने की विचारशक्ति मिलती है तभी व्यक्ति श्रम कर सकता है। श्रम करने वाला ही लाभांश कमाता है। इसके लिए प्रातः उठना, व्यायाम करना भी आवश्यक है। चौबीस घंटे अपने धंधे की माला जपने या धनमाया में लगे रहने से व्यक्ति तन–मन–धन हर तरह से सुखी नहीं हो पाता है। अतः अपने कार्यक्रम में प्रातः घूमने जाना या व्यायाम करने का समावेश भी किया जाना उचित होगा।

आत्मविश्वास

अक्सर देखा गया है जिन भावी उद्यमियों या व्यावसायियों में आत्मविश्वास की कमी होती है, वे शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता भी खो देते हैं। बाजार के भाव में नित्य उतार–चढ़ाव आते हैं। उद्योगों में कच्चा माल क्रय करने और पक्का माल भेजने में शीघ्र निर्णय

लेना होता है। एक तरह से यह माना जा सकता है कि वर्तमान में सभी तरह के उद्योग–व्यवसाय सट्टा बाजार से कम नहीं है या घोड़े की रेस लगाने वाले व्यक्ति के समान निर्णय करने की क्षमता मांगते हैं। राजतंत्र में अकबर–बीरबल के किस्से मशहूर हैं। बीरबल निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता रखता था। इसी तरह चाणक्य की भी निर्णय क्षमता अद्‌भुत थी, यह सब आत्मविश्वास से ही संभव है।

हमारे देश में सैकड़ों वर्षों से आत्मविश्वास के सहारे ही व्यापार होता है। कागज–बहीखाता कौन रखता था! अभी भी उद्यमी पढ़े–लिखे हों या अनपढ़, बहुत से कार्य विश्वास से ही होते हैं और विश्वास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति शंका है या लगता है वह गलत है तब आप में आत्मविश्वास होगा, तभी आप दबंगता से निर्णय लेकर उसे कार्यान्वित कर सकते हैं अन्यथा शंकाएं, कुशंकाएं या संकोच में कोई निर्णय ही नहीं कर सकेंगे। अतः अपने मन के अंदर आत्मविश्वास का संचार करना भी आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न पुस्तकें, अखबार, लेख आदि पढ़ते रहना लाभदायक होता है। आत्मज्ञान बढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामने वाले पर आप अपना प्रभाव छोड़ सकेंगे। जिस व्यक्ति में वाकपटुता होती है, वह चतुर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आत्मज्ञान, आत्मविश्वास से ओतप्रोत है वह सहज हंसमुख सदैव तत्पर मिलेगा।

हंसमुख सेवा

अपने उद्योग या व्यवसाय में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है हंसमुख सेवा। आजकल दुकानों पर एक लंबा–चौड़ा स्लोगन लगा रहता है "ग्राहक को हमारी नहीं, हमें ग्राहक की आवश्यकता है।" सच कहें तो ग्राहक दुकानदार के लिए देवतातुल्य होता है। अगर ग्राहक ही नहीं आए, तब जो पूंजी लगाई है उसका क्या होगा?

जिस तरह द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था कि तुम्हें पेड़ दिख रहा है? चिड़िया दिख रही है? और उसने हर प्रश्न का उत्तर "नहीं" दिया था। तब गुरुदेव ने पूछा था – 'तो क्या दिख रहा है?' अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया था, 'गुरुदेव मुझे मात्र चिड़िया की पुतली ही दिख रही है, जिसे भेदना है।' उसी तरह से उद्यमी बनने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरुरी है तभी सफलता हासिल की जा सकती है।

तात्पर्य यह है कि भावी उद्यमी में इतना साहस आ जाना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य के समय में अन्य किसी से उलझे ही नहीं। सच कहे तो हंसमुख सेवा, श्रम करना, सहज–सरल बने रहना और ग्राहक को संतुष्ट करना एक तपस्या समान है, जिसके लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।

जो ग्राहक की उपेक्षा करता है, सदैव चाय–पान या व्यर्थचर्चाओं में लगा रहता है वहां ग्राहकों की संख्या भी घट जाती हैं। अगर ग्राहक को ऐसा महसूस हो कि वह माल दिखाने में टालमटोल कर रहा है, तब ग्राहक आगे बढ़ जाता है। हंसमुख सेवा के साथ दूरदृष्टि भी होनी चाहिए जिससे किसी ग्राहक को अपनी उपेक्षा महसूस न हो, तभी लाभांश की आशा की जा सकती है।

ईमानदारी और शिष्ट आचरण

किसी भी भावी उद्यमी या व्यवसायी को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने वाले दिन से ही यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि वह अपने व्यापार में ईमानदार ही रहेगा, शिष्ट आचरण करेगा, लेन–देन में सदव्यवहार की ऊंची मिसाल पेश करेगा और वचनबद्धता रखेगा। जिस व्यवसाय में ऐसा गुणी मिलता है तथा एक मूल्य रखता है, वहां "देर हो सकती है पर अंधेर नहीं।"

आपको सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आप बाजार में बैठे हैं। आपके गुणों–अवगुणों को दुनिया देख रही है। अगर आपमें गुण हैं तब आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे पर अगर आपने अवगुणों में बाजी मार ली जैसे झूठ बोलना, मिथ्या आचरण, लेनदेन में हेरफेर करना, तब निश्चित मानिए खुलकर बात सामने भले ही नहीं आए, शनैः शनैः अंदर की अंदर आप बदनाम हो सकते हैं और आपके ग्राहकों की संख्या घट सकती है।

आत्मनिरीक्षण व प्रशिक्षण

भावी उद्यमी या व्यवसायी को यह मान लेना चाहिए, जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मनोविज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, कोई भी अपने मन को छिपाकर नहीं रख सकता अतः सदैव आत्मनिरीक्षण भी करते रहना चाहिए जिससे अपनी, अपने उद्योग–व्यवसाय की त्रुटियां स्वतः ही नजर आने लगे। व्यक्ति इतिहास इसीलिए पढ़ता है कि वह अतीत से भी कुछ सीख सके। इसीलिए अगर आपने अपना नया उद्योग या व्यवसाय खोला है तो आप कितने ही बुद्धिमान, विद्वान हैं, आपको संबंधित प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन डायरी भी लिखनी चाहिए जो समय–समय पर मार्गदर्शन का काम करती है।

यह भी अनुभव में आया है कि बी.ए., एम.ए. पास अनेक युवा भी सादा–सा आवेदन–पत्र तक नहीं लिख पाते हैं, स्वरोजगार योजना का पत्र तक नहीं भर सकते हैं। तब वे उस समय सरकारी अधिकारी को ही भगवान मान लेते हैं। इसी तरह उनकी प्रथम परीक्षा हो जाती है कि वे अपने उद्योग या व्यवसाय का संचालन कैसे करेंगे!

अतः यह सदैव याद रखना चाहिए कि उद्यमिता विकास, निगम, राज्य कंसलटेंसी संगठन, खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रशिक्षण केंद्रों, केंद्रीय प्रांतीय शासन के केंद्रों जहां भी जाना पड़े, ईमानदारी से प्रशिक्षण में दिलचस्पी लेने से आपका ही भला होगा।

आनंद परिधि एल–62
पं. प्रेमनाथ डोंगरानगर,
रतलाम (म.प्र.) 457 001

कहानी

सुराज

☞ कृतनारायण 'प्यारा'

सोमन खेत जोतकर आया था। पूरबी बहियार से। थकामांदा।कादो से लथपथ। खुला बदन। कमर के नीचे फेंटा, बंधी हुई धोती। सर पर लिपटा हुआ गमछा। चिल्ला रहा था... पानी के लिए। उसे कौन देता पानी! सोनी माय पानी लाने कुएं पर गई थी। गांव का नलकूप अक्सर खराब रहता है। सरकारी चीज हो या दस गरदा, उसकी हालत ऐसी ही रहती है। कभी नट–बोल्ट नहीं तो कभी वासर नहीं। नलकूप हिल–हिल कर गंदे कांदो में चारों खाने चित्त जैसा लग रहा था। देरी होती देख सोमन अपनी डेरीवाली को भद्दी–भद्दी गालियां देने लगा।

सोनी माय सोमन के समीप पानी का थैला रखती हाथ चमकाती बोलने लगी–'बड़ा आया है पैना से मारने वाला। हर लब्ज में मार के फेंक दूंगा, कदुवा पर सितवा चोख वाली कहावत है। मर्द की बोली अच्छी नहीं। उधर सोनी, माय का आंचल घर जाने को खींचने लगी। उसकी मां सांप की तरह फुफकारती उसे धकेलती लपकी चाची के यहां चली गई। उसके ओसारे पर बैठकर रोने लगी। अगल–बगल की औरतें धीरे–धीरे जुटने लगीं। ये औरतें यहां सहयोग देने नहीं आई थीं। क्या मरद ने मारा? क्यों मारा? यह जानने के लिए। कहां चोट लगी? यह देखने के लिए आई थीं। क्या झोंटा पकड़कर खींचा था? या लपड़–थप्पड़ से मारा था। गाली–गलौज तो आम बात है क्योंकि वह देह–हाथ में गोली की तरह छेद नहीं करती लेकिन मन में तो छेद करती है। उधर से लाल परी की मां बोली–'गरीब का मन मरा होता है। इसलिए छेद नहीं करती है।'

मल्लडीहा वाली भी कहने से नहीं चूकती। सात घाट का पानी पीने वाले मर्द का यही हाल होता है। अपनी मोगी को मारना–पीटना, गाली–गलौज करना। जितनी औरतें उतनी बातें। बूढ़ी औरतें भी कहने से बाज नहीं आतीं। धरती पर का आदमी ख्वाब आसमान का। घर–गृहस्थी में लड़ाई–झगड़ा तो होता रहता है। एक जमाना था जब बूढ़े लोग जबान चलाती बहू को समझाते थे कि ज्यादा गुस्सा हो तो मुंह में पानी डाल लो। अर्थ था, कुछ न बोलो। अब जमाना वो नहीं रहा। मर्द बात–बात पर पत्नी पर हाथ उठाता है, गाली देता है। यह सामाजिक अन्याय है, कानूनन अपराध है और पारिवारिक दुख–तकलीफ को बुलाना है। पति गुस्सा करे तो पत्नी चुप्पी लगा दे, ऐसा होना चाहिए न कि मारपीट करनी चाहिए। औरत तो लक्ष्मी होती है। प्यार की देवी होती है। उसे प्यार चाहिए। ऐसा घर हरा–भरा दिखने लगता है। प्यार अमृत है। प्यार दोगे तो प्यार पाओगे।

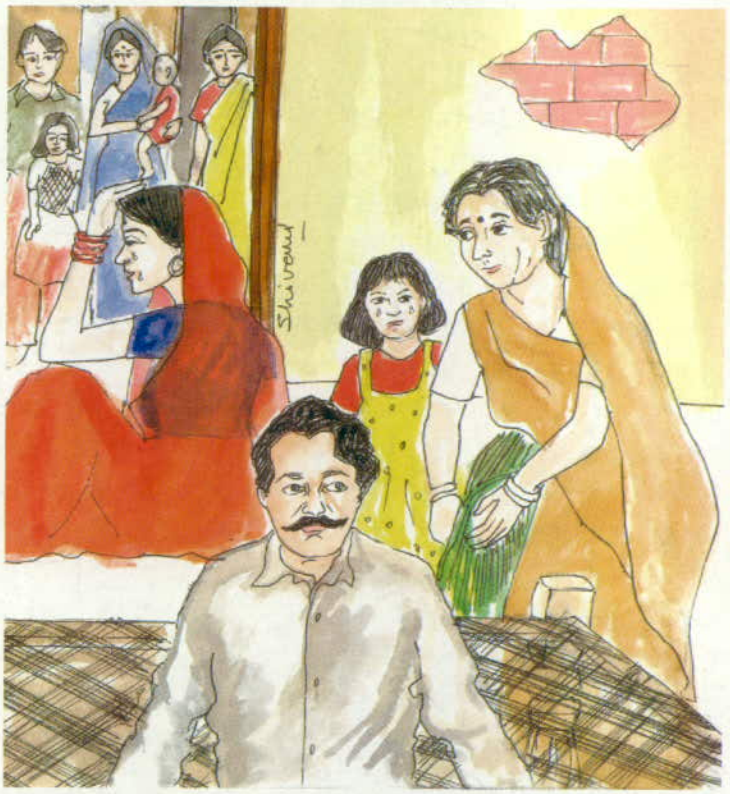

सोनी अपनी माय को जाती देख जोर–जोर से चिल्लाने लगी। उसका सारा बदन धूल से भर गया था। रौंद के कारण खुली देह पर पसीना चुहचुहा रहा था। उसकी चीख अब सोमन से नहीं सुनी जा रही थी। अपनी धोती का फेंटा कमर में बांध लाल–लाल आंख किए बोलने लगा – 'साली को तनिक भी दया–माया नहीं आई। दखनाई जो ठहरी। कहावत है–वहां की मिट्टी में लस मगर बोली में नहीं। सोनी को कैसे धकेल कर चली गई जैसे सौतन की बेटी हो?' सोमन उसे गोदी में उठाकर सहलाने लगा। कनिया–पुतरा का लालच दे–देकर लगा उसे पुचकारने।

सोनी माय डेढ़िया पर आकर फिर लौट गई। लपकी चाची बीच आंगन में धप्प से बैठ फिर रोने लगी। औरतों का झुंड अब भी छंटा नहीं था। सोमन के सर पर चढ़ा नरसिंह उसने कई बार देखा था। इस बार चुप्प नहीं बैठेगी! गांव के मड़र से इंसाफ मांगेगी। नहीं तो पुलिस–थाना जाकर रपट लिखवाएगी। औरत पुरुषों की गुलाम नहीं! खाना, कपड़ा–लत्ता, सिनूर, टिकली, तेल, साबुन सब वह जुटाती है। दिनभर काम करती है। सुबह उठते ही मालिक के घर जाकर चौका–बर्तन, झाड़ू–बहाड़ू उसे करनी पड़ती है। उसके बाद खेतों में कमौनी करने जाती है। फसल

बुआई करती है। फसल पकने पर उसकी कटाई करती है। अपने बच्चों के साथ–साथ अपने मरद को भी वह कमाकर पालती है। यह सोनी का बाप बड़ा निकम्मा है। कमकोढ़िया है। केवल खेत जोतकर आएगा और पूरा दिन सोकर, ताश खेलकर समय बिता देगा। घर में क्या है, उसे इसका पता नहीं!

उसी समय उसकी सास सर पर घास का बोझा लिए आ गई थी। बोझा पटकते ही सर का बोझ हल्का हो गया।... मगर पीतरिया थाली में छूटी रोटी देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी। उसके सर का बोझ भारी होने लगा। वह कनिया से जाकर पूछती है–'जो आदमी हराठ से आएगा, वह भला सूखी रोटी क्यों खाएगा? नमक नहीं था तो मांग लाती। जब देखो थुथुन लटकाए रहती है। किस 'कुलछनी के घर मैंने अपने बेटे की शादी की थी।' फिर एक भद्दी–सी गाली उसके मुंह से निकली। और बड़बड़ाती हुई बोली–'वहां बैठ कर नेपो चुआती है?'

सोनी माय भी कहने से नहीं चूकती। वह ब्याहता औरत है कोई चुमौना वाली नहीं! अपने कुल–पुरखों के बारे में कोई उल्टी–सीधी बात वह तनिक भी सहने वाली नहीं।

उसकी सास अब आमने–सामने हो आई थी। सोनी माय आंगन से उठकर खड़ी हो गई। तमतमाकर बोलने लगी 'यह मेरी सास नहीं, पिछवाड़े की भूतनी है। जब देखो गाली देकर बात करती है और अपने बेटे का पछ लेती रहती है। बेटा तो कमकोढ़िया है, सोया रहता है। दुकान से नमक तेल भी नहीं ला पाता है।'

सोनी माय की बात पर सोमन पागल कुत्ते की तरह काटने दौड़ता है – 'हरामजादी। थाना में रपट लिखवाएगी? मैं तुम्हारी गीदर–भभकी से डरने वाला नहीं। कैसे कहती है कि मैं कमकोढ़िया हूं। रोज मालिक के खेत में हल जोतने क्या तुम्हारा बाप जाता है!'

'खबरदार! जो मेरे बाप का नाम लिया, सोनी माय गुस्से में कहती है।

'हां! मैं एक बार नहीं हजार बार तेरे बाप का नाम लूंगा। गाली भी दूंगा और तुमको घर से घसीटकर निकाल बाहर करूंगा।

'तू मरद है तो निकालकर देख?' सोनी माय तमतमाकर बोलती है।

'तेरी यह हिम्मत। पानी में रहकर मगर से बैर! तलवे की लहर मगज पर चढ़ते ही सोमन पैना लिए सचमुच दौड़ पड़ता है। सटाक–सटाक की आवाज सुनकर अड़ोस–पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सोमन का तामस भी कम नहीं! भितरघुन्ना आदमी बहुत खराब होता है। गांव का मड़र चिल्लाकर कहता है 'सारा दोष सोमन का है। आज रात पंचायत बैठेगी।'

सोनी माय अब इस घर में नहीं रहेगी। रो–रोकर वह अपना दुखनामा सुनाने लगी।

गरीब घरों में अक्सर शाम को लोग लड़ाई–झगड़ा करके सो जाते हैं। उनके घर परेशानियां बहुत हैं। उनकी परेशानियों की यात्रा रोटी, कपड़ा और मकान से शुरू होती है। शिक्षा और चिकित्सा तो बाद की चीज है। ये तीनों बुनियादी जरूरतें उन्हें पनपने नहीं देतीं। घर में रोटी नहीं, बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात उनकी बुनियादी जरूरतें रोज जान खाती रहती हैं। बाकी बीमारी। बीमारी से बच गए तो भगवान भरोसे या मर गए तो भी भगवान भरोसे। इसलिए अपना सारा टेंशन गाली–गलौज, झगड़ा करके हल्का कर लेते हैं।

इतनी लंबी यात्रा तय करने के बावजूद सुराज दिखाई नहीं पड़ता। सोमन ने अपने कान से सुना है। गांव के मुखिया बोलते रहते हैं–सुराज गांव–गांव आएगा। हर गांव में पीच रोड, बिजली, पानी और पुल होंगे। हजारों देशभक्त शहीदों के सपने सच होंगे। गांधी, सुभाष, भगतसिंह जैसे हजारों वीर जो देश के लिए कुर्बान हुए थे उनके अरमान एक न एक दिन पूरे होंगे। सोमन ने आज तक अपने गांव में सुराज को देखा नहीं है। यह सुराज कब उसके गांव आएगा!

सूरज डूब चुका था। गांव की ढिबरियां उग आई थीं। ढिबरी की रोशनी टटिया से झांकती, चटाई पर मटमैली जैसी लग रही थी। सोनी माय की आंखों में आंसू अब भी सूखे नहीं थे। मार खाकर भी आज तक घर में ही रही। कहीं नहीं गई। सोमन को अपने आप पर बड़ा पछतावा हो रहा था। अब वह सोनी माय पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। वह मन ही मन सोचने लगा। यहां के लोग मौगा होते हैं। मौगी को, घर को छोड़ना नहीं चाहते। घर छोड़ेगा, बाहर जाकर कमाएगा तब न पेट भरेगा। अचानक कंधे पर अंगोछा रख सीधे पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। एक घड़ी के लिए वह रुका था। अपने घर को राम–सलाम किया था, तब अलविदा कह चल पड़ा। आगे उसके मालिक का घर था। जाते–जाते मालिक के दरवाजे पर उसका पैर ठिठक गया। उसके कानों में एक आवाज आई। यह मालिक की आवाज थी–'का रे सोमन! सोमन चुप रहा। यह उसके जीवन का पहला अवसर था कि मालिक की आवाज को ठेंगा दिखा आगे बढ़ गया था। न आगे नाथ न पीछे पगहा। कौन रोकेगा उसे? सुराज को खोजने जो चल पड़ा था!

अंधेरी रात! सांय–सांय बहती हवा। सोमन के उठते डग खेरा पीपल के तले अचानक रुक जाते हैं। वहीं पर नाथ बाबा का थान है। एक तरह का देवस्थल, जो इस सन्नाटे में भी रूढ़िवादी परंपरा को जोड़ने का काम करता है। इधर से गुजरने वाले राहगीर यहां पर अपना सर नवाकर ही आगे बढ़ते हैं। सोमन भी वही करता है। वह भी अपना सर नवाता है। नाथ बाबा के आगे कर जोड़कर किरिया खाता है कि आज से सोनी माय को कभी नहीं मारेगा। वह उठ खड़ा हुआ। उसी समय पंडितजी की बात उसे याद आ गई। जतरा पर कोई टोके–टाके नहीं...कोई छींके–छांके नहीं। लेकिन पढ़ा–लिखा युवक बोलता है कि यह दकियानूसी बात है। वह खुशी से झूम उठता है। जै हो नाथबाबा! पांव भर बताशा चढ़ाऊंगा और उसका डग लंबा हो गया।

आज सोमन का दूसरा दिन है। देखते–देखते सोमन का लंबा डग शिथिल पड़ने लगा है। आगे भूख का पहाड़ जिसे लांघ पाना सोमन के बस की बात नहीं। हट्टा–कट्टा आदमी होकर भला कैसे हाथ पसारे उसकी मरनी हो जाएगी। वह अपने आप सोचने लगा– "अपना घर भात, पड़ोसिया पकड़े हाथ।" इस सोच ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। आज पैसे की पूजा होती है। अपने गांव का जागो मड़र जब कोर्ट–कचहरी जाता है तो बड़े–बड़े लोग उसके पीछे–पीछे चलते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। लोग सही कहते हैं–खोल पैसा, देख तमाशा! अपना सर खुजलाते उसे हंसी आती है। आजकल थाने के दारोगा बाबू भी जागो मड़र को

जागेश्वर बाबू कहकर पुकारते हैं। कुछ महीनों के बाद वह सीधे पंजाब चला जाता है। उसके गांव के ढेर सारे मजदूर वहां काम करते हैं। यहां अच्छी कमाई है। मेहनत का यहां वाजिब मेहनताना मिलता है।

सोमन यहां आकर खेत में हल नहीं चलाता। उसका मालिक सरदार उसे बहुत मानता है। उसे ट्रेक्टर चलाना सिखा दिया है। अब वह ट्रेक्टर चलाता है। साइकिल पर चढ़कर इधर–उधर मालिक का काम करता है। उसे यहा हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। अपने गांव का वह कमकोढ़िया नहीं, यहां आकर वह कमाऊ बेटा बन गया है। उसने यहां आकर अपनी पुरानी लत खैनी खाना छोड़ दी है और बीड़ी पीना बंद कर दिया है। धोती के बदले फुल पेंट और शर्ट पहनने लगा है। गांधी, सुभाष, भगतसिंह जैसे हजारों वीरों के सपनों का साकार रूप उसने यहां आकर देखा। हर जगह पीच रोड है, बिजली है, पानी है और नदी पर पुल है। गांव का गांव खुशहाल है। गांव के बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उसे अच्छा लगता है। छोटे–छोटे बच्चे। हंसते, खेलते, गाते, मचलते उसे अच्छा लग रहा था। स्कूल यूनिफार्म में सबके सब बच्चे एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। उनके पैरों के जूते, मौजे, शर्ट–पैंट बड़े साफ–सुथरे दिखते हैं। फिर उसे बड़ा अफसोस होता है कि अपने गांव के स्कूल में बच्चों के पैरों में न जूते हैं, न मौजे, न पैंट न शर्ट। बच्चे कपड़े गंदे, मैले और पुराने पहनकर स्कूल जाते हैं। कितना बड़ा अन्नाय है! कैसी असामनता है! यहां आकर जाना है कि सभी प्रांतों से बिहार धनी प्रांत है लेकिन वह सब से गरीब है। क्यों ? मालिक सरदार ने कई बार हंसते–हंसते उसे कहा है कि तुम बिहार से आए हो। हमेशा मुझे डर बना रहता है कि न जाने तुम कौन–सा घोटाला यहां करोगे ? यह सुनकर उसकी मरनी हो जाती है। सोमन भारी सोच में पढ़ जाता।

काफी दिन हो गए, घर की याद उसे बुरी तरह सता रही थी। वह घर लौटने वाला भी था। घर जाने की तिथि भी उसने तय कर ली। एक दिन वह ट्रेन टिकट भी ले आया। सोमन का दरमाहा बारह महीने का बारह हजार रुपये मालिक सरदार ने लाकर उसके हाथों में थमा दिया। इत्ता रुपया उसने तीस बरस की जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इन रुपयों का बैंक ड्राफ्ट भी बनवा लिया गया। पत्नी, माय और अपनी बेटी के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने ले आया। एक वीआईपी सूटकेस में सबको बंद किया और वह गांव चल दिया। गांव जाने का अलग ही सुख था। बार–बार मालिक सरदार से कहा करता कि गांव जाकर वह एक रिक्शा खरीदेगा और रिक्शा चलाएगा।

गांव लौटते समय मालिक सरदार स्टेशन तक उसे छोड़ने आया था। रेल डब्बा में बैठते समय मालिक सरदार बोला– 'सोमन, तुम बहुत याद आओगे। तुम्हारी दो बहुमूल्य चीजें मेरे पास रह गई हैं। एक है तुम्हारी ईमानदारी और दूसरी मेहनत। दोनों ने मेरे दिल में जगह बना ली है। ये दोनों चीजें अनजान जगह में भी जगह बना लेंगी क्योंकि ये चीजें परमात्मा की दी हुई हैं।' तब तक गाड़ी खुल चुकी थी। इस बात पर सोमन खूब हंसा था। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर.....।

दो दिनों की यात्रा के बाद सोमन अपने गांव की धरती पर था। उसने गांव की मिट्टी को सर नवाया। बड़े–बुजुर्गों के पांव छूए। अपनी माय का आशीर्वाद लिया। सोनी को गोद में उठाया और सोनी माय से क्षमा याचना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। सोनी माय हाथ पर घूंघट ताने मुस्कुरा रही थी। सोमन चाहता था अकेले में बात करे। लेकिन न तो औरतें हटती थीं और न बच्चे। सारा गांव सोमन के आंगन में सिमट आया था। सबकी खातिरदारी करनी थी। आते वक्त मालिक ने बच्चों के लिए एक बड़ा पैकेट टॉफी का दिया था। वही टॉफी सबको बांट दी गईं। पंजाब का बड़प्पन बात–बात में सोमन के मुंह से टपक पड़ता। वहां ईमानदारी है, अच्छी खेती होती है, लोग खुशहाल हैं। गांव–गांव में पीच रोड, बिजली, पानी और नदी पर पुल है। वहां के लोग कर्मठ हैं। औरतें भी काम करती हैं। सच पूछो भैया, वहीं सुराज है।

इस तरह शाम ढल गई। सोनी माय के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने आज गमकोवा साबुन से रगड़–रगड़ देह साफ की थी। माथे में चुपड़–चुपड़ गुललोगन का तैल लगाया था। बहुत बनी–ठनी थी। पंखा झेलती सोनी माय कनखियों की भाषा बोलने लगी। 'बेकार ही तुमसे लड़ी। तुम्हार अता–पता लोगों से पूछती रहती। तुमने कभी मेरी खोज–खबर नहीं ली। न ही कोई संवाद भेजवाया। वहां जाकर तुम मुझे बिसुर गए। मैं अकेली बच गई। तुम्हारी आस में अब तक पड़ी हूं। तुम तो मरद हो वहां मेरी जैसी औरत तुम को मिल गई होगी। सांठ–गांठ कर लिए होगे ? है न सही बात ? मेरी कसम खाकर कहो तो?'

सोमन गंभीर मुद्रा में बोलने लगा–'मैं कोई जानवर नहीं हूं। भले–बुरे का ख्याल रखता हूं। परदेश में दो चीजों को समेटकर रखना पड़ता है। पहली जवानी और दूसरी है जीभ। मैं कमाने गया था कोई आंख लड़ाने नहीं। तुमसे अलग होकर तुमको समझ सका। तुमको जान सका। पत्नी क्या चीज होती है। तुम हो...तो फिर दूसरे का जूठा क्यों खाऊं ? गरीबों को यह परेम–उरेम फलता–फूलता नहीं है। शीघ्र नष्ट हो जाता है। परेम–उरेम पैसेवालों के लिए है। मैं भी बहुत पैसा कमाकर लाया हूं लेकिन पहले करजा उतारूंगा फिर रिक्शा खरीदूंगा। तुमको बिठाकर सिनेमा देखूंगा। कहते–कहते सोमन ने दोनों हाथों से सोनी माय को जकड़ लिया। लगा, दोनों का अस्तित्व दो नहीं, एक हो गया हो।

ललकी किरनियां कोर को छोड़ता सूरज ऊपर उठ आया था। सोनम एक दिन बैंक जाकर रुपया उठा लाया। करजा वाले को रुपया दे आया। फिर सोमन जो सोचकर आया था। रिक्शा चलाना... रोजगार के लिए! न उसके गांव में पीच रोड है, न बिजली है, न पानी और न पुल है। सुराज आने के लिए इन चीजों का होना जरूरी है। यहां तो वही गरीबी है, बीमारी है, गंदगी है, अशिक्षा है, बदहाली है। आज छब्बीस जनवरी है। सुराज के लिए हजारों लोग शहीद हुए थे। उन शहीदों के भी सपने थे। उनका सपना कब पूरा होगा? क्योंकि उन सपनों के साथ सोमन का भी एक सपना था जो उसके साथ जुड़ा हुआ था। वह था उसका सुराज! वह कब आएगा! वह दोनों घुटनों के बीच अपना माथा छुपा यही सोच रहा था। ❑

प्यारा भवन,
कोर्ट स्टेशन, पूर्णिया,
बिहार

प्लास्टिक के पौधे की तरह

☞ चंद्र मोहन मिश्र

अपनी जड़ों से टूटकर
कोई पौधा कैसे पुष्पित–पल्लवित
हो सकता है?
लेकिन मैं,
प्रकृति से टूटकर,
खिला हुआ–सा दिखता हूं
शायद मेरा खिलना,
कृत्रिम है
प्लास्टिक के फूलों की तरह
निर्जीव, संवेदनाशून्य!

तभी तो,
पानी के बदले
पीता तो,
पानी हूं
गंदला–सा, कीटाणुओं से युक्त
पानी जैसा कुछ
फिर भी, हरा दिखता हूं
प्लास्टिक के पौधे की तरह
निर्जीव, संवेदनशून्य!

ऑक्सीजन की जगह
लेता हूं विषैला धुंआ,
फिर भी हरा हूं
प्लास्टिक के पौधे की तरह
निर्जीव, संवेदनशून्य!

फैक्ट्रियों की चिंघाड़ें
वाहनों का शोर
सुनकर भी हरा हूं,
प्लास्टिक के पौधे की तरह,
निर्जीव, संवेदनशून्य!

जगती है, अतीत की स्मृति
निर्मल स्वच्छ जल,
प्राणवायु और शांति
लेकिन यह स्वप्न है,
यथार्थ है, मैं हो गया हूं
प्लास्टिक के पौधे की तरह,
निर्जीव, संवेदनशून्य!

मैंने ही किया है,
जल को गंदा
वायु को दूषित, ध्वनि को प्रदूषित
क्योंकि
मैं हो गया हूं प्लास्टिक के पौधे की तरह
निर्जीव संवेदनशून्य!

आधुनिक मनुष्य

जितनी कोशिश,
करता हूं
जुड़ने की
टूटता, बिखरता
चला जाता हूं।
आखिर क्यों?

विज्ञान का नियम है,
टूटने से,
बिखरने से
ऊर्जा नष्ट नहीं होती,
ऊर्जा मुक्त होती है।
मैं हर प्रहार के बाद
हर टूटन के बाद
ऊर्जाहीन महसूस करता हूं,
आखिर क्यों?

मैं कोशिश करता हूं
विश्वास अर्जित करने की,
आस्था पाने की
लेकिन हर बार,
होती है विश्वास की हत्या,
घिरता हूं आस्था के संकट से
आखिर क्यों?
किसी विचारक ने कहा है,
व्यक्ति का अस्तित्व
टिका है,
सहयोग और विश्वास के मजबूत स्तंभों पर।
हर बार,
अपने अस्तित्व के स्तंभों को
भरभरा–कर गिरते देख
मूक दर्शक बना रह जाता हूं
आखिर क्यों?

सी–20, तीसरी मंजिल
नेहरू विहार (तिमारपुर के निकट)
नई दिल्ली – 54

स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी

हड्डियों की समस्याओं से जुड़े सवाल-जवाब

☞ डा. राजेंद्र कुमार कनौजिया

कमर-दर्द, घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द आदि हड्डियों से जुड़ी कुछ आम बीमारियां हैं। इस बार स्वास्थ्य चर्चा में लेखक ने, जोकि अस्थिरोग विशेषज्ञ हैं, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का आम उठने वाले प्रश्नों के आधार पर जवाब देने का प्रयास किया है।

प्रश्न : मेरे बेटे के पैर जन्म से ही अंदर की ओर घुसे हैं, पंजों की आकृति भी टेढ़ी है, इसका क्या उपाय है? क्या यह वंशानुगत बीमारी है? हमारे पहले के सभी बच्चे ठीक हैं।

उत्तर : संभवतः आपके बच्चे को सी.टी.ई.वी., अर्थात् कंजानाइटल टेलिपेस इजवाइनो वेरस हुआ है। इसमें बच्चे के पैर पंजे से अंदर की ओर घूमे रहते हैं। इसके होने के कई कारण होते हैं। जिनमें से प्रमुख हैं गर्भावस्था में बच्चे की गर्भाशय में स्थिति, संकुचित गर्भाशय, जुड़वा बच्चे, गर्भाशय में द्रव्य का कम होना, कुछ दवाएं, एक्सरे, चोट लगना आदि। पोलियो, स्पाइना- बाइफिड, कंसट्रिक्सन बैंड इत्यादि कारण से बच्चे के पैर पैदाइशी घूमे हो सकते हैं। इनको कोई भी जागरूक मां-बाप देखते ही समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत इलाज और सलाह के लिए अपने अस्थिरोग विशेषज्ञ को दिखाएं।

यह विकृति कई प्रकार या स्तर की हो सकती है जिसमें साधारण प्रकार की विकृति में बच्चे के पैरों को विशेष प्रकार से बाहर की ओर घुमाने से ही विकृति को ठीक किया जा सकता है। बच्चे के जन्म के प्रथम माह में केवल इसी विधि द्वारा पैरों की मालिश लाभदायक होती है। बच्चे के एक माह की उम्र से उसके पैरों में मालिश के उपरांत घुटनों से ऊपर का प्लास्टर भी लगाते हैं जिसे प्रत्येक दो सप्ताह में एक बार बदला जाता है। प्लास्टर के दौरान पैरों को ऊंचा करके रखा जाता है तथा ध्यान रखा जाता है कि पैरों की उंगलियां नीली ना पड़ें या बच्चा बहुत ना रोए। ऐसे में प्लास्टर को पानी से भिगोकर तुरंत निकाल दें या अपने चिकित्सक को दिखाएं।यदि पैर मालिश और प्लास्टर से ठीक नहीं होते तो फिर शल्यक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। शल्यक्रिया के उपरांत बच्चों को विशेष प्रकार के जूते पहनने को दिए जाते हैं। इस प्रकार इलाज तब तक करते हैं जब तक कि बच्चा सात-आठ साल का ना हो जाए।

यह बीमारी प्रायः वंशानुगत नहीं होती और कोई जरूरी नहीं कि और बच्चों में भी ऐसी परेशानी मिले।

कुछ भ्रांतियां हैं कि इसका संबंध चंद्रग्रहण से है या फिर यह एक प्रकोप है, ऐसा हरगिज नहीं है। यह एक पूर्णतः ठीक होने वाली शारीरिक विकृति है। आवश्यकता है तो सिर्फ बच्चे को ठीक समय पर सही चिकित्सक के पास ले जाने और फिर इलाज प्रारंभ कराने की।

पैर के साथ-साथ बच्चे में अन्य विकृतियां भी मिल सकती हैं, जैसे कमर की रीढ़ की हड्डी में विकृति या मुंह में होठों, तालू और हाथों की विकृति। अतः बच्चे को नहलाते समय ठीक से परखें।

प्रश्न : मेरे बच्चे की उम्र आठ वर्ष है। अक्सर वह कमर का दर्द बताता है। पहले तो हमने उसकी जांच वहीं एक चिकित्सक से कराई थी। उनका कहना था कि कोई चोट लगी होगी परंतु मेरा बेटा बताता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी। इस दर्द को लगभग चार महीने हो गए हैं। इधर एक दिन जब मेरा बच्चा बैठा था तो मैंने देखा उसकी कमर कुछ-कुछ टेढ़ी लग रही है। अब उसे हल्का- हल्का बुखार भी रहता है। शाम को वो अब खेलने भी नहीं जाता या फिर जल्दी ही थककर वापस आ जाता है। ना खाना ठीक से खा पाता है और ना ही उसका वजन बढ़ रहा है। कृपया बताएं, मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर : आपके द्वारा बताए गए लक्षणों के अनुसार एक बात जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि स्वस्थ बच्चे की हड्डियों,

कमर या किसी भी जोड़ में यूं तो कोई दर्द नहीं होता फिर भी यदि कहीं चोट–मोच से दर्द हो तो वो भी एक–दो दिन में ठीक हो जाता है। एक सबसे खराब बात है, बार–बार की गई लापरवाही। बच्चा आपको केवल रोकर ही बता सकता है कि उसे क्या परेशानी है। उसको सही चिकित्सक को दिखाना और उसका इलाज कराना आपकी जिम्मेवारी है। आपने बताया कि आपका बच्चा लगभग चार–पांच माह से कमर दर्द से परेशान है और आपने उसे किसी अस्थिरोग विशेषज्ञ को नहीं दिखाया। हर बीमारी में उसी के विशेषज्ञ को दिखाएं तो उचित होगा।

आपके द्वारा बताई गई बातों से यदि समझा जाए तो इस उम्र के बच्चों में प्रायः टी.बी. या तपेदिक होने की संभावना रहती है। यह तपेदिक फेफड़े की तपेदिक या फिर अन्य ग्रंथियों की तपेदिक से रक्त द्वारा हड्डियों में विशेषकर कमर की मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, कूल्हे या फीमर की हड्डी में जाती है। पहले कुछ सप्ताह तक बच्चे को शाम को थकावट, हल्का– हल्का बुखार, कमर या पीठ दर्द, कूल्हे में दर्द, सुस्ती, खेलने में रुचि न लेना आदि परेशानियां होती हैं। बच्चे का वजन घटता जाता है, अक्सर ऐसे बच्चे रात में दर्द बताते हैं।

ऐसी स्थिति में बच्चे का पूर्ण परीक्षण, रक्त संबंधी कुछ जांच जैसे टी.एल.सी., डी.एल.सी., ई.एस.आर., एक्सरे चेस्ट, सीने तथा दर्द वाले भाग का, सामने तथा साइड से भी एक्सरे कराने पड़ते हैं। कुछ और विशेष जांच भी करानी चाहिए और बच्चे को बिल्कुल बिस्तर पर लिटाकर रखें, चलाएं–फिराएं नहीं। यदि जांच से स्पष्ट हो जाए कि उसे रीढ़ की हड्डी की तपेदिक ही है तो टी.बी. के लिए उम्र तथा शरीर के वजन के अनुसार ए.टी.टी., (एंटी टयूबरकुलर) विटामिन, दर्द की दवाएं चलाई जाएंगी। बच्चे को बीच–बीच में दिखाती रहें। दवाओं को समय–समय पर कम किया जाता है।

इस बीमारी में लगभग अट्ठारह माह तक दवाएं चलती हैं। दवाएं ठीक वैसे ही खाएं जैसे आप नियम से भोजन करते हैं। क्योंकि यदि एक बार भी दवाओं का क्रम टूट गया तब दवाएं बेअसर हो जाती हैं और कभी–कभी सारी दवाएं फिर से शुरू करनी पड़ती हैं। एक बात का ध्यान रखें, इसमें कोई छुआछूत का डर नहीं है। हां, आप दवाएं ठीक से करेंगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। कमर यदि अधिक टेढ़ी हो गई हो तो कमर की बेल्ट बनाई जा सकती है। इसके लिए **आप** अपना नाम देकर बेल्ट बनवा सकती हैं। इसके लिए भी आपके चिकित्सक आपको सलाह दे देंगे। एक बार फिर से आपको सलाह है कि लापरवाही बिल्कुल ना बरतें।

प्रश्न : मैं एक रिटायर्ड सत्तर वर्षीय स्वस्थ और कार्यकुशल व्यक्ति हूं। मैं पहले कुश्ती और अन्य खेलकूद में भी खूब भाग लेता था। पिछले सात–आठ महीने से मेरे दोनों घुटनों में बहुत दर्द होता है। चलने–फिरने में भी बहुत तकलीफ होती है – सीढ़ियां चढ़ने–उतरने में लगता है जैसे पैरों में कुछ अटक रहा है। घुटने से कट– कट की आवाज भी आती है। बाथरूम, टॉयलेट में बैठना, पूजा करना यहां तक कि योगासन के लिए भी घुटने मोड़ते समय दर्द करते हैं। कभी–कभी घुटने में सूजन भी आ जाती है। मेरे अन्य जोड़ ठीक हैं। इसके अलावा मुझे कोई परेशानी नहीं हैं, ना डायबीटिज है, ना ब्लडप्रेशर।

उत्तर : जैसाकि आपने बताया– आपके दोनों घुटनों में दर्द, सूजन और कट–कट की आवाज के साथ पैर फंसने की तकलीफ निश्चित रूप से कष्टदायक है। प्रायः जीवन के सुनहरे वर्षों में बहुत सटीक और कार्यशील व्यक्ति यदि अपने नियमित व्यायाम और दैनिक गतिविधियों को कम कर दे या बैठ जाए तो उसके जोड़ों में इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न जोड़ हड्डियों के सिरों पर साइनोविमल मेम्ब्रेन या पतली झिल्ली से बने होते हैं जो विभिन्न मांसपेशियों और तंतुओं से बंधे होते हैं। इनमें साइनोविमल फ्लूड या जोड़ का द्रव्य भरा रहता है। इन जोड़ों विशेषकर बड़े जोड़ों जिनमें कूल्हे, कमर, तथा घुटने की संरचना इस तरह है कि ये हमारे शरीर का बोझ उठाते समय हर गतिविधि जैसे दौड़ने–भागने, उछलने–कूदने, घुटने मोड़कर बैठने में एक–दूसरे के सहायक होते हैं, और हमारे शरीर का वजन एक निश्चित अनुपात में एक–दूसरे में विभाजित कर लेते हैं।

घुटने का जोड़ एक बड़ा भारवाहक जोड़ है। उम्र के साथ, चोट लगने के बाद या किसी शल्यक्रिया के उपरांत, जोड़ों के द्रव्य तथा उनमें स्थित महीन मांसपेशियों की लचक कम हो जाती है। इससे उस जोड़ पर दबाव ज्यादा पड़ने लगता है। इससे जोड़ों की हड्डियों का आपस में घर्षण बहुत बढ़ जाता है। इस घर्षण से हड्डियों के छोटे–छोटे टुकड़े जोड़ के आसपास बड़ी हड्डियों के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर ये जोड़ में फंस कर चलने–फिरने में परेशानी उत्पन्न करते हैं। हड्डियों के ऊपर का कार्टिलेज एक सख्त खोल की तरह उनको घर्षण से बचाता है। कभी–कभी चोट लगने से उम्र के साथ या फिर कैल्शियम की कमी से यदि यह कार्टिलेज टूट–फूट जाए और इसकी परत उखड़ जाए तो हड्डियों के सिरे खुल जाते हैं जो किसी स्थिति में घर्षण होने पर दर्द पैदा करते हैं। इनसे बचने के लिए अपने आहार और कार्यशैली में परिवर्तन की आवश्यकता है। खाने में कैल्शियम से युक्त दूध, पनीर, सीताफल, अमरूद आदि का सेवन खूब करें। कैल्शियम की गोलियां भी खा सकते हैं। धूप विटामिन डी की अच्छी स्रोत है और यह आसानी से और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है।

घुटने को ज्यादा मोड़कर ना बैठें, अगर आप विदेशी शैली की कमोड शौचालय का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। पूजा करने के समय या योगा करते समय किसी पीढ़े या चौकी का उपयोग करें। कई ऐसे आसन हैं जिनमें पैर फैलाकर

योगासन किया जा सकता है, उन्हें अपनाएं।

यदि अधिक परेशानी है तो किसी निकटतम अच्छे अस्थिरोग विशेषज्ञ को दिखाएं जो जांच आदि करके आपको दर्द निवारक दवाएं और मरहम लिख देंगे। गर्म गुनगुने पानी में नमक डालकर सेंकने से तथा नी–कैप बांधने से आराम मिलेगा। आजकल कुछ दवाएं उपलब्ध हैं जिनसे कार्टिलेज का पुनर्निर्माण कुछ हद तक संभव है।

दूरबीन विधि द्वारा शल्यक्रिया करके जोड़ से हड्डी के चूरे या 'लूस बॉडिस' को निकाला जाता है। इससे कुछ वर्षों तक अवश्य आराम रहता है।

यदि जोड़ बहुत खराब हैं तो इसको बदला जा सकता है। लेकिन इससे पहले आप अपने आपको अपने खानपान और उठने–बैठने की शैली में परिवर्तन करके चुस्त–दुरुस्त रखने की कोशिश करें। शल्यक्रिया तो अंतिम विकल्प है।

प्रश्न : मैं एक छात्र हूं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यस्त रहता हूं। इधर कुछ दिनों से मेरी गर्दन में बहुत दर्द होने लगा है। दर्द की वजह से मेरे लिए अधिक देर तक पढ़ना मुश्किल हो गया है। यह दर्द आंखों और हाथ में भी आ गया है। क्या करूं?

उत्तर : हमारी गर्दन की हड्डियां हमारे मेरुदंड की बहुत ही अधिक क्रियाशील और चारों ओर लचक सकने वाली पतली–पतली हड्डियां हैं जो आगे–पीछे तथा दाएं–बाएं घूमने के साथ–साथ हमारी गर्दन, सिर का बोझ भी उठाती हैं।

इनमें ही बीच से हमारे हाथों की नसें और तंत्रिकाएं निकलती हैं। यदि इन हड्डियों के जोड़ों के बीच की जगह में नई हड्डी बन जाए जिन्हें ऑस्टिफ़ाइट कहते हैं तो यह जगह कम हो जाती है, और इन नसों को दबाती है जिनसे हाथों, कंधे में तथा सिर और आंखों के आसपास दर्द होने लगता है। इससे बचाव के लिए पढ़ते समय ज्यादा झुककर ना पढ़ें। किताबें आपकी आंख की सीध में हों। बाजार में सर्वाइकल कॉलर मिलता है, अपने साइज का कॉलर पहनकर पढ़ सकते हैं। गर्दन की कुछ कसरतें हैं जिन्हें आप किसी भी फिज़ियोथेरोपिस्ट से सीख सकते हैं। कुछ दर्दनिवारक दवाएं, मरहम और गर्म पानी को बोतल में रखकर सेंकें, आराम मिलेगा।

अभी आपकी उम्र सर्वाईकल स्पान्डिलोसिस होने की नहीं है। यदि आप अधिक देर तक गर्दन झुकाकर ना पढ़ें, लेटकर ना पढ़ें, किताब को अपनी आंख की सीध में रखकर पढ़ें और गर्दन की कसरत करें तो आपको निश्चित तौर पर आराम मिलेगा। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो एक बार अपनी आंखों की जांच भी करा लें। अच्छा और पौष्टिक भोजन करें। ❑

अस्थिरोग विशेषज्ञ
हिन्दूराव हॉस्पिटल,
49/14, बैंग्लो रोड,
कमलानगर, दिल्ली–7

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/ चाहती हूं/ चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

.....

पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग,

पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

शब्द थके न चूके

☞ डा. कंचन शर्मा

कविता संग्रह : शब्द थके जरूर हैं; कवि : चिरंजी कटारिया; प्रकाशक : सम्यक प्रकाशन, क्लब रोड, पश्चिमपुरी चौक, नई दिल्ली–63, पृष्ठ सं. 111; मूल्य 100 रुपये।

शब्द थके जरूर हैं; चिरंजी कटारिया का कविता संग्रह है जिसकी भूमिका पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने लिखी है तथा 'शब्द की वर्ण से मुक्ति' शीर्षक से पीठिका लिखी है 'हंस' के संपादक राजेंद्र यादव ने। कविता–संग्रह पर पहली दृष्टि डालने पर ऐसा लगता है कि भारत की सामंती व्यवस्था ने जिस प्रकार भारत की गरिमा को पतन के गर्त में डालकर उसकी अस्मिता को क्षतविक्षत किया है, उस षडयंत्र को जहां एक ओर कवि ने रेशे–रेशे उघाड़ दिया है वहीं उसके दुष्प्रभावों को पूरी सहानुभूति के साथ पुनर्सृजित भी किया है। षडयंत्र के उस रूप से भी कवि परिचित है कि कविता की इस परंपरा को अभिजन आलोचक कैसे चुटकी में उड़ा देंगे। कला के मध्यकालीन बोधों को कविता की कसौटी मानकर चिरंजी कटारिया की कविताओं को कविता मानने से भी इंकार कर देंगे। भूमिका लेखकों के 'वक्तव्य' में भी प्रकारांतर से ऐसी शंकाएं विद्यमान हैं। वी.पी.सिंह को भी लगता है कि "कवि की भाषा में इतना साहित्यिक पुट नहीं है" या फिर राजेंद्र यादव को एहसास होता है कि "हो सकता है कुछ कविताएं कलात्मक लापरवाही की शिकार हों"। कवि स्वयं भी अपनी कविताओं के इस हश्र से अनजान नहीं है। वह लिखता है–

"बेशक
मेरे शब्द
टेढ़े हैं
बदसूरत हैं
न छंद है
न उपमा है
लेकिन
तुम्हारे दरबारी
शब्दों से अच्छे हैं"

हम आज भी नहीं भूल पाए हैं कि कालिदासीय तथा वाणभट्टीय रचना परंपरा को कविता का 'मानक' स्वीकार कर संत कवियों की कविता को 'वाणी' की संज्ञा देकर उसका उपहास किया गया। उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी गई। नागार्जुन जैसे कवि को 'खिलंदड़ा' कवि प्रमाणित करने का दुस्साहस किया गया। किंतु अगर हम अपनी पूरी रचना परंपरा पर नजर डालें तो जो सच सामने आता है वह कुरूप और वीभत्स है। हमारी कविताओं के बहुलांश ने–

'राजा महाराजाओं
की झूठी शान में
कसीदे पढ़े थे'
या फिर
'प्रेमिकाओं की याद
में आंसू
बहाए थे'

इसीलिए कवि स्पष्ट लिखता है–

'मेरी कविताओं में
फूल की खुशबू नहीं है
फूलों का रंग
कहां से लाऊं
जब
बचपन से ही
देखा है पतझर'

भारत के इतिहास की व्यथाकथा भी बहुत कुछ ऐसी ही दारुण है। पूरा का पूरा इतिहास झूठ का पुलिंदा है, फरेब है, एकांगी है। सब सामंतों के चरणों ने लिखा है या यों कहें कि लिखवाया गया है। इतिहास की सारी शौर्यगाथाएं तो 'शातिर दिमाग की कपोल कल्पित कहानियां हैं' इतिहास का सच तो कुछ और ही है। लेखक की जन्मभूमि रही राजस्थान सामंती गढ़ रहा है। राजस्थानी बहुजनों ने सामंती कोढ़ के दारुण दर्द को भोगा है। इसीलिए कटारिया की कविता इतनी मारक प्रमाणित हुई है। 'फरेब' शीर्षक कविता में वह लिखते हैं–

"फरेब
जिसे इतिहास समझकर
मैं ठूंसता रहा
अपने दिमाग में
गौरव गाथाएं
सुन–सुनकर
सीना फूलता रहा
गर्व से
लेकिन
असल में
तमाम शौर्यगाथाएं
तुम्हारे शातिर दिमाग की
कपोल कल्पित कहानियां थीं"

वस्तुतः सामंती दौर में परंपरा और संस्कृति को पावन नाम देकर अभिजनों ने बहुजनों को शोषण तंत्र में जकड़कर रख दिया। उसके जीवन स्तर को पशुओं से भी बदतर बना दिया। इस दुश्चक्र का शिकार स्त्रियां भी कम नहीं हुईं। और स्वाधीनता के छठे दशक बाद भी शोषण की यह परंपरा निरंतर विकास ही पाती गई। सामंतवाद के इस बदले हुए रूप से कवि पूर्णतः परिचित है। बस कागजों पर देश का भाग्य बदला और चारों ओर वही यथास्थितिवादिता, वही दबी–कुचली

अभिलाषाएं, सपने और निष्प्राण विरोध–सा। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा जनतंत्र की इस छद्मी राज व्यवस्था पर ही इससे बड़ा धब्बा और क्या हो सकता है? कदाचित इन्हीं सब कारणों से कवि पूछता है–

"राजा का पुत्र राजा
पंडित का पुत्र पंडित
वणिक का पुत्र वणिक
लेकिन समझ में नहीं आता
वाल्मीकि जैसे प्रकांड विद्वान के पुत्रों
के हाथों में
झाड़ू किसने थमाई।"

यह और इस जैसे तमाम प्रश्नों के उत्तर आज भी समाज के ठेकेदारों और मठाधीशों के पास नहीं हैं। स्वाधीन और लोकतांत्रिक भारत महान (?) की व्यवस्था से सीधे टकराते हैं ऐसे सवाल। आखिर क्यों नहीं खत्म होती यह व्यवस्था? क्योंकि, यह परंपरा है! सांस्कृतिक धरोहर है! क्या अब भी अभिजनों को अपने पुरखों की गलतियों का अहसास नहीं होता? इसीलिए कवि चीख–चीखकर कहता है–

आओ
तुम्हारे कानों में सीसा पिघलाकर डालूं
और कहूं वेदशास्त्र पढ़ना मना है
तुम्हारे मजबूत कंधों पर मरे जानवर उठवाऊं
तुम्हें कई–कई दिनों तक
भूखा रखूं
दाने–दाने को तरसाऊं
हो सकता है
तुम्हें शायद
पुरखों की गलती का एहसास हो जाए

कवि को अब यह विश्वास होने लगा है कि अभिजनों का यह शोषणतंत्र अब बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है क्योंकि–

अब खेत–खलिहानों में
चर्चा होती है तुम्हारे षडयंत्र की
गांव की चौपाल में
तुम्हारे खिलाफ हो रही है
सुगबुगाहट।
दलित कमेरा वर्ग तान रहा है
मुट्ठियां
बेजुबां लोगों को
मिल रही है भाषा।
उनके चेहरे पर आ रहे हैं भाव
बगावत के।

इस बगावत में अभिजन और उनके सहायक तो विरोधी हैं ही, बहुजन समाज के स्वार्थी और छदमी लोगों ने भी कम अड़चनें पैदा की हैं।

फिर कैसे हो परिवर्तन? कहां से आए बदलाव? बाज के चंगुल में फंसा यह हीरामन तब तक मुक्त कैसे हो सकता है जब तक पैनी चोंच से वह बाज को काट न खाए। बाज को काट खाने के बाद ही वह मुक्त आकाश में विचरण कर सकता है।

शोषण, दमन, अत्याचार, बलात्कार, लूट–खसोट आदि के अंतः और बहिर्जाल को तोड़नेवाली इन कविताओं में ऐसा नहीं है कि जीवन के कोमल, रमणीय पक्ष या फिर नैसर्गिक आकर्षण गायब ही हो गए हैं, कवि न टीलों की ओट में डूबते सूरज को भूला है, न वृक्षों पर ठहरी सांझ को। उसे जहां मुहल्ले की गलियों का स्मरण विह्वल करता है वहीं बच्चों की मासूम मुखाकृतियां भी। वह अपने गांव की उदास रात के धुंधलाते चांद को भी बहुत प्यार से याद करता है।

'मर्द', 'औरत' और 'मैं' इन तीन कविताओं को दृष्टिपथ में लिए बगैर आगे निकल जाना कवि के लिए और उनकी कविता के लिए उचित नहीं है। ये तीनों ही कविताएं उनके भोगे हुए यथार्थ का हिस्सा न होते हुए भी उनकी सहृदयता और सहः अनुभूति की जीवंत परिचायक हैं। मर्द कविता में कवि कहता है–

"एक भद्दी–सी गाली
जो जिदंगी भर
पीछा नहीं छोड़ती
औरत का"

ठीक इसके बाद 'औरत' कविता को देखें जहां देखते ही नजर ठिठक जाती है एक पंक्ति पर–

"एक ठंडी राख
जिसके नीचे सुलग रहे हैं अंगारे"

इन दोनों ही कविताओं में भारतीय नारी के जीवन को, उसकी त्रासदी को, उसके भीतर सुलगते हुए अंगारे को साफ–साफ देखने की कवि ने कोशिश की है। भारतीय स्त्री का जैविक अधिकार भी तो उसके पास सुरक्षित नहीं है! क्या छोड़ा है समाज ने उसके लिए! जन्म से मृत्यु तक मर्द उसके साथ जुड़ा हुआ है– एक खुशनुमा एहसास बनकर नहीं, गाली बनकर। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिखर को छू लेने के बावजूद औरत के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में कोई ऐसा बदलाव आज तक नहीं आया है जिस पर गर्व किया जा सके। लेकिन इसके विपरीत भारत का मर्द इस संबंध में किसी भी खतरे से निश्चिंत रहता है–

"जानता है भीतर का खोखलापन
तभी तो पहाड़े रटता है
औरत के सामने मर्दानगी के।"

यह पहाड़ा औरत को आतंक के भयावह अंधकार में इस तरह धकेल देता है कि सहमी–सहमी औरत पूरी जिदंगी इसी आतंक में काट देती है। सारी जिदंगी परिचयहीन होकर ही जीती है। अपने घेरे को वह तोड़े तो कैसे? संस्कार, परंपरा, संस्कृति न जाने क्या–क्या! झूठी मर्यादा की दीवारों में चारों ओर से उसे जकड़कर ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर दिया जाता है जिसमें चकरघिन्नी की तरह औरत–मर्द के चारों और घूमती–घूमती अपनी जीवनलीला समाप्त कर देती है:

"आधी दुनिया
जिस पर छाया है
अंधेरा मर्दानगी का"

निष्कर्ष है कि इस संग्रह के कवि को जीवन की जटिलताओं ने पूर्णतः सूखा या नीरस आलोचक कवि बनाकर नहीं छोड़ दिया है, वह जीवन के रंगोत्सव और नैसर्गिक कोमल आकर्षणों के प्रति भी भावुक और समर्पित है। 'मैं' कविता में कवि की प्रेमाभिव्यक्ति इसका अन्यतम उदाहरण है–

"तुम्हारे जाने के बाद
रास्ते में उग आया नागफनियों का जंगल
जिसे पार करने की हिम्मत मुझ में नहीं है।"

अभिप्राय यह कि रमना उसे भी आता है। रम्य और अद्‌भुत उसे भी मोहते हैं किंतु जीवन की वास्तविकताओं से मुठभेड़ करने में भी कवि कम सिद्धहस्त नहीं है। कविता न केवल रम्यादभुत के प्रति आकर्षण है और न मात्र उत्साह और उद्वेग की सहज अभिव्यक्ति। वह समझदारी का ललित स्रोत भी है। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं इस कसौटी पर खरी उतरती हैं। ❑

प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
कलिंपोंग महाविद्यालय कलिंपोंग,
दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)

'कापार्ट' ने दिखाई स्वावलंबन की राह

त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति त्रिपुरा का एक सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन है। समिति को वर्ष 1998 में भारत सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास योजना के अंतर्गत कापार्ट द्वारा "जनजातीय परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बुनाई कार्यक्रम" नामक एक परियोजना प्रदान की गई। परियोजना की कुल लागत 1,39,000 रुपये थी जिसमें से 1,11,100 रुपये की मंजूरी कापार्ट द्वारा दी गई। तथा शेष 28,000 रुपये की व्यवस्था समिति ने बैंक से ऋण के रूप में की। परियोजना को पश्चिम त्रिपुरा जिले के तेलियामुडा खंड के अंतर्गत 14 गांवों में कार्यान्वित किया गया।

परियोजना का उद्देश्य लोगों को बुनियादी कौशलों में प्रशिक्षित कर उनके लिए स्वरोजगार और आय के सृजन का रास्ता प्रशस्त करना था ताकि उपलब्ध सीमित प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक विकसित किया जा सके।

बुनाई परियोजना की शुरूआत क्षेत्र की महिलाओं के सर्वोन्मुखी विकास के लिए महारानीपुर में एक बुनाई, सह–उत्पादन केंद्र और एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना के द्वारा की गई। समिति ने इन दोनों योजनाओं और बहुत–सी अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए महारानीपुर में अपना एक शाखा कार्यालय भी खोला।

प्रशिक्षण सह–उत्पादन केंद्र की स्थापना करने के लिए ग्रामवासियों ने भूमि और दो शेड दान में दिए। देबबर्मा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभिज्ञात किए हुए सभी 14 गांवों की कुल 40 महिला अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया। प्रशिक्षुओं को 1989 के मार्च से अगस्त माह तक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रशिक्षकों ने स्वयंसहायता समूह बना लिए हैं जिनका वे सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। उत्पादों को अगरतला स्थित मुख्यालय में समिति द्वारा संचालित दुकानों में भेजा जाता है जो विपणन कार्य करती है। इस प्रकार समिति ने न केवल उनको प्रशिक्षित किया बल्कि उत्पाद के विपणन की जिम्मेदारी भी ली है, जिसकी कि लघु निर्माताओं को अत्यधिक आवश्यकता होती है। ❑

वर्धा से करीब छह किलोमीटर दूर स्थित कारला गांव, यहां लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा, जब वह न केवल आत्मनिर्भर होंगे, अपितु अपने गांव के गरीब एवं मेहनतकश मजदूरों को साहूकारों के दस प्रतिशत ब्याज के ऋण से मुक्त कराएंगे।यह सब संभव हो पाया वर्धा के एक नामी एन.जी.ओ., सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजिस (सी.एस.बी.) की सहायता से जिसने कापार्ट की टी.आर.सी. योजना के तहत इस गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। सी.एस.वी. ने कारला गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर वनस्पति कीटनाशक बनाना सिखाया। आज इस गांव की औरतों का एक महिलामंडल यहां पैदा होने वाली खरपतवार से कीटनाशक दवा बनाकर बाजार में बेच रहा है। सी.एस.वी. के वैज्ञानिकों ने कापार्ट की टी.आर.सी. योजना की सहायता से गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

केवल चौथी कक्षा तक पढ़ी श्रीमती इंदिरा भोण्डे के अनुसार टी.आर.सी. योजना के तहत प्रशिक्षण लेने के बाद गांव की वह खरपतवार उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, जोकि कभी उनके लिए सिरदर्द बनी थी। बेहया एवं बेशर्म जहरीली झाड़ियां, जिन्हें गांव के पशु भी नहीं खाते थे, उन्हीं झाड़ियों से वह अब वनस्पति कीटनाशक बना रही हैं। इस महिला मंडल द्वारा निर्मित कीटनाशक न केवल बाजार भाव से बहुत सस्ता है, अपितु लाभदायक भी अधिक है।

श्रीमती इंदिरा भोण्डे शुक्रगुजार हैं सी.एस.वी. तथा कापार्ट की जिन्होंने उनको टी.आर.सी. योजना के तहत प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर होने का एक सुखद रास्ता दिखाया।

इसी महिला मंडल की एक अन्य सदस्या शीला शिरनाथ मानती हैं कि कापार्ट ने उन्हें जीवन की एक नई किरण दिखाई है। सी.एस.वी. की रत्ना बहन ने गांव की औरतों को बेकार जाने वाली खरपतवार से वनस्पति औषधियां बनाने का प्रशिक्षण दिया। ये औरतें बताती हैं कि उनके द्वारा बनाई जाने वाली खांसी की दवाई बहुत ही लाभकारी है।

सी.एस.वी. ने जहां ग्रामीणों का जीवन स्तर उठाने में अहम् भूमिका अदा की है वहीं इन अनपढ़ लोगों को नई राह दिखाई है। कराला की महिलाओं ने सी.एस.वी. से प्रशिक्षण लेकर 'शतावरी कल्प' नाम के पेड़ से एक ऐसी औषधि तैयार की है, जोकि शक्तिवर्धक टॉनिक है।,

कराला महिलामंडल की सदस्या 50 वर्षीय कमला वानी, जोकि बिल्कुल अनपढ़ हैं, सुबह से शाम तक मेहनत–मजदूरी कर मात्र 20 रुपये दिहाड़ी ही कमा पाती थीं। उन्होंने सी.एस.वी. से प्रशिक्षण लिया और अब तरोटा कॉफी बनाने का काम कर रही हैं। उनकी यह कॉफी वर्धा में हर साल लगने वाली वर्धावर्द्धन प्रदर्शनी में खूब बिकती है।

तरोटा नाम का जंगली पौधा उनके गांव में खूब होता है। पहले इस खरपतवार से सभी परेशान थे लेकिन सी.एस.वी. ने कापार्ट की सहायता से उन्हें प्रशिक्षण दिया और इस खरपतवार का उपयोग सिखाया। टी.आर.सी. योजना के कारण ही उन्होंने इस जंगली पौधे से तरोटा कॉफी बनानी शुरू की।

'तरोटा कॉफी' न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि उसके पीने से जोड़ों का दर्द भी समाप्त होता है। कमला वानी के अनुसार तरोटे की पत्ती का रस नहाने के पानी में डाल लेने से शरीर के फोड़े–फुंसियां भी समाप्त हो जाते हैं। ❑

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस. दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-05
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

2004

जनवरी

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

फरवरी

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29						

मार्च

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

अप्रैल

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

मई

S	M	T	W	T	F	S
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

जून

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

जुलाई

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

अगस्त

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

सितंबर

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

अक्तूबर

S	M	T	W	T	F	S
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

नवंबर

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

दिसंबर

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

श्री उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया-II, नई दिल्ली-20 : सहायक संपादक : ललिता खुराना